छत्तीसगढ़ विधान सभा

की

अशोधित कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

षष्ठम् विधान सभा | **षष्ठम् सत्र**

बुधवार, दिनांक 16 जुलाई, 2025
(आषाढ़ 25, शक सम्वत् 1947)

[अंक 03]

Web copy

छत्तीसगढ़ विधान सभा

बुधवार, दिनांक 16 जुलाई, 2025

(आषाढ़ 25, शक संवत् 1947)

विधान सभा पूर्वाह्न 11:00 बजे समवेत् हुई.

{अध्यक्ष महोदय (डॉ.रमन सिंह) पीठासीन हुये}

तारांकित प्रश्नों के मौखिक उत्तर

प्रदेश में साईबर क्राईम के दर्ज प्रकरण

[गृह]

1. (*क्र. 716) श्री सुनील कुमार सोनी : क्या उप मुख्यमंत्री (गृह) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:-**(क)** जनवरी, 2024 से जून, 2025 तक छ.ग. में साईबर अपराध के कुल कितने केस दर्ज किए गए हैं एवं उन पर लगाम लगाने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है? क्या इस अपराध में बैंक कर्मियों की भी भूमिका पायी गई है? **(ख)** जनवरी, 2024 से 20 जून, 2025 तक कुल कितनी राशि के साईबर अपराध के प्रकरण दर्ज किए गए है, जिलेवार बताने का कष्ट करें? पीड़ितों को उनकी रकम दिलाने के लिये क्या प्रयास किये जा रहे हैं? अभी तक कितने पीड़ितों को उनकी राशि वापस दिलाई गई? **(ग)** क्या इन प्रकरणों में गिरफ्तारियां भी हुई हैं? राजधानी रायपुर में साईबर अपराध के कुल कितने केस दर्ज हुए हैं? जानकारी दें?

उप मुख्यमंत्री (गृह) (श्री विजय शर्मा) : (क) प्रश्नाधीन अवधि में छ०ग० में साईबर अपराध के कुल 1301 अपराधिक प्रकरण दर्ज किये गये हैं। जानकारी **संलग्न प्रपत्र "अ"**[1] अनुसार है। कुछ अपराधों में बैंक कर्मियों की भूमिका पायी गयी है। **(ख)** जिलेवार जानकारी **संलग्न प्रपत्र "ब"** अनुसार है तथा जानकारी **संलग्न प्रपत्र "अ"** अनुसार है। 107 पीड़ितों को उनकी राशि वापस दिलायी गयी है। **(ग)** जी हॉ। राजधानी रायपुर में साइबर अपराध के कुल 147 केस दर्ज हुए हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, नेताजी के आवाज को बुलंद करने के लिये एक तकिया की और जरूरत है । आपसे आग्रह है कि एक तकिया की जगह में इनको एक तकिया और दिया जाये । एक टेकने के लिये और एक ऊपर उठाने के लिये । एक तकिया ठीक से काम नहीं कर रहा है ।

[1] परिशिष्ट "एक"

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्नकाल । श्री सुनील कुमार सोनी ।

श्री सुनील सोनी :- अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में साईबर क्राईम की स्थिति बहुत ही खराब है । इसके तहत हजारों लोग ठगे जा रहे हैं और कुछ आत्महत्या करने के लिये बाध्य हो रहे हैं । अगर वर्ष 2020 में ऑकड़ा देखेंगे तो 2295 मामले हैं, वर्ष 2021 में 7,134 मामले हैं, वर्ष 2022 में 12,295 मामले हैं, वर्ष 2023 में 22,296 मामले हैं और सिर्फ 2024 में आपने उत्तर में 1301 बताया है, लेकिन वह जो ऑकड़ें हैं, वह 16,811 मामले हैं और आर्टिफिशियल इंटेलीजेंसी (ए.आई.) कहता है कि 17,693 मामले हैं । अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न यह है कि राजधानी के अंदर में ही सैकड़ों-करोड़ रूपये की ठगी हुई है, लेकिन उत्तर में 47 करोड़ कम आया है । प्रदेश में सायबर थाना कहाॅ है, उसे बहुत कम लोग जानते हैं और गंभीरता इस बात की है कि सरकार ने राज्य में सूचना प्रौद्योगिक अधिनियम 2000 की धारा 79 (ए) के तहत कोई साईबर विशेषज्ञ नियुक्त नहीं किया है । यदि सरकार के द्वारा साईबर विशेषज्ञ नियुक्त किया गया है तो इसकी जानकारी देंगे ? अध्यक्ष महोदय, साईबर थाने में आई.पी.एस. रैंक का एक भी एक्सपर्ट अधिकारी मौजूद है कि नहीं है, यह बताने का कष्ट करेंगे ? आपने उत्तर में जानकारी दी है कि छत्तीसगढ़ के हर जिलों के अंदर हमने साईबर थाने गठित किये हैं और यदि आपने साईबर थाने गठित किये हैं तो वहां कितने जिम्मेदार अधिकारी तैनात हैं, इन थानों के अंदर में पदस्थ अधिकारी सक्षम है कि वह इन साईबर क्राईम की विवेचना करके, अपराध दर्ज करके क्या उस पर तत्काल कार्यवाही कर सकते हैं, यह मेरा प्रश्न है ?

श्री विजय शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की यह चिन्ता बड़ी जायज है और हम सब उसमें काम कर ही रहे हैं, परन्तु मैं आपसे एक विषय जरूर कहना चाहता हूँ कि जैसा कि आपने कहा है कि साईबर थाना कहां हैं, उनको नहीं मालूम है ? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को जानकारी देना चाहता हूँ कि साईबर भवन का निर्माण 277 करोड़ रूपये की लागत से दिसम्बर 2024 में बनाकर इसका उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री जी के करकमलों के द्वारा किया गया है । अध्यक्ष महोदय, 1 करोड़ 46 लाख उसमें लायसेंस और नवीनीकरण के लिये खर्च किये गये हैं, 51 लाख रूपये उसमें आधुनिकीकरण के लिये खर्च किये गये हैं, यह पूरे प्रदेश का साईबर थाना, जिसे हम साईबर थाना कहते हैं, यह हमारे प्रदेश में उपलब्ध है । अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को अपने साथ वहां लेकर जाऊॅगा और जो भी माननीय सदस्य अवलोकन करना चाहेंगे, मैं सभी माननीय सदस्यों को आमंत्रित करके एक कार्यक्रम वहां जरूर रख लेता हूँ । अध्यक्ष महोदय, दूसरा है कि आई.टी.एक्ट के अंतर्गत जहां तक साईबर विशेषज्ञ की बात है तो उसके इम्पैनलमेंट की प्रक्रिया हम लोग कर रहे हैं, उसे हम शीघ्र पूरा करेंगे । ऐसा नहीं है कि सिर्फ साईबर विशेषज्ञ हो जायेंगे तभी काम आगे बढ़ेगा, इसके अतिरिक्त माननीय नरेन्द्र मोदी जी की सरकार बनने के बाद, माननीय अमित शाह जी के गृह मंत्री बनने बाद साईबर कमाण्डो आई 4 सी (I4C) संस्था का गठन किया गया और उसमें साईबर कमाण्डों

का कॉसेप्ट है । इसमें 1 आई.पी.एस. और 5 वरिष्ठ अधिकारी ऐसे 6 लोगों की 6 महीने की साईबर ट्रेनिंग होती है और 6 महीने की ट्रेनिंग करके वापस आ चुके हैं और अब काम यहां पर शुरू करेंगे । माननीय अध्यक्ष महोदय, अगली बैच जाने के लिये तैयार है तो वह *Special Recruitment* है, जो हमको विशेषज्ञ रखने हैं, उसी स्तर के लोग हमारे पास यहां पर हैं । अगली बात आपसे और कहना चाहता हूं कि आपने कहा कि हर जिले में Cyber थाना होना चाहिए, ऐसा कहा ही नहीं गया है। हर जिले में *Cyber Cell* का गठन जरूर किया गया है, Cyber थाना अलग से नहीं है, *Cyber Cell* का गठन किया गया है । इसमें प्रशिक्षण की प्रक्रियाएं की गई हैं । हमने C-DAC से प्रशिक्षण की प्रक्रिया की है, आई 4 सी (I4C) से प्रशिक्षण की प्रकिया की है और सरदार वल्लभ भाई पटेल, नेशनल पुलिस एकेडमी से भी प्रशिक्षण की प्रक्रिया की है और ऑन लाईन प्रशिक्षण की प्रक्रिया लगभग हर सप्ताह हर थाने में चलती है। इस तरीके से हम इसमें नॉलेज बेस बढ़ाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं और जल्द ही आगे आएंगे । आंकड़े जो आपराधिक प्रकरण दर्ज होने के हैं, मैं माननीय सदस्य से भी कहना चाहता हूं कि AI के टूल पर आप उतना विश्वास न करें कि AI के टूल पर पहले जिसने भी कुछ बताया होगा, उसको Store करके उसी को आपको बता देता है । एक ऐसी घटना आप उसमें लें, जिसमें आप बताएं कि आज दिनांक को ऐसा ऐसा हुआ । कल कोई और दूसरा उससे पूछेगा तो आपकी घटना को उसमें बता देगा । AI उतने परफेक्शन से अभी काम नहीं कर रहा है, पुलिस के Data Base पर एक्सेस AI का नहीं है और इसलिए जो आंकड़ा पुलिस के द्वारा दिया गया, विभाग के द्वारा दिया गया है, कृपया आप उसी का ध्यान करें । 15 हजार, 16 हजार या AI में 18 हजार कह दिया गया तो AI पर वैसा विश्वास न करें । फिर भी मैं माननीय सदस्य से जानना चाहूंगा कि AI का कौन सा टूल Use करते हैं ?

श्री सुनील कुमार सोनी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने जो प्रश्न किया, उसका जवाब मंत्री जी ने नहीं दिया । मैंने प्रश्न किया कि क्या आपके थाने सक्षम हैं? या फिर कोई रिपोर्ट लिखाता है, अपराध दर्ज कराता है तो आप रेगुलर थाने के अंदर में भेज देते हैं क्या ? AI के अलावा एन.सी.आर.बी. भी डाटा के बारे में कह रहा है और 16 हजार से अधिक का आंकड़ा N.C.R.B. भी बता रहा है और एक प्रतिष्ठित अखबार ने छापा है, मैंने उनसे पूछा है तो उन्होंने कहा कि मैंने P.H.Q. से पता किया है । यह सारे जो नेशनल क्राईम जो रिपोर्ट है, अगर वह भी गलत है तो आखिरकार उसको रिपोर्ट कौन देता है ? थाने की विवेचना करके गिरफ्तार करने के लिए वह सक्षम है क्या ? आप सिर्फ राजधानी का बता दीजिए ।

श्री विजय शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, एक Cyber भवन जो मैंने आपसे कहा, जो राज्य स्तरीय थाना है, वहां पर पूरे राज्य से कहीं का भी एफ.आई.आर. दर्ज हो सकता है । दूसरा, 5 रेंज स्तरीय थाने अभी तय किये गए हैं, उन पर भी काम चल रहा है, उसकी भी स्ट्रेंथनिंग चल रही है, उसमें भी ट्रेनिंग चल रही है । इसके अतिरिक्त 9 और नये Cyber थानों के लिए भी हमें स्वीकृति मिली है,

उसके भी निर्माण का काम चल रहा है । उसके लिए भी हम लोग वैसे पृथक से आई.टी. सेक्शन वालों की ही अलग श्रृंखला बनाने के लिए अलग से इसमें प्रक्रिया करके भर्ती की प्रक्रिया करेंगे, परन्तु अभी डेप्यूटेशन में लेकर ट्रेनिंग कराकर काम करा रहे हैं तो यह भी हो रहा है । एक बात माननीय सदस्य ने कहा कि थाने सक्षम हैं अथवा नहीं ? मैं बताना चाहता हूं कि थाने सक्षम बन रहे हैं । Cyber थाना जो हमारे सेन्ट्रल का है, राज्य का है, उसमें कहीं कोई परेशानी नहीं है । पूरी सक्षमता के साथ पूरे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो-जो तकनीक होनी चाहिए, उन सारी तकनीकों के साथ हमारा साईबर भवन तैयार है । 5 रेंज थाने हैं, वह भी पूरी तरीके से तैयार है । मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि नेशनल क्राईम रिपोर्ट ब्यूरों (एन.सी.आर.बी.) का अंतिम डाटा 2022 को जारी हुआ है । आप एक बार AI से फिर पूछ लें कि N.C.R.B. का आखिरी डाटा कब जारी हुआ है ? वह आपको बता देगा कि 2022 से पहले जारी हुआ है । 2022 के बाद N.C.R.B. का कोई डाटा जारी नहीं हुआ है और पत्रकार साथी जिनकी बात माननीय सदस्य कह रहे हैं, मैं निवेदन पूर्वक कहता हूं कि मैं भी उनसे मिलना चाहूंगा ।

श्री सुनील कुमार सोनी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न ही पूरा नहीं हुआ है । मंत्री जी ने जो उत्तर दिया, मैं वही पूछ रहा हूं ।

अध्यक्ष महोदय :- आपके सपोर्ट में बहुत से लोग खड़े हैं ।

श्री सुनील कुमार सोनी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है । आपने उत्तर में स्वीकार किया है कि बैंक के कर्मचारी इसमें अंदर संलिप्त हैं और अपराध दर्ज करने के बाद में आजतक आपने कितने बैंकों के कर्मचारियों या अधिकारियों पर एफ.आई.आर. दर्ज करके जेल के अंदर में डाला या अभी तक अपराधी जो हजारों की संख्या में आ रहे हैं, उनमें से कितने लोगों को आपने जेल भेजा है ?

श्री विजय शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का यह प्रश्न भी बहुत ही अच्छा है और सबको ध्यान दिलाने वाला है । मैं यह जरूर बताना चाहता हूं कि प्रश्नाधीन अवधि में बैंक के कर्मचारियों पर 3 प्रकरण दर्ज किए गए हैं। रायपुर जिले में 01 प्रकरण है, जिसमें 04 आरोपी हैं। ये उत्कर्ष स्माल फाईनेंश बैंक का है। दुर्ग जिले में एक प्रकरण है, जिसमें एक आरोपी है, ये बंधन बैंक वाला है। बिलासपुर जिले में एक प्रकरण है, जिसमें 02 आरोपी हैं, ये कोटक महेन्द्रा बैंक का है। अत: 07 लोगों के ऊपर एफआईआर करके उनको जेल डाला गया है। ये जो बैंक हैं, इन सारे बैंकों के माध्यम से आगे हम इस प्रक्रिया में भी बढ़ रहे हैं कि अब हम बैंक वालों को भी एकत्रित करके उनकी सेल्स टीम को भी बतायेंगे कि क्या करना है। इसके अतिरिक्त मैं आपको विशेष रूप से और बताना चाहता हूं, जो कि भारत में पहली बार हुआ है कि पाइंट ऑफ सेल पर भी स्थिति समझकर कि ये बार-बार ऐसे सिमकार्ड बेच रहे हैं, जिसके कारण से बार-बार न्यू एकाउंट क्रियेट हो रहे हैं, तो पाईंट ऑफ सेल पर भी कार्यवाही की गई है, 75 एफआईआर किए गए हैं।

अध्यक्ष महोदय :- अनुज जी, एक प्रश्न कर लीजिए।

श्री अनुज शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपका बहुत-बहुत आभार कि आपने अवसर दिया। अध्यक्ष महोदय, यही हाल intellectual property का है। जब copyright के issues आते हैं, तो उसके लिए किस थाने में एफआईआर किया जाए, इसके लिए 15 दिन का प्रोसेस लग गया। किसी थानेदार को यह जानकारी नहीं थी कि वह किस धारा के तहत एफआईआर दर्ज करे और 15-20 दिन तो उसे एफआईआर दर्ज कराने में लग गए और इसके बाद हुआ ये कि आज तक उसका कोई आऊटपुट नहीं आया। अध्यक्ष महोदय, जब भी कोई intellectual property का गैरकानूनी तरीके से इस्तेमाल करता है, तो उसे तुरंत रोकने की जरूरत होती है। अगर उसे नहीं रोका गया तो जिसका नुकसान होना है, उसका नुकसान हो चुका होता है। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि intellectual properties पर quick action के लिए उनकी क्या तैयारी है?

श्री विजय शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, cyber crime एक अलग मामला है और ये intellectual property एक अलग मामला है लेकिन जिस भी थाने में कोई असुविधा माननीय सदस्य को या जिसे भी हुई होगी, मैं बिल्कुल एक बार बात करके इसको स्पष्ट करुंगा। वैसे सभी थानों में सभी स्थानों पर इसकी जानकारी है कि किन धाराओं के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध करना है।

अध्यक्ष महोदय :- श्री राजेश जी, एक छोटा प्रश्न करिए।

श्री राजेश मूणत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत छोटा ही प्रश्न है। अध्यक्ष महोदय, हम रजत जयंती वर्ष की ओर जा रहे हैं, छत्तीसगढ़ को 25 साल होने जा रहे हैं और क्राईम के मामले में लगातार ट्रेनिंग हो रही है। कभी सुनते हैं कि पुलिस के बड़े- बड़े अधिकारी हैदराबाद से ट्रेनिंग लेकर आ रहे हैं और कभी यहां पर ट्रेनिंग सुनते हैं लेकिन वाकई में चिन्ता का विषय केवल इतना है कि डेढ़ साल के अंदर क्राईम के माध्यम से 107 करोड़ रुपए की ठगी होती है और आपके उत्तर में आपने बताया कि कुल लगभग 3.69 करोड़ रुपए वापस दिलाये गये। चिन्ता का विषय यही है। दूसरा, इतने सीनियर मोस्ट अधिकारी पीएचक्यू में बैठे हुए हैं, इनको जरा ट्रेनिंग देकर कहीं न कहीं क्राईम के काम में क्यों नहीं लगाते? एक आई.जी. स्तर का अधिकारी अभी तक इसमें नहीं है, जो कि आज क्राईम का सबसे बड़ा खतरा बन गया है। तीसरा, मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि इस रायपुर में जब चालान कटते हैं और चालान में भी फर्जी क्राईम होने लगती हैं। ये साईबर की एक रिपोर्ट है, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं कि जरा इसका भी एक बार विश्लेषण जरूर कर लें लेकिन कम से कम एक आई.जी. स्तर के अधिकारी की आप नियुक्ति करें, ताकि इसकी प्राथमिकता को समझें और काम करें।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न आ गया, अब मंत्री जी का जवाब सुन लें।

श्री विजय शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे माननीय वरिष्ठ सदस्य ने कहा कि इसमें 107 करोड़ रुपए की ठगी हुई है और उनको 3.69 करोड़ रुपए की वापसी की जा चुकी है। वापसी की

प्रक्रिया न्यायालय के माध्यम से गुजकर वहां जाती है, तो जब प्रकरण पूरा हो जाएगा, न्यायालय का आदेश होगा कि वापस करना है, तब वह वापस होता है। इसलिए यह राशि बराबर आपको कभी-भी दिख नहीं सकती। ये स्थितियॉ कुछ ऐसी ही होंगी। इसमें कालांतर में जब प्रश्नावधि बढ़ी होगी, तो ये पता चलेगा कि हमने कुल मिलाकर इतनी राशि वापस कर दी, ये स्थिति आती है।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन पूर्वक कहना चाहता हूं कि चालान के संदर्भ में जो भी आपने कहा है, मैं आपसे कहूंगा कि जरूर एक बार आप मुझे बताइएगा। उसमें जो भी संभावना होगी, जरूर करेंगे।

अध्यक्ष महोदय, इसमें आई.जी. स्तर के अधिकारी की ही नियुक्ति होती है और वह हो रखी है।

श्री राजेश मूणत :- माननीय अध्यक्ष जी, कौन है? अगर कोई देख रहा है, तो उनका नाम बता दें?

अध्यक्ष महोदय :-राजेश जी, आपका हो गया। अजय जी आप एक प्रश्न कर लीजिए।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें कितनी गंभीरता है, मैं उस संबंध में माननीय मंत्री जी को अवगत कराना चाहूंगा। यहां दोनों उप मुख्यमंत्री जी बैठे हैं। 28 फरवरी को मेरा इसी संबंध में एक प्रश्न थास और उसके उत्तर में भी माननीय मंत्री जी ने कहा था कि साईबर विशेषज्ञ की नियुक्ति के लिए हमने वित्त विभाग को पत्र भेजा है और आज भी उनका उत्तर आया है कि उनकी प्रक्रिया चल रही है तो मेरा एक प्रश्न यह है कि इसकी प्रक्रिया कब तक चलेगी ? आपकी सरकार में या विभाग में यह भर्ती कब तक हो जायेगी या नहीं होगी और यदि नहीं होगी तो कह दीजिये कि नहीं होगी और हम जैसे हैं सक्षम हैं। दूसरा, आपने एक बात कही कि यह नेशनल ग्रीड है, इसमें लोग प्रशिक्षण ले रहे हैं और आपने कहा कि नरेन्द्र मोदी जी ने 5 हजार कमाण्डो बनाने के लिए कहा है। आपने कहा था कि छत्तीसगढ़ में 6 लोग प्रशिक्षण ले रहे हैं। अभी छत्तीसगढ़ में कितने लोग प्रशिक्षित हो गये, आपका कितने लोगों के प्रशिक्षण का लक्ष्य है और कितने प्रशिक्षित लोगों को कितनी जगहों पर नियुक्ति दी गयी ? आप यह दोनों का जवाब बता दीजिये ?

अध्यक्ष महोदय :- चलिये ठीक है। मंत्री जी, जवाब दे दीजिये।

श्री रामकुमार यादव :- तुंहर 2048 तक भर्ती हो जाही।

श्री विजय शर्मा :- अध्यक्ष महोदय, जब वर्ष 2047 तक नाम ओ निशान मिट जाही तब ले हमन कर लेबो, ओकर कोई टेंशन नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, विशेषज्ञों की भर्ती के लिए प्रक्रिया पूर्ण कर फाईल आगे बढ़ायी गयी है। जैसे भी काम पूरा होता है उस पर नियुक्ति कर ली जायेगी।

श्री अजय चन्द्राकर :- अध्यक्ष महोदय, मैंने तो तारीख बतायी कि मेरे 28 फरवरी के प्रश्न में भी आपने यही कहा था जो आज कह रहे हैं। मैं यह नहीं जानता कि आप नियुक्ति कब करेंगे परंतु इसमें कितनी गंभीरता है और आपके परिशिष्ट में कितनी सारी ठगी हो रही है ।

श्री विजय शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य मुझे नियंत्रक बनने की बात कह रहे हैं। यह कैसे संभव है ? यह प्रक्रिया है और जो प्रक्रियाओं के माध्यम से होगा। मैंने कमाण्डो की ट्रेनिंग के संदर्भ में आपको पहले ही बताया कि मैंने माननीय सदस्य सुनील सोनी जी के प्रश्न के उत्तर में इस बात को बताया है लेकिन शायद आपने ध्यान नहीं दिया। हमारी ट्रेनिंग करके 1 प्लस 5, मतलब एक आई.पी.एस. और पांच लोग आ चुके हैं और नया बैच फिर जायेगा लेकिन इसमें कोई भी चला जाये ऐसा नहीं है। इसमें एग्जाम होता है और उस एग्जाम में जो लोग पास हो जाते हैं, वह लोग इसमें जाते हैं। इसलिए कितने जायेंगे और कितनी संख्या होगी यह उस पर निर्धारित होता है।

श्री अजय चन्द्राकर :- मैंने यह कहा कि आपने कितने लोगों को ट्रेनिंग दी है और उनकी नियुक्ति कहां-कहां और कौन-कौन से थाने में की है ?

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न संख्या-2। माननीय डॉ. चरण दास महंत जी प्रश्न लेंगे।

प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अन्तर्गत प्रगति की स्थिति

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

2. (*क्र. 607) डॉ. चरण दास महंत :- क्या उप मुख्यमंत्री (गृह) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत जून, 2025 तक की स्थिति में निर्धारित लक्ष्यों तथा प्राप्त स्वीकृतियों का वित्तीय वर्षवार तथा जिलावार विवरण दें? प्रारंभ, पूर्ण, निर्माणाधीन तथा अप्रारंभ का विवरण जिलेवार बतावें ? **(ख)** कितने-कितने हितग्राहियों को पहली, दूसरी तथा तीसरी किस्त की राशि जारी की गई है? निर्धारित अवधि में पूर्ण नहीं हो सके आवासों की कारण सहित, जिलेवार जानकारी देवें ? **(ग)** इस योजना से संबंधित कितनी शिकायतें सुशासन तिहार में प्राप्त हुई ? कितनों का निराकरण किया गया ? कितनी लंबित हैं ? **(घ)** प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में मनरेगा योजना से कितने दिनों का, किस दर पर, कितनी मजदूरी देने का प्रावधान है ? क्या इसका पालन किया जा रहा है?

उप मुख्यमंत्री (गृह) (श्री विजय शर्मा) :- (क) प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की जानकारी **"पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-अ"** अनुसार है एवं प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान (पीएम जनमन) हेतु राज्य को 34,396 आवासों का लक्ष्य प्राप्त हुआ है। जिलों द्वारा सर्वेक्षण उपरांत पात्र हितग्राहियों के आवास स्वीकृति की कार्यवाही की जा रही है। शेषांश जानकारी **"पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-ब"** अनुसार है। **(ख)** प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की जानकारी **"पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-अ"** अनुसार है एवं प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान (पीएम जनमन) की जानकारी **"पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-ब"** अनुसार है। **(ग)** प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण से संबंधित

सुशासन तिहार में कुल 2965 शिकायतें प्राप्त हुई, जिसमें समस्त शिकायतों का निराकरण किया गया है। **(घ)** प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में महात्मा गांधी नरेगा से 90 दिनों का मजदूरी देने का प्रावधान है। भारत सरकार द्वारा राज्य हेतु वर्तमान में प्रति दिन मजदूरी की दर राशि रू. 261/- का निर्धारण किया गया है, जिसका पालन किया जा रहा है।

डॉ. चरणदास महंत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद। यह विद्वान मंत्री हैं इसलिए मैं ज्यादा भूमिका नहीं बांधना चाहता। मैं सीधे-सीधे, छोटे-छोटे 8-10 प्रश्न करूंगा। मंत्री जी, आप तैयार हो जायें। मैं आपको परेशान नहीं करूंगा। मैं सीधे-सीधे प्रश्न करूंगा।

श्री विजय शर्मा :- अध्यक्ष महोदय, जिनकी प्रतीक्षा थी, वह तो नहीं है।

डॉ. चरणदास महंत :- इनसे क्या लेना-देना है। हमारा भी तो कुछ आदर करिये। (हंसी)

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) में जो मार्गदर्शिका इनको मिली है, उस हिसाब से पी.एम. आवास पूर्ण कब माना जाता है ? जब हितग्राही को 1.20 लाख रूपये का भुगतान हो जाता है, उसके बाद माना जाता है या मनरेगा की 90 दिनों की मजदूरी जोड़कर जो 23,490 रूपये होता है, उसके भुगतान के बाद माना जाता है या स्वच्छ भारत मिशन के शौचालय निर्माण के बाद माना जाता है, जिसके लिए आप 12 हजार रूपये देते हैं ? इस तरह कुल 1,55,490 रूपये बनता है तो क्या जब आप इसका भुगतान कर देते हैं, उसके बाद आवास पूर्ण माना जाता है या बिना मनरेगा की राशि के या बिना शौचालय बनाये ही मान लिया जाता है ?

श्री विजय शर्मा :- अध्यक्ष महोदय, आवास की पूर्णता के लिए 3 किस्तों में राशि जाती है और नि:संदेह आवास तो तभी पूर्ण होता है जब यह सारी चीजें बन जाये परंतु 3 किस्तों के बाद हम यह मानते हैं कि अब आवास अंतिम चरण में है। इसमें व्यक्ति को स्वयं काम करना होता है और इसमें कोई संस्था जाकर मकान नहीं बनाती है। इसलिए पूर्णता के लिए एक बार और अंतिम परीक्षण होता है लेकिन 3 किस्त जारी होने के बाद जो लैंटर लेवल के बाद किस्त जाती है और इनको नरेगा के 90 दिनों का भुगतान भी हो जाता है और इनको स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत जो शौचालय दिया जाता है, जब वह भी दिया जा चुका होता है तो इसको पूर्ण माना जाता है।

डॉ. चरण दास महंत :- अध्यक्ष महोदय, मेरी दूसरी एक मुख्य शर्त यह है कि आपको अल्पसंख्यक वर्ग के लिए 15 प्रतिशत और दिव्यांगों के लिए 5 प्रतिशत आरक्षित रखना है। क्या आप मुझे यह बतायेंगे कि जितने भी प्रधानमंत्री आवास निर्माण हो रहे हैं, उनमें इन वर्गों के लिए आरक्षण को सुरक्षित रखा गया है ?

श्री विजय शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री विजय शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय नेता प्रतिपक्ष जी वरिष्ठ सदस्य हैं, मैं उनको जरूर यह बताना चाहता हूँ इसमें किसको कितना देना है, यह पुरानी सरकार की बात थी, अपने ही लोगों की बात जो सरकार नहीं मानी थी। वर्तमान में माननीय विष्णु देव जी की सरकार है उन्होंने तो इसमें पूरा-पूरा दे दिया है। (मेजों की थपथपाहट) कोई भी हितग्राही शेष नहीं है, वर्ष 2011 की जितनी सर्वे सूची थी, वह पूरा दिया जा चुका है, आवास प्लस की सर्वे सूची है, वह पूरा दिया जा चुका है तो अब यह प्रश्न कहां उठता है कि इसे किस हितग्राही को दिया जाए या न दिया जाये।

डॉ. चरणदास महंत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, कभी-कभी जिस तरह से पुलिस विभाग वाले किसी की बात सुनते ही नहीं, शायद उसी तरह माननीय मंत्री जी व्यवहार कर रहे हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह बोल रहा हूँ कि इसमें अल्पसंख्यक वर्ग के लिए 15 प्रतिशत और दिव्यांगजनों के लिए 5 प्रतिशत, यह आपकी प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में लिखा हुआ है, यह हमारी सरकार का निर्देश नहीं है। यह आपकी सरकार का निर्देश है। यह आपने उन हितग्राहियों को दिया है? मैं, आपसे केवल इतना ही पूछना चाहता हूँ कि यह पूर्ण हुआ है या नहीं हुआ है?

श्री विजय शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं पुन: अपनी बात दोहराता हूँ। यदि एक बार किसी को कुछ आवंटन दिया जाये, जैसे 100 आवास देना है तो 15 आवास अल्पसंख्यक वर्ग एवं दिव्यांगजनों के लिए 05 आवास होगा। यह ऐसे दिया जायेगा अगर सूची में से 100 देना है तो। हम पूरी सूची ही दे दे रहे हैं फिर इसमें क्या विषय रह जाता है। (मेजों की थपथपाहट)

डॉ. चरणदास महंत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें आप कुछ छुपा रहे हैं, मैं यह जान रहा हूँ। मैं इसकी शिकायत ऊपर तक कर सकता हूँ, मैं यह देखता हूँ कि मैं शिकायत करूंगा या नहीं ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, दूसरी बात आपके मुख्यमंत्री जी ने यह घोषणा की थी कि जिन-जिन जिलों में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण पर हितग्राहियों से पैसे लिये गये हैं, उन जिलों के कलेक्टरों को निलंबित किया जायेगा। मेरे पास तखतपुर से इसकी शिकायत है। आप भी यह जानते है कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण से संबंधित सुशासन तिहार में कुल 2,965 शिकायतें प्राप्त हुई हैं इसमें से कितने पैसे के लेन-देन की शिकायत है और यह कहां की शिकायत है, यह आप बतायेंगे ?

श्री विजय शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय जी की सरकार में सुशासन है और सुदर्शन भी है। (मेजों की थपथपाहट) यहां बड़े-बड़ों को नहीं छोड़ा गया तो किसी और की तो बात ही नहीं है। मैं नि:संदेह यह कहना चाहता हूँ कि माननीय वरिष्ठ सदस्य, माननीय नेता प्रतिपक्ष के पास कोई विशेष जानकारी हो तो वह मुझे अवश्य उपलब्ध करवायें।

डॉ. चरणदास महंत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें विशेष यह है कि हमारे अध्यक्ष जी और हमारे मुख्यमंत्री जी के जिले कबीरधाम में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण से बैगा परिवारों से अवैध वसूली के संबंध में जानकारी है और आपका जिला और मेरा जिला भी वैसे ही है। आवास मित्रों ने

दूरभाष से आपको फोन किया है कि यहां पैसे की वसूली की गई है। उसी तरीके से तखतपुर के पंचायत के माध्यम से आपसे शिकायत की गई है, जो पूर्व सांसद, उप मुख्यमंत्री जी का क्षेत्र है। यह तीनों जरूरी जगह हैं जहां से शिकायतें आयी हैं तो क्या आप इन सभी जगहों के कलेक्टरों को निलंबित करने जा रहे हैं ?

श्री विजय शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें जो जिला कबीरधाम के कुगदुर क्षेत्र का यह विषय आया है, उस पर जांच भी चल रही है और माननीय नेता प्रतिपक्ष महोदय बता रहे हैं कि जो तखतपुर क्षेत्र है, यह माननीय उप मुख्यमंत्री जी का क्षेत्र है, मैं उसकी भी जानकारी एकत्रित करके, उस पर भी जांच करा लेते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। इसमें जो भी गड़बड़ करेगा, उस पर काम किया जायेगा।

अध्यक्ष महोदय :- ठीक है। चलिये आप प्रश्न पूछ लीजिए। आपके प्रश्न हो गये।

डॉ. चरणदास महंत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी मेरे प्रश्न कहां हुए हैं। मैंने केवल 3-4 प्रश्न ही किये हैं। आपने उनको मनरेगा में शतप्रतिशत राशि बनाने के लिए नहीं दी है, मेरे पास ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। मैं माननीय उपमुख्यमंत्री जी, आप यह देखिये। (माननीय नेता प्रतिपक्ष महोदय द्वारा जानकारी दिखायी गयी) मैं, आपके समक्ष इनको रखूं या माननीय अध्यक्ष महोदय मुझे इसे पटल पर रखने की ईज़ाजत देंगे।

अध्यक्ष महोदय :- अभी माननीय उप मुख्यमंत्री जी, आपके सारे प्रश्नों का जवाब दे रहे हैं। आप उनसे प्रश्न पूछते जाईये।

श्री विजय शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय नेता प्रतिपक्ष महोदय जी एक बार प्रश्न थोड़ा दोहरा देते।

डॉ. चरणदास महंत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने जिन-जिन स्थानों में मनरेगा की राशि नहीं दी है, मेरे पास उन स्थानों की सूची है, जिसमें सबसे चिन्ताजनक स्थिति यह है कि उसमें जशपुर जिला जो माननीय मुख्यमंत्री जी का क्षेत्र है, जिला है, वह भी शामिल है। तमाम् सुकमा, बस्तर, कोण्डागांव, दंतेवाड़ा, नारायणपुर, बीजापुर । बीजापुर में तो आपने 38 प्रतिशत ही राशि दी है तो इनके बारे में क्या कहेंगे? इनको मनरेगा का बाद में भुगतान करेंगे या नहीं करेंगे?

श्री विजय शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, श्रमिकों का समस्त भुगतान के संदर्भ में शायद बीजापुर की जो विशेष बात कह रहे हैं, उसके लिए एक बार और परीक्षण की आवश्यकता होगी। परंतु इतना जरूर कहना चाहता हूं कि लेबर पेमेंट 30 जून तक पूरा-पूरा किया जा चुका है। वह रिपोर्ट अगर 30 जून के पहले की होगी तो माननीय नेता प्रतिपक्ष जी को एक बार ध्यान देना होगा। परंतु 30 जून तक का लेबर पेमेंट हो गया है। बीजापुर जैसे कुछ स्थान हैं, अगर वह बहुत इंटीरियर है, बैंक के खाता

की परेशानी है, ऐसी कोई भी परेशानी होगी तो आप मुझे जरूर बतायें। मैं पूरी शिद्दत के साथ इसको करता हूं।

डॉ. चरणदास महंत :- यह तमाम फोटोग्राफ्स हैं, आप इधर देख लीजिए।

अध्यक्ष महोदय :- हो गया, आपके बहुत प्रश्न हो गये। 12 मिनट हो गये।

डॉ. चरणदास महंत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, प्लीज देखिये तो जिनको अपूर्ण आवासों को पूर्ण बताकर इन्होंने भुगतान कर दिया, ऐसे मेरे पास सब फोटोग्राफ्स हैं।

श्री विजय शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, ये अपूर्णता की स्थिति के होंगे। ये पूर्ण हो चुके होंगे। फिर से कराना होगा। क्योंकि 30 जून तक का लेबर पेमेंट पूरा हो चुका है। अभी माननीय नेता प्रतिपक्ष जी को पहले कोई फोटो दे दिया है तो ये एक अलग बात है।

डॉ. चरणदास महंत :- ये आपके ही विभाग के फोटो हैं, मैंने इनको नहीं खीचा है। आप तो ए.आई. तक को गलत बता रहे हैं तो पता कौन-कौन आप गलत बता देंगे। मैं तो ये चाहता हूं कि मैं इन सब पत्रक को आपकी अनुमति हो तो यहां पटल पर रख देता हूं। और इसकी शिकायत ऊपर भी करूंगा कि ये माननीय मुख्यमंत्री जी को ही [XX][2] बना रहे हैं, माननीय मंत्री जी को बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर [XX] शब्द गलत है तो विलोपित किया जाये।

अध्यक्षीय व्यवस्था

अध्यक्ष महोदय :- आप इतने वरिष्ठ हैं। फोटो, दस्तावेज, पेपर कटिंग, इस विषय को लेकर प्रस्तुत करना कितना उचित है, आप ज्यादा जानते हैं। दूसरी बात, ए.आई. अपनी हर रिपोर्ट में नीचे लिखता है कि इसकी विश्वसनीयता को री-चेकअप करने की जरूरत है। ए.आई. की कोई भी इनफारमेशन आप लेंगे उस ए.आई. की नीचे रिपोर्ट में एक कालम रहता है, यह पूर्णत: विश्वसनीय नहीं है, इसको क्रास चेकअप करने की जरूरत है। आप जानते हैं। चलिये, आप एक प्रश्न कर लीजिए।

तारांकित प्रश्नों के मौखिक उत्तर (क्रमश:)

श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद। यह जो 90 दिन के भुगतान की बात आई है, माननीय मंत्री जी, मैं आपको अवगत कराना चाहूंगा कि अकलतरा में ही साढ़े 12000 आवास स्वीकृत करने का हम लोगों का टारगेट था जिसमें 10,000 के आसपास आवास स्वीकृत हुए हैं और उसमें 4280 आवास पूर्ण हो चुके हैं लेकिन 1705 आवास के मनरेगा का भुगतान नहीं हुआ है। इस

[2] [XX] अध्यक्षीय पीठ के आदेशानुसार निकाला गया।

सवाल के साथ मैं आपके संज्ञान में भी लाना चाहूंगा कि इसमें वर्क कोड जनरेट नहीं हो रहा है जो बहुत बड़ी समस्या है। जिसकी वजह से यह जो टारगेट हमें नंबर का दिख रहा है, इसके अलावा भी लोगों का भुगतान नहीं हो रहा है और बहुत विषम परिस्थिति है। आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि इसका आप परीक्षण भी करा लें। और वर्क कोड जनरेट होकर यह कब तक भुगतान हो पायेगा, इसका भी जवाब देने की आप कृपा करेंगे।

श्री विजय शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य अकलतरा के संदर्भ में कह रहे हैं, मैं उस विषय में जरूर बताता हूं। लेकिन मुझे बड़ा कष्ट हुआ है, बड़ा दु:ख हुआ है। हमारे नेता प्रतिपक्ष जी इतने वरिष्ठ हैं, उसके बाद भी उन्होंने कहा कि कोई किसी को [XX] बनाने की कोशिश कर रहा है। यह अद्भूत है। जिन्होंने खुद यहां बैठकर बार-बार गरीबों के आवास को ठुकराकर पूरी छत्तीसगढ़ की गरीब जनता को परेशान किया। आज वह यह बात बोलेंगे ? यह किस आधार पर बोले रहे हैं ? अध्यक्ष महोदय, मैं तो पूरी तैयारी के साथ आया था। मैंने सोचा था कि माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी भी आयेंगे तो पूरी बात की जायेगी। यह पत्र है जिसमें केन्द्र की सरकार ने ज्यादा आवास दिया और नहीं लेंगे करके वापस भेज दिया। इसमें दूसरे पत्र भी हैं। इसमें केन्द्र की सरकार में गिरिराज जी इस विभाग के मंत्री थे, उन्होंने आग्रह किया कि इसको ले लें, लेकिन नहीं लिया गया। नरेन्द्र सिंह तोमर जी मंत्री थे, उन्होंने आग्रह किया, लेकिन नहीं लिया गया। उसके बाद माननीय विष्णु देव साय जी की सरकार में जितने आवास आये हैं, मैं सारे पत्र रखकर बैठा हूं। इन सारी बातों के बाद आज तक मुख्यमंत्री विष्णु देव साय जी की सरकार में पूरे के पूरे 100 प्रतिशत आवास स्वीकृत, 2011 की आवास की पूरी सूची, उसके बाद 31 लाख नये आवासों का सर्वे, ये किया जाये। मेजों की (थपथपाहट) तब कोई सदन में माननीय नेता प्रतिपक्ष जी इतने वरिष्ठ होकर अगर यह कहें कि कोई किसी को [XX][3] बनाने की कोशिश कर रहा है तो मैं यही कहूंगा कि जनता को [XX] बनाया गया था। .. (व्यवधान)

श्री रामकुमार यादव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, ये तरीका ठीक नहीं है।,

श्री दिलीप लहरिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह तरीका ठीक नहीं है। .. (व्यवधान)

श्री सुशांत शुक्ला :- माननीय अध्यक्ष महोदय, ये तरीका ठीक नहीं है।.. (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- एक मिनट, आप लोग बैठिये। सुशांत शुक्ला जी, आप बैठिये।

श्री दिलीप लहरिया :- आप लोग सच को सुनने की आदत डालिये।।.. (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- एक मिनट । बैठिए-बैठिए । (व्यवधान) समय दूंगा, बैठिए। (व्यवधान)

श्री विजय शर्मा :- जनता को [XX] बनाया । (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- बैठिए । पहली बात तो यह है । (व्यवधान)

श्री अजय चंद्राकर :- हजारों ठेकेदारों के खाता में पैसा दिया जा रहा है । (व्यवधान)

[3] [XX] अध्यक्षीय पीठ के आदेशानुसार निकाला गया।

श्री दिलीप लहरिया :- वह फर्जी ढंग से किया जा रहा है । (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- आप बैठिए । नेता जी का प्रश्न है । वह अपनी बात को पूरी तरीके से कहने में सक्षम हैं ।

श्री देवेन्द्र यादव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, पूरक प्रश्न ।

अध्यक्ष महोदय :- जहां तक सवाल है [XX] [4] शब्द विलोपित हो चुका है उसका उपयोग सदन के अंदर किसी को नहीं करना है और इसलिये कार्यवाही आगे बढ़े । आप एक छोटा सा प्रश्न कर लीजिये ।

श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा जवाब ।

अध्यक्ष महोदय :- एक मिनट, बैठिए । यादव को मैंने बोला कि एक छोटा प्रश्न कर लें ।

श्री देवेन्द्र यादव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इस बात की स्पष्टता चाहता हूं कि जो हमारे विकलांग भाई हैं क्या उनके लिये कोई कोटा है?

श्री धर्मजीत सिंह :- विकलांग नहीं दिव्यांग ।

श्री देवेन्द्र यादव :- ठीक है । माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या दिव्यांग भाईयों के लिये कोई कोटा है ? क्या माननीय मंत्री जी उसकी कोई स्पष्टता दे पायेंगे कि कितने लोगों को दिया गया ?

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, बता दीजिये ।

श्री देवेन्द्र यादव :- एक मिनट । माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी पूरी बात हो जाये । क्या अल्पसंख्यक भाईयों के लिये कोई कोटा है ? क्या उसकी कोई स्पष्टता दे पायेंगे ? और मैं एक आखिरी प्रश्न करना चाहता हूं कि इन्होंने कितनी शहरी आवास की घोषणा की थी और कितने का यह टेंडर कर चुके हैं या कितने की प्रक्रिया आगे बढ़ायी है ? यह शहर में कितने लोगों को मकान देने जा रहे हैं ? चूंकि 18 लाख आवास के होर्डिंग्स तो दिखते हैं लेकिन प्रधानमंत्री आवास का शहर में कोई फण्ड आता हुआ नहीं दिखता है ।

अध्यक्ष महोदय :- यह उद्‌भुत नहीं होता । आपको जो जवाब देना है, आप दे दीजिये ।

श्री विजय शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यदि माननीय सदस्य मुझसे शहरी आवास का कहेंगे तो मैं इसमें कैसे बता सकता हूं । माननीय सदस्य आपको समझना होगा ।

श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय ।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न क्रमांक-3, मोहले जी । चलिये, बैठिए । मोहले जी ।

श्री राजेश मूणत :- गांव है कि शहर यही समझ में नहीं आ रहा है ।

[4] [XX] अध्यक्षीय पीठ के आदेशानुसार निकाला गया।

मनरेगा योजना अंतर्गत राज्य को केन्द्र सरकार से प्राप्त होने वाली राशि

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

3. (*क्र. 627) श्री पुन्नूलाल मोहले : क्या उप मुख्यमंत्री (गृह) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-मनरेगा योजना अंतर्गत केन्द्र सरकार से राज्य को 01 अप्रैल, 2024 से जून, 2025 तक कितनी राशि प्राप्त हुई? कितना व्यय किया गया? कितना शेष है? योजनांतर्गत प्राप्त राशि को किन-किन मदों के कितने कार्यों में खर्च किया गया है? क्या केन्द्र शासन द्वारा भवन, सड़क, मुरुमीकरण, अहाता निर्माण के कार्यों की स्वीकृति पर प्रतिबंध लगाया गया है ? यदि हां तो उक्त प्रतिबंध को हटाने अथवा शिथिल करने हेतु राज्य शासन द्वारा केन्द्र सरकार से कब-कब पत्राचार एवं क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं तो क्यों?

उप मुख्यमंत्री (गृह) (श्री विजय शर्मा) : जानकारी संलग्न "प्रपत्र"[5] अनुसार है। केन्द्र शासन द्वारा भवन, सड़क, मुरूमीकरण, अहाता निर्माण के कार्यों की स्वीकृति पर प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। शेषांश उद्भूत नहीं होता।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मनरेगा योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार में 1 अप्रेल, 2024 से जून, 2025 तक कितनी राशि व्यय की गयी ? कितनी शेष है तथा किन-किन मदों में खर्च किया गया ? आपने मजदूरी और सामग्री का मद बताया है और मेरे पूछने का आशय यह है कि क्या पक्का गली निर्माण, स्कूल भवन निर्माण, आंगनबाड़ी भवन निर्माण, पक्का नाली निर्माण, अहाता निर्माण अर्थात् मेरा आशय यह है कि इस आशय में आप जानकारी देना चाहें तो अच्छी बात होगी । मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि आपने सामग्री में तो खर्च किया और मजदूरी में बता दिया तो इन मदों के लिये क्या आपने प्रदेश में राशि स्वीकृति की है कि नहीं की है ?

श्री विजय शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय ।

अध्यक्ष महोदय :- मोहले जी हमारे सबसे वरिष्ठ विधायकों में से हैं । उनको बहुत अनुभव है तो मोहले जी के एक-एक प्रश्न का जवाब आपको देना है ।

श्री विजय शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बाहर में भी हमेशा इनके पूरे प्रश्नों का जवाब देता हूं । (हंसी) भैया कुछ ऐसे प्रश्न करते हैं कि मुझे भागना पड़ता है ।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- आप भी सीख लीजिये न ।

[5] परिशिष्ट "दो"

श्री विजय शर्मा :- इनका जो बाहर वाला प्रश्न है तो मुझे भाग जाना पड़ता है ।

श्री धर्मजीत सिंह :- वह "ए" सर्टिफिकेट वाला रहता है । (हंसी)

श्री द्वारिकाधीश यादव :- मंत्री जी, आप भी इनका सीख गये कि नहीं ?

श्री अजय चंद्राकर :- मोहले जी का जीवन ए.आई. से चल रहा है । आपको मालूम है कि अकेले होने के बाद उनकी उपलब्धता ए.आई. में बहुत है । (हंसी)

डॉ. चरणदास महंत :- उसमें भी संशोधन करा लीजिये । ए.आई. में संशोधन होता है, कर लीजिये नहीं तो गलत हो जायेगा ।

श्री अजय चंद्राकर :- आपको पूरा बता देंगे, आप बाहर निकलकर पूछ लीजिये ।

श्री धर्मजीत सिंह :- मोहले जी ए.आई. का इस्तेमाल संशोधित करके ही करते हैं । (हंसी)

श्री विजय शर्मा :- अर्थात् आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस के लिये ।

डॉ. चरणदास महंत :- यह ध्यान रखियेगा कि उनकी हर चीज आर्टिफिशियल है । (हंसी)

श्री अजय चंद्राकर :- आप भ्रम में हैं, इनकी कोई चीज आर्टिफिशियल नहीं है । आप भ्रम में हैं ।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इनको मेरे बारे में कैसे मालूम है ? (हंसी)

अध्यक्ष महोदय :- आप दोनों मैम्बर ऑफ पार्लियामेंट रहे हो न ।

डॉ. चरणदास महंत :- देखिये, हम विधायक के रूप में और सांसद के रूप में सालों साल से एक-साथ रहे हैं तो कभी ऐसी रातें भी आती थीं कि जब एक ही बिस्तर में गुजारे हैं। (हंसी)

श्री विजय शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसीलिये ऐसे प्रश्नों और बातों से थोड़ा बचकर रहना है । मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे माननीय वरिष्ठ सदस्य ने जो प्रश्न किया है उसका समुचित उत्तर वैसे इसमें है । नरेगा में तो मजदूरी, सामग्री और प्रशासनिक 3 ही मद हैं । उन्हीं मदों के आधार पर पूछा गया था और उन्हीं मदों के आधार पर जानकारी दी गयी है , लेकिन फिर भी अगर माननीय सदस्य कहते हैं कि उनको कार्यों के आधार पर जानकारी उपलब्ध कराना है तो मैं जरूर उपलब्ध करा दूंगा। इसमें जो विषय है कि कार्य की संख्या भी एक कॉलम में दी गयी है तो वित्तीय वर्ष 2024-25 में 7 लाख 15 हजार 453 कार्य और अभी 6 महीने में 3 लाख 49 हजार 587 कार्य। ये कार्य भी इसके अंतर्गत दिए गए हैं। बाकी व्यक्तिमूलक कार्य हैं या अन्य कार्य हैं, वह आप जैसा बताएंगे, वह मैं करवा दूंगा।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे पूछने का आशय है कि आवास निर्माण में आप मनरेगा की राशि का उपयोग कर रहे हैं और अन्य में फिर मैं बोल रहा हूं, चाहे आपका आंगनबाड़ी भवन हो, चाहे सी.सी. गली हो, पक्का नाली निर्माण हो, मल घर का निर्माण हो, यह आपने दूसरे प्रश्न में बता दिया कि प्रतिबंध नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब है कि प्रतिबंध नहीं है तो मैं बताया था कि

प्रदेश में इन कार्यों की स्वीकृति नहीं की जा रही है। उदाहरण के लिए मुंगेली जिले में तो क्या इसको आप भविष्य में स्वीकृति करेंगे या क्यों नहीं किये हैं, यह बता दें।

श्री विजय शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसे कि पिछले प्रश्न में ही स्पष्ट हुआ था कि पिछली सरकार ने प्रधानमंत्री आवास की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दिया था और काम ही नहीं किए थे। इसलिए इस सरकार में गरीबों के आवास को बनाने के लिए बहुत प्रयास करने की जरूरत पड़ रही है। अभी मैं आपको बताना चाहता हूं कि कुल मिलाकर 14 लाख 30 हजार नये आवासों की स्वीकृति दी गई है। प्रत्येक आवास के पीछे 90 दिनों का कार्य दिवस है। कुल आबंटित कार्य दिवस से अधिक कार्य दिवस इसके लिए हो जा रहा है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने केंद्र में बात की है और शीघ्र ही हमको नया और आबंटन इसमें मैन डेज के लिए मिल जाएगा। मैन डेज के लिए आवास मिल जाने के बाद कोई विषय ही नहीं है कि कार्य न हुआ हो, सारे काम पूरे किए जाएंगे।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- मैं फिर प्रश्न पूछना चाहता हूं कि प्रदेश में उनमें आपने स्वीकृति की या नहीं?

श्री विजय शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अधोसंरचनात्मक काम है । वर्ष 2024-25 में 2,147 अधोसंरचना के काम और वर्ष 2025-26 में भी 1,296 अधोसंरचना के कार्य किए गए।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अन्य जगह मंत्री जी जरूर बोल रहे हैं, लेकिन बहुत से ग्राम पंचायतों में कार्य नहीं हो रहा है तो मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करना चाहूंगा कि भविष्य में मैंने जो बताया है, वे पूरे प्रदेश में कराएंगे क्या?

श्री विजय शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय वरिष्ठ सदस्य जी हैं, इनका दिया हुआ काम पूरा न होकर कैसे जिया जा सकता है? अतः इनका दिया हुआ कार्य हमेशा पूरा होगा।

अध्यक्ष महोदय :- बहुत बढ़िया। सुश्री लता उसेंडी जी।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- माननीय अध्यक्ष महोदय..।

अध्यक्ष महोदय :- हो गया। इससे बड़ा जवाब क्या आयेगा? आप प्रश्न करिए तो आप पूछ सकते हैं। आप भविष्य में प्रश्न लगाइए न। लता जी।

मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी, कोण्डागांव के विरूद्ध प्राप्त शिकायतों की जांच एवं कार्यवाही

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

4. (*क्र. 655) सुश्री लता उसेंडी : क्या लोक स्वास्थ्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** जिला कोंडागांव में जनवरी, 2023 से जून,2025 तक कौन-कौन अधिकारी मुख्य स्वास्थ्य एवं जिला चिकित्सा अधिकारी, के प्रभार में थे या हैं? नाम, पदनाम, व अवधि सहित जानकारी उपलब्ध

करावें? **(ख)** इनके विरुद्ध किसके द्वारा, किसको, क्या-क्या शिकायत की गई है और शिकायतों के आधार पर इनके विरुद्ध क्या-क्या कार्रवाई की गई है? शिकायत वार वर्षवार जानकारी देवें? **(ग)** कंडिका "क" अनुसार अधिकारियों में किसके संबंध में विभागीय आदेश में F-01-66/2024, दिनांक 15/05/2025 को जारी किया गया है? इसमें क्या निर्देश दिए गए थे? उसका पालन कब किया गया? यदि नहीं किया गया तो क्योंव दोषी कौन है? **(घ)** आयुक्त, स्वास्थ्य विभाग के पत्र 34/21-03-2025 के अनुसार विधानसभा में दिए गए आश्वासन के आधार पर गठित जांच समिति में कौन-कौन सदस्य थे? उनके द्वारा कब-कब किसके विरुद्ध व क्या जांच की गई? जांच कब पूर्ण हुई? क्या जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया व इसमें दोषी कौन- कौन पाया गया व उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई? जानकारी देवें?

लोक स्वास्थ्य मंत्री (श्री श्याम बिहारी जायसवाल) : (क) जिला कोण्डागांव में जनवरी, 2023 से 26.06.2025 तक डॉ रामकेश्वर सिंह कुशवाहा, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के प्रभार में थे तथा दिनांक 27.06.2025 से डॉ. आर. के. चतुर्वेदी निरंतर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के प्रभार में हैं। **(ख)** मान, सुश्री लता उसेण्डी जी, विधायक, कोण्डागांव के द्वारा माननीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय को दिनांक 04.03.2025 को की गई शिकायत एवं मान. सुश्री लता उसेण्डी जी, विधायक, कोण्डागांव के द्वारा विधानसभा बजट सत्र 2025 में विधानसभा तारांकित प्रश्न क्रमाक-2257 के माध्यम से जिला कोण्डागांव के अंतर्गत राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के औषधि/चिकित्सकीय उपकरण/कज्यूमेबल एवं अन्य सामग्रियों का क्रय के संबंध में प्रश्न पूछा गया गया था, जिसके आश्वासन के परिप्रेक्ष्य में जांच संस्थित की गई। **(ग)** विभागीय आदेश F-01-66/2024, दिनांक15/05/2025, विभाग द्वारा जारी नहीं किया गया है। शेष प्रश्नांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।**(घ)** आयुक्त स्वास्थ्य विभाग के पत्र 34/21.03.2025 के अनुसार विधानसभा में दिये गये आश्वासन के आधार पर निम्नानुसार जांच समिति का गठन किया गया है -

1. श्री के. एस. मरावी, वित्त नियंत्रक, स्थानीय कार्यालय - अध्यक्ष 2. डॉ. व्ही. आर. भगत, प्रभारी उप संचालक, स्थानीय कार्यालय- सदस्य

3. डॉ. अजय शंकर कन्नौजे, उप संचालक (एन.एच.एम.), स्थानीय कार्यालय- सदस्य

4. डॉ. शैलेन्द्र अग्रवाल, राज्य नोडल अधिकारी, स्थानीय कार्यालय- सदस्य

टीम के द्वारा फील्ड विजिट कर जांच प्रक्रिया सम्पन्न की गई। विस्तृत जांच रिपोर्ट तैयार की जा रही है। जांच रिपोर्ट के आधार पर दोषियों के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

सुश्री लता उसेंडी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूं कि दिनांक 15/05/2025 को कोंडागांव जिला स्वास्थ्य प्रभारी, मुख्य चिकित्सक के अभ्यावेदन पर न्यायालय से विभाग को कोई निर्देश प्राप्त हुआ है क्या?

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, दिनांक 15/05/2025 को माननीय न्यायालय से उस डेट में कोई निर्देश प्राप्त नहीं हुआ है, परंतु उससे पहले जिस बात को ये जानना चाह रही हैं, माननीय न्यायालय ने यह निर्देश दिए हैं। मैं उसको डेट वाइज बता देता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये दिनांक 05/09/2024 को सी.एम.एच.ओ., कोंडागांव डॉ. रामकेश्वर सिंह कुशवाहा, उनका स्थानांतरण सी.एम.एच.ओ. से सी.एस. में कर दिए थे, उसके विरुद्ध माननीय न्यायालय ने दिनांक 05/09/2024 को स्टे दिया। । फिर उसकी पेशी की डेट 28/02/2025 को अंतरिम राहत दिया। फिर 06/03/2025 को अंतरिम राहत दिया। फिर 18/03/2025 को अंतरिम राहत दिए और 28/04/2025 को माननीय न्यायालय ने कहा यह कि अब विभाग उस पर निर्णय ले कि क्या करना है तो विभाग की कमेटी ने उस पर निर्णय लिया कि जो ट्रांसफर आदेश में स्थानान्तरण नीति 2022 का पालन हुआ है । इसलिए शासन का आदेश यथावत् रहेगा और इस आदेश को 15.05.2025 को जारी किया गया है ।

सुश्री लता उसेण्डी :- अध्यक्ष महोदय, मेरे पास 15.05.2025 का एक पत्र है । इसमें यह लिखा गया है, मैं उसकी अंतिम लाईन पढ़ रही हूं - राज्य शासन एतद् द्वारा माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर द्वारा याचिका क्रमांक डब्ल्यूपीसी/5435/2024 में पारित आदेश दिनांक 25.09.2024 के परिपालन में डॉक्टर रामकेश्वर सिंह कुशवाहा, चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन दिनांक निरंक को पूर्ण विचारोपरान्त अमान्य करता है । यह अमान्य करने के निर्देश की कॉपी मेरे पास है मैं माननीय मंत्री जी को उपलब्ध करा दूंगी । अगर 15.05.2025 को यह अभ्यावेदन अमान्य किया गया है तो उसके बाद से लेकर ट्रांसफर नीति जब लागू हुई और ट्रांसफर होने तक वहां पर प्रभार में कौन था और विभाग ने क्या कार्रवाई की ? अगर विभाग ने कोर्ट के इस निर्देश का पालन किया है और यदि नहीं किया है तो इसके लिए कौन दोषी है ?

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय वरिष्ठ सदस्य हैं। उन्होंने जिस लाईन को पढ़ा है, वह मेरे पास भी है । चूंकि मूल स्टे था उसके डेट और नम्बर को विभाग ने कोट किया है । उसके बाद से जैसा कि मैंने कहा कि यह 05.09.2024 का यह माननीय कोर्ट का निर्देश है इसके बाद से फिर जैसा कि मैंने कहा 28.02 को कोर्ट ने अंतरिम आदेश दिया है, मैं कॉपी भी दे दूंगा । इसके बाद 06.03 के अंतरिम आदेश की कॉपी है । इसके बाद 18.03 के अंतरिम आदेश की कॉपी है । यह मैं आपको दे दूंगा । यह कोर्ट में चल ही रहा था तो कोर्ट ने अंतिम में..।

सुश्री लता उसेण्डी :- अध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ इतना जानना चाह रही हूं कि अंतिम तिथि बता दें ।

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- आप जो जानना चाह रही है ।

सुश्री लता उसेण्डी :- मैं यह जानना चाहती हूं कि हमारे पास जो पत्र है वह 15.05.2025 का है

और न्यायालय का आदेश है तो यह अमान्य माना गया, इसका पालन आपके यहां हुआ या नहीं, यह बता दें ?

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- बिल्कुल हुआ है । यह 28.04 को आखिरी बार कोर्ट ने कहा कि विभाग निर्णय करे ।

सुश्री लता उसेण्डी :- मैं यह जानना चाह रही हूं कि इस पर कार्रवाई क्या हुई? चौथे नहीं, यह तो पांचवे महीने की बात कह रहे हैं ।

अध्यक्ष महोदय :- लता जी का मूल प्रश्न यह है आपने जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत किया तो दोषियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की, इतना ही जानना चाह रही हैं?

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- इनका 2-3 प्रश्न और है ।

अध्यक्ष महोदय :- एक का ही उत्तर दे दो ना ।

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- 15.05 के आदेश में कहा कि विभाग निर्णय करे, तो हमने निर्णय किया कि हम स्टे को नहीं मानेंगे और हमने सही किया है । उसका स्थानांतरण नीति वाला भी 15 मई जो जारी हुआ है और हमने जून में उसका ट्रांसफर सुकमा कर दिया है ।

सुश्री लता उसेण्डी :- ठीक है आपने लोकल जन प्रतिनिधियों की भावनाओं का ख्याल नहीं रखा और विभाग के अधिकारी आपके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण हैं, कोई बात नहीं । मैं यह जानना चाहती हूं कि हमने जांच के लिए भी कहा था, जांच समिति वहां गई थी और जांच की कोई रिपोर्ट आई है क्या ?

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- जी हां, जांच रिपोर्ट आई है और आपने इसी विधान सभा में 04 मार्च को शिकायत पत्र मुझे दिया था । उसमें शिकायत के आधार पर 21 मार्च को हमने समिति का गठन किया और समिति के गठन के बाद अप्रैल और मई में जांच हुई, जांच के बाद 11 जुलाई को रिपोर्ट आई है और उसमें अनियमितता पाई गई है ।

सुश्री लता उसेण्डी :- उस पर क्या कार्रवाई हुई ?

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- यह जांच हमने गंभीरता से की है । दीदी ने कहा कि अधिकारी महत्वपूर्ण हैं, हमारे लिए कोई महत्वपूर्ण नहीं है । छत्तीसगढ़ में जो भी गड़बड़ करेगा उसको सज़ा मिलेगी । हमने केवल तीन महीने में लगभग 100 पृष्ठों की जांच रिपोर्ट दी है । उसमें अनियमितता पाई गई है और उसमें 4 एनएचएम के हैं और 7 रेग्युलर स्टाफ हैं, 2 तत्कालीन सीएमएचओ हैं, 2 डीपीएम हैं, सभी को हमने नोटिस दिया है कि आपकी यह अनियमितता है, इस पर आपका क्या कहना है? क्योंकि प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के तहत् जब तक नोटिस नहीं देंगे, कार्रवाई नहीं कर सकते । क्योंकि वे फिर कोर्ट में जाएंगे और कोई मतलब नहीं होगा इसलिए नोटिस का जवाब आने के बाद जो भी होगा, नियमानुसार पूरी कार्रवाई करेंगे।

सुश्री लता उसेंडी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, कोर्ट को खेल तो स्वास्थ्य विभाग लगातार खेल

रहा है, यह हम लोग देख ही रहे हैं और बहुत सारे लोगों के विषय हैं। इसमें एक स्पष्ट निष्कर्ष निकला हुआ है जो माननीय मंत्री जी के पास है। मेरा प्रश्न यह है कि क्या उनको निलंबन करके EOW से जांच करायेंगे ?

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, उसमें जवाब आने के बाद अगर जरूरत पड़ी तो निलंबन भी करेंगे और जो-जो कार्रवाई नियमानुसार होगी सब करेंगे।

सुश्री लता उसेंडी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जब आपकी खुद की टीम जांच करने गई थी, आपके विभाग के सारे अधिकारी जांच करने गए थे, उनके समक्ष जितने संधारण पंजी है, वह उनके समक्ष ही हुए थे। आपकी टीम के सारे अधिकारी थे, उन्होंने यह निष्कर्ष रिपोर्ट निकाला है। क्या आप उसको निलंबन करके EOW से जांच करायेंगे ? मैं इतना ही चाह रही हूं। आप निलंबन भी कर सकते हैं। आप उनको नोटिस देकर क्यों बचाना चाह रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। इस विषय पर लगातार बातचीत हो रही है, मुझे नहीं लगता कि आने वाले समय में यह इसी तरह से चलता रहे। हमारी जो मंशा है, उसके अनुसार इसमें जांच की कार्रवाई हो पाएगी। मैं माननीय मंत्री जी से चाहूंगी कि क्या उन्हें निलंबित करके EOW से जांच करायेंगे?

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी माननीय वरिष्ठ सदस्य हैं। इनको धन्यवाद देना चाहिए कि हमने तीन महीने में इतनी बड़ी जांच कराई, यह दो-दो CMHO के कार्यकाल की जांच थी। 100 पन्ने की जांच रिपोर्ट है।

श्री अजय चंद्राकर :- जांच कराई है, उसकी रिपोर्ट तो बन ही नहीं रही है, इसमें जवाब में लिखा है, रिपोर्ट तैयार की जा रही है। कितने दिन में जांच हुई तब रिपोर्ट तैयार करने में कितने दिन लगेंगे, फिर कार्रवाई करने में कितने दिन लगेगी, यह बताईए। रिपोर्ट कितने दिन में तैयार होगी यह बताईए।

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- एक मिनट, जवाब आने दीजिए बैठिए। देखिए, अभी मैं मूल प्रश्नकर्ता का जवाब दे रहा हूं, आपका जवाब बाद में दूंगा। (हंसी) माननीय सदस्य महोदया ने जैसा पूछा क्या कार्रवाई करेंगे ? निश्चित रूप से कार्रवाई करेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने कोई चीज नहीं छिपाई है, इसमें अनियमितता पाई गई है और उसमें 11 लोगों के नाम है, चूंकि नियम प्रक्रिया है, आप सब लोग मंत्री भी रहे हैं। उसमें एक बार नोटिस देना पड़ेगा, यह जो जांच आई है, उसमें आपका क्या कहना है। विभाग पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट कार्रवाई करेगी, इसमें EOW से जांच का सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि विभाग जांच करने के लिए सक्षम है, अगर हमें लगेगा नहीं कर पा रहे हैं तो करेंगे।

सुश्री लता उसेंडी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, पूरी आर्थिक अनियमितता बताई गई है।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से केवल इतना पूछना चाहता हूं कि आपने नोटिस कब जारी की, उसकी तारीख बताएंगे और उसको कितने दिन की अवधि दी हुई है, उसको अवधि देने के बाद उसकी कार्रवाई की समय सीमा निर्धारित करेंगे। इसमें खरीदी में भी

अनियमितता पाई गई है, यह आर्थिक मामला भी है, गड़बड़ियां पाई गई है, जांचकर्ता ने सारी बातों का प्रतिवेदन दिया है, आपने अनियमितता स्वीकार की है, अनियमितता स्वीकार करने के बाद यह जो लंबी अवधि जा रही है, इसलिए आप तारीख बताईए और तारीख बताने के बाद कितने दिन के अंदर कार्रवाई हो जाएगी।

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, 11 जुलाई को रिपोर्ट आई है और हमने 12 जुलाई को नोटिस भी दे दी। इसमें हम अधिकतम एक माह के अंदर पूरी कार्रवाई करके सदस्य को बता देंगे ।

अध्यक्ष महोदय :- चलिए एक महीने की समय सीमा दी। आप बोलिए।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले EOW की बात कही तो आपने कहा कि जांच रिपोर्ट आने के बाद निर्णय लेंगे। आपने अभी यहीं हाऊस में कहा। उसके बाद दूसरे प्रश्न में कहा कि अभी जांच रिपोर्ट बनी नहीं है, कब बनेगी यह तय नहीं है। अभी एक महीने कहा और निर्णय हो गया कि EOW से जांच की जरूरत नहीं है, विभाग सक्षम है। दोनों में से कौन सी बात सही है, EOW से जांच की जरूरत बतायेंगे बोल रहे हैं, फिर बोलते हैं कि EOW की जांच की जरूरत नहीं है। मैं एक लाईन जानना चाहता हूं कि जांच की रिपोर्ट कब तक तैयार होगी और कितने दिन में कार्रवाई होगी माननीय सदस्य ने मांग की है ? आपने EOW से जांच नहीं करवाने का बिना जांच रिपोर्ट के किस आधार पर निर्णय ले लिया कि इसकी जरूरत नहीं है।

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जो बात कर रहे हैं, वह 10 जुलाई की है, जब विधान सभा में जवाब करना होता है, उस डेट तक जांच रिपोर्ट नहीं आई थी, अभी मेरे पास जांच रिपोर्ट उपलब्ध हो चुका है। मैंने सदन में बताया, शायद आपने नहीं सुना होगा, हमने इसमें अनियमितता पाई है और 11 जुलाई को हमारे पास रिपोर्ट आई है और 12 जुलाई को हमने उसका जवाब मांगा है कि आपने खिलाफ कमेटी ने यह अनियमितता पाई है, आपका क्या कहना है। इसके बाद जैसे ही उनका जवाब आता है, मैंने तो एक महीने ज्यादा ही समय बताया है, हम उस पर अतिशीघ्र कार्रवाई करेंगे।

अध्यक्ष महोदय :- चलिए समय सीमा में कार्रवाई करें। प्रश्न संख्या-5, श्रीमती शेषराज हरवंश।

मेकाहारा में बन्द पड़ी जांच मशीनों की मरम्मत

[चिकित्सा शिक्षा]

5. (*क्र. 586) श्रीमती शेषराज हरवंश : क्या लोक स्वास्थ्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) प्रदेश के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल, मेकाहारा, रायपुर में मरीजों को जांच की सुविधा

देने हेतु कुल छोटी, बड़ी एवं मध्यम जांच मशीनें कितनी मात्रा में लगाई गई हैं? मशीन का नाम एवं मात्रा सहित जानकारी देवें? (ख) प्रश्नांश 'क' के अनुसार जून, 2025 की स्थिति में कितनी जांच मशीनें चालू हैं? कितनी बन्द हैं? कब से बन्द हैं? बन्द होने का कारण क्या है? कब स्थापित की गई थी? गारंटी-वारंटी अवधि कितनी-कितनी थी? समस्त जानकारी मशीन के नाम सहित देवें? (ग) बन्द पड़ी जांच मशीनों के रिपेयर अथवा नया खरीदी हेतु विभाग द्वारा कब प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया गया? उसकी भी समुचित जानकारी देवें?

लोक स्वास्थ्य मंत्री (श्री श्याम बिहारी जायसवाल) : प्रश्नांक (क), (ख) एवं (ग) की जानकारी संलग्न प्रपत्र †[6] अनुसार है।

श्रीमती शेषराज हरवंश :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न के जवाब में माननीय मंत्री जी ने बताया है कि मेकाहारा हॉस्पिटल में 161 स्थापित मशीनों में से 50 मशीनों में कुछ तकनीकी खराबी है। कुछ आयु पूर्ण होने के कारण बंद पड़े हैं तथा कुछ मरम्मत योग्य नहीं है। मुझे माननीय मंत्री जी के उत्तर का कुछ संशोधित उत्तर अभी विधान सभा में प्रवेश के दौरान प्राप्त हुआ है। क्योंकि उस प्रश्न में मैंने वर्षवार कॉलम भी पूछा था। उसका जो उत्तर छूट गया था, वह मुझे अभी दिया गया है। अध्यक्ष महोदय, इन मशीनों में से कई मशीनें केवल एक संख्या में स्थापित की गई थीं और वह भी वर्षों से खराब पड़ी हुई हैं। छोटी व मध्यम स्तर की नई जांच मशीनों के प्रस्ताव भी अधिक समय से लंबित हैं। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहती हूं कि अब तक उन मशीनों की खरीदी नहीं किये जाने के क्या कारण हैं और विभाग में उपकरणों या मशीनों की खरीदी की क्या प्रक्रिया है ?

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने बहुत ही लोकहित का प्रश्न पूछा है और मेकाहारा अस्पताल की चिंता की है। मैंने अपने जवाब में भी बताया है कि वहां 161 मशीनें स्थापित हैं, उनमें से 50 मशीनें खराब हैं। उन 50 मशीनों में से 11 मशीनों के सुधार कार्य चल रहे हैं और 39 ऐसी मशीनें हैं, जिनकी आयु पूर्ण हो गयी है। उन 26 मशीनों की खरीदी के लिए हमारा जो सी.एस.पी.एच.टी.एच. मद है, उसमें कुल 82 करोड़ रूपये, यानी हम 70 करोड़ रूपये की खरीदी कर रहे हैं और रेग्यूलर बजट से 12 करोड़ रूपये की 13 मशीनों की खरीदी कर रहे हैं। इस प्रकार हमने 39 मशीनों की खरीदी प्रक्रिया चालू कर दी है और 11 मशीनों के सुधार कार्य चल रहे हैं।

श्रीमती शेषराज हरवंश :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने इस उत्तर के पहले ही कॉलम में रेडियेशन आंकोलॉजी विभाग का उल्लेख किया है। आंकोलॉजी पेट के कैंसर की मशीन होती है तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि हमारे छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े अस्पताल मेकाहारा में क्या हमारे पास कैंसर रोगियों के कैंसर की जांच करने वाली पेट मशीन नहीं है या फिर उसकी मशीन या उपकरण में गिनती नहीं की जाती है ?

---

[6] परिशिष्ट "तीन"

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को टेक्निकल चीजें बता देता हूं। आपने जांच मशीनों की बात की है तो आंकोलॉजी विभाग में जो पेट स्कैन मशीन होती है, वह जांच मशीन की श्रेणी में नहीं आती है। वह इलाज की श्रेणी में आती है, लेकिन मैं फिर भी आपको इसका जवाब दे रहा हूं कि यह वही मशीन है, जिसकी 20 करोड़ रूपये के आसपास की खरीदी की गई थी और पिछली सरकार 5 साल तक उसको कुछ नहीं कर पाई। उसमें रेडियेशन होता है और उसके अंदर रेडियेशन वाला उपकरण लगता है। वह मशीन बाहर विदेश से आती है। चूंकि वह मशीन बिना स्वीकृति की प्रक्रिया के खरीद ली गई थी, लेकिन हम हमारे विभागीय अधिकारियों से पूरी तरह से बातचीत करके जांच को अलग दायरे में रखकर उसमें जो गड़बड़ी की गई है और नियम विरूद्ध खरीदी की गई है, उस पर जांच भी होती रहेगी, लेकिन हम उस मशीन को चालू करेंगे। उसके लिए उसकी कंपनी के साथ हमारी 3 मीटिंग हो चुकी है। हमें उम्मीद है कि वर्ष 2017-2018 में खरीदी गई वह मशीन पिछले 8 साल से चालू नहीं हो पाई है, उसको हम चालू करेंगे।

श्रीमती शेषराज हरवंश :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय मंत्री जी ने पिछली कांग्रेस की सरकार का जिक्र किया है। यह मशीन 9 साल पहले आपकी सरकार के कार्यकाल में खरीदी गई थी। उस समय तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री माननीय वरिष्ठ सदस्य अजय चंद्राकर जी थे, जो अभी इस सभा में मौजूद हैं। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगी कि 9 साल पहले जो मशीन खरीदी गई थी, वह मशीन अभी तक चालू क्यों नहीं हो पाई है ?

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, एक मिनट, मैं जवाब दे दूं। आप तो ऐसी बात कर रही हैं, जैसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार में यदि हमने कोई भवन बना दिया तो उस भवन में आप 5 साल तक घूसेंगे ही नहीं। आप 5 साल तक क्या कर रहे थे ?

श्रीमती शेषराज हरवंश :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने कांग्रेस की सरकार का जिक्र किया, इसलिए मुझे बोलना पड़ा। (व्यवधान)

श्रीमती अनिला भेंडिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसका जवाब आप लोग देंगे।(व्यवधान)

श्रीमती शेषराज हरवंश :- माननीय अध्यक्ष महोदय, 9 साल पहले कांग्रेस की सरकार नहीं थी। आपने कांग्रेस सरकार का जिक्र किया है, इसलिए मुझे बोलना पड़ा।(व्यवधान)

श्री द्वारिकाधीश यादव :- अध्यक्ष महोदय, यह डबल इंजन की सरकार है।(व्यवधान)

श्री रामकुमार यादव :- अध्यक्ष महोदय, इसकी भी जांच की जाये। (व्यवधान)

श्री देवेन्द्र यादव :- माननीय अध्यक्ष महोदय। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- आपका प्रश्न हो जाए। पहले आप पूरा जवाब सुन लीजिए।

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, कार्यकाल के अंतिम समय में माननीय पूर्व स्वास्थ्य मंत्री जी और पिछली सरकार, जो आपके नेतृत्व में थी तो एक अच्छी सोच के साथ उस

मशीन को लिया गया था, लेकिन दुर्भावनावश पिछली सरकार ने 5 साल तक उसको चालू नहीं किया, जिससे उसकी पूरी रेडियेशन मशीन खराब हो गई। उसकी कंपनी विदेशों की है। हमने उनको बुलाया और उनके साथ बैठक करके उस मशीन को हम चालू कर रहे हैं। यह तो कोई बात नहीं हुई कि 8 साल तक वह मशीन चालू नहीं हुई। 5 साल तक आपकी सरकार पूरी चली है।

श्री देवेन्द्र यादव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वाइंटेड प्रश्न है।

श्रीमती शेषराज हरवंश :- माननीय अध्यक्ष महोदय, उस मशीन को किस प्रक्रिया के तहत खरीदा गया था ?

अध्यक्ष महोदय :- आपका उल्लेख हुआ है तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं।

श्री अजय चंद्राकर :- अध्यक्ष महोदय, मुझे प्रश्न नहीं पूछना है।

श्री देवेन्द्र यादव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा बहुत प्वाइंटेड प्रश्न है। बहुत important है।

अध्यक्ष महोदय :- हर बार आपका खड़ा होना जरूरी नहीं है। आप बैठिये। हर विषय में हस्तक्षेप नहीं होता है। कोई जरूरी विषय होता है, संदर्भित होता है तो अवसर दिया जाता है। चलिये, आपका नाम लिया है।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, पेट स्केन और गामा एक्सरें की दो मशीनें खरीदी गईं थीं। मैंने पिछले 5 साल में कम से कम 5 बार अलग-अलग विषयों में कहा है कि यदि इसमें किसी ने अनियमितता की है तो उसकी जांच करवाई जाये, लेकिन उस मशीन को चालू किया जाए। अगर वह दोनों मशीनें चालू होंगी तो छत्तीसगढ़ का जो कैंसर डिपार्टमेंट है, वह मध्य भारत का सबसे बड़ा कैंसर डिपार्टमेंट बनेगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, अब मैं दूसरी बात बता देता हूं कि आरोप-प्रत्यारोप में उसकी जांच होनी चाहिए। लेकिन उसमें यदि एक रूपये का भी भुगतान हुआ है, कोई गड़बड़ी हुई है, तो आपके समय में भुगतान हुआ। आखिरी खरीदी के समय कोई भुगतान नहीं हुआ था।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, उनको जवाब देने दीजिये।

श्री राम कुमार यादव :- तो काबर चालू नइ करेस गा ? मशीन ला लेय हस तो काबर चालू नइ करे हस ?

अध्यक्ष महोदय :- भोलाराम जी।

श्री भोलाराम साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आज मेरा जो प्रश्न लगा है, वह 16वें नंबर में है और इसी विषय से संबंधित है।

अध्यक्ष महोदय :- आप बोलिये, बोलिये।

श्री भोलाराम साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि खुज्जी विधान सभा क्षेत्र के ग्राम भोलापुर में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भवन पिछले 2 साल से बना हुआ है। लेकिन पद सेटअप स्वीकृत नहीं होने के कारण वहां पर लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिल पा

रही है। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि वहां पद सेटअप स्वीकृत कर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को संचालित करेंगे क्या ?

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न उद्भुत तो नहीं होता है। अभी मेडिकल एजुकेशन का प्रश्न चल रहा है और आप स्वास्थ्य का प्रश्न पूछ रहे हैं। माननीय सदस्य का प्रश्न लगा है। मैंने आपको कल बाहर ही बता दिया है कि आपकी सरकार ने भवन बनवा दी है, पद सेटअप स्वीकृत नहीं हुआ है तो आने वाले अगले बजट सत्र में इसको ले लेंगे।

अध्यक्ष महोदय :- श्री बघेल लखेश्वर।

श्री देवेन्द्र यादव :- माननीय अध्यक्ष महोदय..।

अध्यक्ष महोदय :- बघेल जी को बोलने दो। वह सीनियर विधायक हैं। वह उत्कृष्ट विधायक हैं, आप उनको अवसर तो दो, आप उनका भी अवसर ले रहे हो। बघेल जी, आप प्रश्न पूछिये।

बस्तर के शासकीय आश्रम/छात्रावासों में बालक-बालिकाओं का स्वास्थ्य परीक्षण

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

6. (*क्र. 687) श्री बघेल लखेश्वर : क्या लोक स्वास्थ्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** बस्तर संभागान्तर्गत स्थापित/संचालित शासकीय आश्रम/छात्रावासों में दर्ज बालक-बालिकाओं के पूरे वर्ष में स्वास्थ्य परीक्षण/जांच के लिए क्या-क्या नियम व दिशा-निर्देश तय किये गये हैं? **(ख)** प्रश्नांश "क" के परिप्रेक्ष्य में स्वास्थ्य विभाग के द्वारा प्रावधानित दिशा-निर्देशों के तहत् संभाग के प्रत्येक आश्रम/छात्रावास में दर्ज बच्चों के वर्ष 2023-24 से जून, 2025 तक किये गये स्वास्थ्य परीक्षण/जांच की स्थिति बतावें ? यह जानकारी संस्थावार बतावें ? **(ग)** बच्चों के स्वास्थ्य परीक्षण/जांच के दौरान कितने बच्चे अस्वस्थ पाये गये तथा संस्था/विभाग के द्वारा की गई कार्यवाही बतावें ?

लोक स्वास्थ्य मंत्री (श्री श्याम बिहारी जायसवाल) : (क) बस्तर संभागान्तर्गत स्थापित/संचालित शासकीय आश्रम/छात्रावासों में दर्ज बालक-बालिकाओं के पूरे वर्ष में राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (चिरायु) अंतर्गत वर्ष में 01 बार स्वास्थ्य परीक्षण/जांच किया जाता है। चिरायु अन्तर्गत प्रत्येक टीम में 02 आयुष चिकित्सा पदाधिकारी (01) पुरूष एवं 01 महिला), 01 एएनएम एवं 01 फार्मासिस्ट होते है। RBSK टीम के कार्य हेतु निम्नानुसार नियम एवं दिशा-निर्देश है:-

(A) RBSK टीम द्वारा अग्रिम भ्रमण शिक्षा विभाग के साथ समन्वय कर तैयार किया जाना है एवं उसके अनुसार शासकीय आश्रम/छात्रावासों का भ्रमण कर दर्ज बालक-बालिकाओं का स्वास्थ्य परीक्षण/जांच किया जाना है।

(B) प्रत्येक चिरायु दल द्वारा प्रतिदिन 120 बच्चों के स्वास्थ्य परीक्षण का लक्ष्य पूर्ण किया जाना है।

(C) पंजीकृत समस्त बालक-बालिकाओं का 4D's (जन्मजात विकृति, रोग, कमियां, विकासात्मक देरी) के लिए स्वास्थ्य परीक्षण किया जाना है।

(D) स्वास्थ्य परीक्षण दौरान यदि कोई समस्या पाई जाती है, तो चिरायु दलों द्वारा त्वरित उपचार प्रदाय किया जाता है एवं आवश्यकतानुसार उच्च स्वास्थ्य संस्था में उपचार के लिए रिफर किया जाता है।

(E) रिफर किये गये बच्चों का निःशुल्क इलाज सरकारी स्वास्थ्य केन्द्रों एवं पंजीकृत निजी अस्पतालों में किया जाता है।

(ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र अनुसार है। संस्था/विभाग द्वारा की गई कार्यवाही निम्नानुसार है:-

(A) स्वास्थ्य परीक्षण दौरान अस्वस्थ पाये गये बच्चों का चिरायु दलों द्वारा त्वरित उपचार प्रदाय किया गया है एवं आवश्यकतानुसार उच्च स्वास्थ्य संस्था में उपचार के लिए रिफर किया गया।

(B) रिफर किये गये बच्चों का निःशुल्क इलाज शासकीय अस्पताल एवं मान्यता प्राप्त निजी अस्पताल में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना अंतर्गत किया गया है एवं आवश्यकतानुसार फॉलो-अप किया जा रहा है।

श्री बघेल लखेश्वर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने बहुत विस्तृत जानकारी दी है। लेकिन आश्रम/छात्रावासों में जितनी बालक-बालिकाओं की दर्ज संख्या है, उसमें से 38,127 बालक-बालिकाओं का ही स्वास्थ्य परीक्षण हुआ है और उसमें से 6,918 बालक-बालिकाओं का ही ईलाज हुआ है। बाकी लोगों का परीक्षण क्यों नहीं हुआ और परीक्षण में जो गंभीर बीमारी पाई गई, उनको कहां-कहां रेफर किया गया, यह बताने का कष्ट करें ?

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य बहुत ही सीनियर हैं और बहुत ही चिंतनशील हैं। उन्होंने आश्रम/छात्रावासों के बालक-बालिकाओं का स्वास्थ्य परीक्षण का अच्छा प्रश्न लगाया है।

अध्यक्ष महोदय :- आज उनका अलंकरण भी किया जाना है। इसलिए प्रश्न का जवाब अच्छे से दीजिये ताकि वह प्रसन्न हो जायें।

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, बिलकुल। आपका आदेश है, हम उनको प्रसन्न करेंगे। (हंसी)

श्री रामकुमार यादव :- चन्द्राकर जी जैसे मत घुमाना।

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, दो प्रकार के आर.बी.एस.के.वाय. योजना के तहत हमारे बस्तर ही नहीं, पूरे छत्तीसगढ में ऐसे 324 टीम बनाकर जांच करवाते हैं। बस्तर क्षेत्र में विभाग ने इस दिशा में भी बहुत ही अच्छा काम किया है। बस्तर संभाग में कुल 3 लाख 66 हजार 53

छात्र-छात्राएं हैं, जिनके विरूद्ध 2 लाख 25 हजार छात्र-छात्राओं का परीक्षण करवाया है। उसमें से 43,553 लोग बीमार पाए गये। उसमें से 41,374 लोगों का ईलाज हुआ है।

साथ ही आप जानना चाह रहे थे कि कहां-कहां रेफर किए गए हैं, तो हम रायपुर के बड़े अस्पताल और जो अनुबंधित अस्पताल हैं, वहां करते हैं। पूरे बस्तर संभाग में ऐसे 6,089 ऐसे लोगों की सूची दी गई है, जिनका विशेष अस्पतालों में ईलाज करवाया गया है। जिनमें जन्मजात बीमारी जैसे हार्ट, आंख, टी.बी., कान की समस्या है, तो ऐसे 254 क्रिटिकल बीमारी के प्रकरणों में भी ईलाज करवाया गया है। यदि आपकी अनुमति हो तो 254 प्रकरणों में से एकाध स्टोरी को कोड करना चाहूंगा। सुकमा की एक रोशनी नाग नाम की बच्ची है, जिसको जन्म से ही हृदयघात था। ढाई वर्षीय रोशनी नाग का सत्य सांई अस्पताल के माध्यम से सफलपूर्वक ईलाज करवाया है। वह आंगनबाड़ी में पढ़ती थी और आज वह बहुत स्वस्थ है। इसी प्रकार ललिता यादव, दंतेवाड़ा की 12 वर्षीय बालिका है। उसको श्वास लेने में तकलीफ थी, वह नहीं चल पाती थी। उसका भी सफलतापूर्वक ईलाज हुआ है। मेरे पास सैकड़ों लोगों की स्टोरी है। निश्चित रूप से यह बड़ा सुकुन देने वाला पल होता है, जब हमारे बस्तर क्षेत्र के वनांचल क्षेत्र के लोगों का परीक्षण कर रहे हैं। आपने इस पर प्रश्न लगाया है तो मैं नि:संकोच कह रहा हूं कि हमारी इसमें क्षमता अभी और बढ़ेगी, हमने विशेष रिव्यू किया है।

श्री बघेल लखेश्वर :- धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्नकाल समाप्त।

(प्रश्नकाल समाप्त)

अशोधित/प्रकाशन हेतु नहीं

समय :

12:00 बजे

सदन को सूचना

छत्तीसगढ़ अंजोर विजन@2047 का विमोचन कार्यक्रम

अध्यक्ष महोदय :- छत्तीसगढ़ राज्य नीति आयोग एवं योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग द्वारा आयोजित किये जा रहे राज्य के **"छत्तीसगढ़ अंजोर विजन@2047"** का विमोचन कार्यक्रम दिनांक 17 जुलाई, 2025 को सायं 5:00 बजे मेफेयर लेक रिसॉर्ट, नवा रायपुर में निर्धारित है। इस कार्यक्रम में आप सभी सम्मानित सदस्य सादर आमंत्रित हैं।

समय :

12:00 बजे

पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) छत्तीसगढ़ राज्य मानव अधिकार आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2023-2024

मुख्यमंत्री (श्री विष्णु देव साय) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 (क्रमांक 10 सन् 1994) की धारा 28 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य मानव अधिकार आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2023-2024 पटल पर रखता हूं।

(2) राज्य आयुक्त, दिव्यांगजन छत्तीसगढ़ का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2024-2025

समाज कल्याण मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (क्रमांक 49 सन् 2016) की धारा 83 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार राज्य आयुक्त, दिव्यांगजन छत्तीसगढ़ का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2024-2025 पटल पर रखती हूं।

(3) छत्तीसगढ़ राज्य खाद्य आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2024-2025

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री (श्री दयालदास बघेल) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 19 एवं 30 के अंतर्गत अधिसूचना क्रमांक एफ 10-64/2009/खाद्य/29-2, दिनांक 01 सितम्बर, 2016 द्वारा अधिसूचित छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली (आंतरिक शिकायत निवारण) नियम, 2016 के नियम 9 के उपनियम (छ) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य खाद्य आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2024-2025 पटल पर रखता हूं।

(4) छत्तीसगढ़ स्टेट वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन का इक्कीसवां वार्षिक प्रतिवेदन एवं हिसाब पत्रक वित्तीय वर्ष 2022-2023

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री (श्री दयालदास बघेल) :-माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन अधिनियम, 1962 (क्रमांक 58 सन् 1962) की धारा 31 की उपधारा (11) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ स्टेट वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन का इक्कीसवां वार्षिक प्रतिवेदन एवं हिसाब पत्रक वित्तीय वर्ष 2022-2023 पटल पर रखता हूं।

पृच्छा

नेता प्रतिपक्ष (डॉ. चरणदास महंत) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी-अभी 11 जुलाई को ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी उपभोक्ताओं के लिए बिजली का टैरिफ बढ़ा दिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी, यह बताने में दु:ख हो रहा है कि आपने इसके पहले जून, 2024 में ही बिजली के बिलों में वृद्धि की है। बिजली बिलों के वृद्धि में आपने घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 8.30 रूपये प्रति यूनिट और औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिए 6.80 रूपये प्रति यूनिट का दर बताया है, जबकि रेलवे के लिए मात्र 5.55 रूपये प्रति यूनिट का दर है। आपने किसानों के लिए 6.55 रूपये का नई दर बना दिया है, जबकि आपने उच्च दाब वालों के लिए मात्र 4.95 रूपये प्रति यूनिट का दर रखा है। मेरा निवेदन है कि विभाग में पूरी तरीके से अनियमितताएं चल रही हैं। Land Loss में जो Loss हो रहा है, उसके कारण शासकीय निगम, मण्डल और जितने कार्यालय व अधिकारी हैं, वह बिजली बिलों का भुगतान नहीं कर पा रहे हैं और उसकी सजा आप हमारे आम उपभोक्ताओं, आम किसानों एवं गरीबों को दे रहे हैं, यह उचित नहीं है। आपके विभाग में जिस प्रकार से लगातार दुघर्टनाएं हो रही हैं। आपने देखा होगा कि वर्ष 2024 में गुढ़ियारी में घटना हो गई, 17 मार्च, 2025 को रायगढ़ में घटना हो गई, 45 दिन बाद भिलाई के एक गोडाउन में ट्रांसफार्मर में आग लग गई। इन सभी चीजों में आपको करोड़ों रूपये का Loss हो रहा है, उसको आप गरीबों के नाम से वसूल करना चाहते हैं। बड़े-बड़े लोगों के नाम, बड़े-बड़े विभागों के नाम और बड़े-बडे केन्द्र के संस्थान हैं, आप उनसे वसूल नहीं कर पा रहे हैं और आप गरीबों को परेशान कर रहे हैं। इससे पूरा प्रदेश परेशान है, मेरा निवेदन है कि आपको इसकी चिन्ता करनी चाहिये । हमने इस पर स्थगन प्रस्ताव दिया है, आपकी कृपा हो जाये, आप स्थगन प्रस्ताव स्वीकार कर लें तो इसमें विस्तृत रूप से इस पर जानकारी देंगे ।

श्री उमेश पटेल (खरसिया) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रदेश के आमजनों को बिजली की दरों से दोतरफा मार झेलना पड़ रहा है । वर्ष 2024 से लगातार दो वर्षों से बिजली की दरों में बढ़ोतरी हो रही

है । अध्यक्ष महोदय, सभी तरफ स्मार्ट मीटर भी लग रहे हैं, स्मार्ट मीटर में लोगों का अनुभव यह रहा है कि जो पहले के मीटर थे, उसमें जो चलता था, उससे डबल यूनिट लगभग स्मार्ट मीटर में आ रहा है । किसी का 200 यूनिट आता था, वह 400 आ रहा है । किसी का 600 यूनिट आता था, वह अब 1200 यूनिट आ रहा है । अध्यक्ष महोदय, स्मार्ट मीटर में लगातार वृद्धि हो रही है । हमारे नेता प्रतिपक्ष जी ने कहा है कि जिस तरह से पिछले एक्सीडेंट से इस विभाग को लॉसेस हुये हैं, उसकी भरपाई आप आमजनों से करवा रहे हैं और आमजन इससे बहुत ही ज्यादा परेशान है । अध्यक्ष महोदय, हम जितने भी लोग बैठै हैं, विधायक के तौर पर सभी के पास शिकायतें आ रही होंगी । गरीब से गरीब आदमी जिसका 75 हजार, 50 हजार, 1 लाख रूपये के बिजली बिल लोगों के पास आ रहे हैं । अध्यक्ष महोदय, आप इस विषय को स्थगन के रूप में स्वीकार करें, ताकि हम लोग वृहत रूप से चर्चा कर सकें ।

श्रीमती संगीता सिन्हा (संजारी बालोद) :- माननीय अध्यक्ष महोदय जी, दिव्यांगजन अपनी कुछ मांगों को लेकर विधान सभा के घेराव कर रहे थे ।

(माननीय मंत्री रामविचार नेताम जी के जीरो अवर में खड़े होकर बातचीत करने पर)

अध्यक्ष महोदय :- माननीय रामविचार नेताम जी, जीरो अवर चल रहा है, खड़े होकर बात करना, आप दोनों इतने वरिष्ठ हैं । अब आप बोलिये ?

श्रीमती संगीता सिन्हा :- अध्यक्ष महोदय जी, मैं उनके बारे में दो शब्द बोलना चाह रही हूँ ।

अध्यक्ष महोदय :- किसके बारे में ?

श्रीमती संगीता सिन्हा :- अध्यक्ष महोदय जी, विधान सभा घेराव के लिये दिव्यांगजन बाहर खड़े थे, उनको मारते पीटते...।

अध्यक्ष महोदय :- आपका विषय बदल गया ? आप नये विषय में बोल रहे हैं। आप बोलिये, जो विषय है ।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- इसको बोल देती हूँ ...।

अध्यक्ष महोदय :- आप जो बोलना है, बोलिये । कोई बात नहीं है । जीरो अवर में बोल सकते हैं ।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- अध्यक्ष महोदय, उनको मारपीट कर गाड़ी में बिठाकर ले जाया जा रहा है । मुंगेली जिले की एक महिला का हाथ भी टूट गया है । अध्यक्ष महोदय जी, इसको रोकिये और दूसरी बात हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में बिजली को लेकर बहुत परेशानी है । जो बिजली बिल आ रहे हैं और बिजली बंद हो रहे हैं, उस पर हम स्थगन चाहते हैं । कृपया करके समय दीजिए ?

अध्यक्ष महोदय :- देवेन्द्र यादव जी । बोलिये यादव जी ।

श्री देवेन्द्र यादव (भिलाई नगर) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, बिजली के दर जो हैं, वह निरन्तर बढ़ते जा रहे हैं । हमारा जो मध्यम वर्गीय परिवार है और गरीब परिवार का व्यक्ति है, उनको दैनिक जीवन में निरन्तर समस्यायें आ रही है । मेरा आपसे आग्रह है कि यह विषय बहुत ही गंभीर है और इसमें विस्तृत चर्चा होनी बहुत ही आवश्यक है । इस प्रदेश के अंदर बिजली बिल की बढ़ोतरी बहुत खतरनाक है और लाईट बंद होने की समस्या भी बड़ी गंभीर है । अध्यक्ष महोदय, हम पिछले दो साल से देख रहे हैं कि जिस तरह से बिजली विभाग का मैटेनेंस होना चाहिये, वह मैंटेनेंस में भी पूरी तरह फेल है और बिजली की दर लगातार बढ़ती जा रही है और जनता को सुविधायें नहीं मिल पा रही है । माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारा अनुरोध है कि इस पर चर्चा कराई जाये ।

श्री अटल श्रीवास्तव (कोटा) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, पूरे देश में ...।

अध्यक्ष महोदय :- नहीं, श्रीवास्तव जी । यादव को । आप बोलिये ।

श्री रामकुमार यादव (चंद्रपुर) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हमन देखत रेहेन के जो लईट के समस्या हे वह अच्छा रहाय, आप गांव के बात छोड़ो । गांव-गांव में माटी तेल बटत नइ ए । एक तो लईट गोल हो जात हे, सुसयटी में माटी तेल नइ मिलथे, बतावव त गरीब आदमी कइसे करै ? मच्छर चाबथे, भूसड़ी चाबथे, आपसे निवेदन हे कि एक त माटी तेल के समस्या ला दूर करव, लईट गोल में पूरा गांव-गांव म हाहाकार मच गे हे ।

अध्यक्ष महोदय :- स्थगन में महत्वपूर्ण विषय भूसड़ी और मच्छर भी उठाया गया है । आपको धन्यवाद ।

श्री रामकुमार यादव :- लईट गोल होथे त भूसड़ी जाबथे, मच्छर चाबथे । (हंसी)

अध्यक्ष महोदय :- गंभीर विषय है । चलिये ।

श्री अटल श्रीवास्तव (कोटा) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ को पूरे देश में सरप्लस बिजली स्टेट के नाम से जाना जाता है । हम यहां कोयला देते हैं, हम यहां पानी देते हैं...।

श्री रामविचार नेताम :- दोनों के बीच में रहेंगे तो भूसड़ी चाबेगा । (हंसी)

श्री अटल श्रीवास्तव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ सरप्लस बिजली के नाम पर जाना जाता है, हम सबसे ज्यादा कोयला का उत्पादन करते हैं, अपना पानी देते हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ में राज्य सरकार ने जिस तरह से बिजली का दर बढ़ाया है, जब 5 साल हमारी सरकार थी तो 20 पैसा रेट बढ़ा था और 2 साल की सरकार में 80 पैसा रेट बढ़ चुका है । अध्यक्ष महोदय, हमने इस विषय पर स्थगन प्रस्ताव लाया है, कृपया इसे ग्राह्य करें ।

अध्यक्ष महोदय :- श्री दिलीप लहरिया । सभी को बोलना जरूरी नहीं है, नेता जी ने बोल दिया है, अब दो चार लोग बोल लें । मैं आपको और अवसर दे दूँगा । दिलीप लहरिया जी अपनी बात रखें ।

श्री दिलीप लहरिया (मस्तूरी) :- माननीय पूरे प्रदेश में बिजली की बहुत गंभीर समस्या है और इस साल ऐसा प्रतीत हुआ कि जैसे पुराने जमाने में 15-20 साल पहले शादी में जैसे बने हुए पंखे से धूंककर कार्यक्रम होता था, उस तरीके से इस साल देखने को मिला है तो क्या आपकी सरकार में लोगों को बिजली नहीं मिल पा रही है । छत्तीसगढ़ को सरप्लस बिजली राज्य कहा जाता है, आज आधुनिक युग में हमारे वरिष्ठ लोग इस तरह से पुराना जमाना याद कर रहे हैं ।

श्री लखेश्वर बघेल (बस्तर) :- अध्यक्ष महोदय, बिजली विभाग की व्यवस्था बस्तर में एकदम चरमरा गई है । ट्रांसफार्मर लगाने में एक महीना लग रहा है । कल ही एक फोन आया था । एक महीने पहले से बोलने के बावजूद भी ट्रांसफार्मर नहीं बदल रहे हैं । इसी तरह पूरे जिले की स्थिति है । इसे गंभीरता से लिया जाये । साथ ही हमने स्थगन प्रस्ताव दिया है, इसमें गंभीरता से विचार कर चर्चा कराई जाये । साथ ही मैंने जल जीवन मिशन से संबंधित ध्यानाकर्षण लगाया है, उसे ग्राह्य करके चर्चा करवाएं ।

श्रीमती अनिला भेंडिया (डौंडीलोहारा) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने जो स्थगन लाया है, मैं उसका समर्थन भी करती हूं कि यह बहुत जरूरी है, इस पर चर्चा कराई जाए, पर मेरे क्षेत्र की बहुत जरूरी समस्या के बारे में मैंने शून्यकाल लगाया है कि मेरे डौंडी ब्लॉक के गौशाला से 300 मवेशी गायब हो गए हैं, यह जांच का विषय है। यह बहुत महत्वपूर्ण है । इसे आप ध्यान में लीजिए ।

समय :-
12:12 बजे

स्थगन प्रस्ताव

प्रदेश में विद्युत टैरिफ में वृद्धि एवं छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी में व्याप्त अनियमितता

अध्यक्ष महोदय :- मेरे पास प्रदेश में विद्युत टैरिफ में वृद्धि एवं छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी में व्याप्त अनियमितता के संबंध में 33 सदस्यों की ओर से स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं :-

चूंकि डॉ. चरणदास मंहत, सदस्य की सूचना सर्वप्रथम प्राप्त हुई है, अतः उसे मैं पढ़कर सुनाता हूँ :-

छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी की याचिका के आधार पर छत्तीसगढ़ विद्युत नियामक आयोग ने 11 जुलाई, 2025 को प्रदेश के सभी श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिए टैरिफ में वृद्धि की गई है। वर्तमान सरकार के सत्ता में आने के बाद 20 माह में दूसरी बार टैरिफ में वृद्धि की गई है। यह वृद्धि घरेलू उपभोक्ताओं सहित सभी वर्गो के लगभग 60 लाख उपभोक्ताओं को प्रभावित करेगी। इसके पहले जून 2024 में 7.39 प्रतिशत की वृद्धि की गई थी। बिजली की दरों में वृद्धि करके जनता के ऊपर मंहगाई का एक अतिरिक्त भार डाला गया है। बिजली उत्पादन में प्रयोग होने वाले रॉ-मटेरियल

एवं मजदूरी में कोई वृद्धि नहीं हुई है। उत्पादन लागत भी नहीं बढ़ी है। फिर दरों में वृद्धि का कोई कारण विद्यमान नहीं है। दरों में वृद्धि के उपरान्त अब सर्वाधिक दर 600 यूनिट प्रति माह से अधिक के घरेलू उपभोक्ता के लिए हो गई है। इतना ही नहीं किसानों के लिए अब बिजली की दरें उद्योगों की दरों से अधिक हो गई हैं। बिजली चोरी को रोकने में असफल तंत्र इसे लाईन लॉस में मर्ज कर देता है। राज्य शासन के विभिन्न विभागों पर लगभग 2500 करोड़ रूपये का टैरिफ भुगतान लंबित है। सब्सिडी के रूप में लगभग 5500 करोड़ रूपये की राशि भी राज्य शासन द्वारा बिजली कंपनी को भुगतान नहीं की गई है। इस प्रकार लगभग 8000 करोड़ रूपये अप्राप्त बताते हुए उसकी भरपाई प्रदेश की जनता से की जा रही है। प्रदेश की विद्युत वितरण व्यवस्था में तकनीकी सुधार हेतु आर.डी.एस. स्कीम भारत सरकार ने लागू किया है। छत्तीसगढ़ प्रदेश के लिए 3560 करोड़ रूपये की योजना स्वीकृत हुई है। इस योजना की 60 प्रतिशत अनुदान मद की राशि भारत सरकार से तब प्राप्त होगी, जब शासकीय विभागों द्वारा बिजली के देयकों की राशि का भुगतान कर दिया जाएगा। अन्यथा अनुदान की राशि ऋण में परिवर्तित हो जाएगी। दरअसल राज्य सरकार की आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब होने के कारण शासकीय विभागों, निगम मंडलों के बिजली बिलों का पूरा भुगतान समय पर किया जाना संभव नहीं हो रहा है। राज्य निर्माण के बाद बिजली विभाग के भण्डार गृहों में आग लगने की घटना नहीं हुई थी, परन्तु 20 माह में तीन बड़ी अग्नि दुर्घटनाएं 05 अप्रैल 2024 को गुढ़ियारी भण्डार गृह में, 17 मार्च 2025 को रायगढ़ में तथा उसके 45 दिन बाद भिलाई-3 ट्रांसफार्मर गोडाऊन में आग लगने के कारण विद्युत विभाग को सैकड़ों करोड़ रूपयों की आर्थिक क्षति हुई है, जिसके कारण विद्युत उत्पादन एवं आपूर्ति व्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हो रही है। छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी में व्याप्त अनियमितता, कुप्रबंधन, स्थापना व्ययों का बहुत अधिक होना, गलत क्रय नियमों के कारण अधिक मूल्य पर सामग्रियों का क्रय एवं उपयोग की जाने वाली सामग्रियों की गुणवत्ता निम्न स्तर का होना आदि अनेक कारणों से भी टैरिफ में बहुत वृद्धि होती है। इस कंपनी के असंतोषप्रद कार्यों से ग्रामीण उपभोक्तागण तो अनेक वर्षों से परेशान हैं ही, डिफाल्ट को सुधारने में कई-कई दिन लग जाते हैं, विद्युत नियामक आयोग विद्युत वितरण कंपनी की याचिका को स्वीकार कर लेता है। इनकी सेवाएं अविश्वसनीय हैं। लो-वोल्टेज के कारण तथा अघोषित कटौतियों के कारण किसानों को बहुत अधिक परेशानी होती है, उनके खेतों में सिंचाई नहीं हो पाती है। इस महत्वपूर्ण विषय में सदन की कार्यवाही रोककर चर्चा कराएं ।

इसमें मुख्यमंत्री जी वक्तव्य देंगे ।

मुख्यमंत्री (श्री विष्णु देव साय) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, विद्युत नियामक आयोग जो कि एक वैधानिक संस्था है एवं उसके द्वारा जनसुनवाई कर सभी पक्षों को सुनकर टैरिफ का निर्धारण किया जाता है। वर्ष 2025-26 के लिये घोषित टैरिफ में मात्र 1.89 प्रतिशत की वृद्धि परिलक्षित हो रही है, जो कि विगत वर्षों में न्यूनतम में से एक है। जारी टैरिफ का सभी श्रेणी के उपभोक्ता एवं उपभोक्ता संगठनों

जैसे कि मिनी स्टील इंडस्ट्री, रोलिंग मिल एवं फेरो एलॉय उद्योगों से संबंधित संगठनों एवं घरेलू उपभोक्ताओं द्वारा भी स्वागत किया गया है।

घरेलू विद्युत दर में मात्र 10 पैसे से 20 पैसे तक की वृद्धि की गयी है। कृषि पंप उपभोक्ताओं में 50 पैसे की वृद्धि की गयी है, परन्तु इसका प्रभाव कृषकों पर नहीं पड़ेगा क्योंकि कृषि पंप उपभोक्ता के विद्युत बिल का भुगतान शासन द्वारा सब्सिडी के रूप में किया जाता है, जो कि वर्तमान में शासन द्वारा अग्रिम रूप से प्राप्त हो रहा है। स्टील इंडस्ट्री की विद्युत दरों में कमी की गयी है ताकि प्रदेश में उद्योगों को बढ़ावा मिल सके।

बिजली कंपनी द्वारा छत्तीसगढ़ के शहरी क्षेत्रों में विगत वर्ष में औसत 23.85 घण्टे प्रतिदिन एवं ग्रामीण क्षेत्रों में 23.45 घण्टे प्रतिदिन विद्युत सप्लाई सुनिश्चित की गयी है। कृषि पंप उपभोक्ताओं को उन फीडरों जिनमें केवल कृषि पंप कनेक्टेड हैं 18 घण्टे प्रतिदिन विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है, जो कि पूरे देश के विभिन्न राज्यों के अधिकतम में से एक है। इसी प्रकार विगत वर्षों में तकनीकी एवं वाणिज्यिक हानि (AT&C Loss) को वर्ष 2020-21 में 23.14 प्रतिशत से घटा कर वर्ष 2024-25 में 13.79 प्रतिशत कर लिया गया है।

पॉवर कंपनी के अधोसंरचना विकास के लिये जारी टैरिफ में केपिटल इन्वेस्टमेंट प्लान का प्रावधान है, जिसके अंतर्गत ट्रांसमिशन कंपनी के लिये रू. 2433 करोड़, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के लिये रू. 3977 करोड़ एवं जनरेशन कंपनी के लिये 2992 करोड़ का प्रावधान किया गया है। उल्लेखनीय है कि जनरेशन कंपनी द्वारा कोरबा में 1320 मेगावॉट पॉवर प्लांट की स्थापना का कार्य प्रारंभ हो चुका है, जिसकी लागत रू. 15 हजार 800 करोड़ है। इससे भविष्य में पॉवर उत्पादन के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ सरप्लस हो जायेगा और विद्युत व्यवस्था निर्बाध रूप से प्रदाय की जावेगी।

भविष्य में 3 लाख करोड़ रूपये से अधिक के करार पॉवर कंपनी/शासन द्वारा किये गये हैं, इससे छत्तीसगढ़ प्रदेश में ऊर्जा उत्पादन के साथ-साथ रोजगार प्रदाय करने के क्षेत्र में भी क्रांति आयेगी।

प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना में 3 किलोवॉट तक के संयंत्रों की स्थापना हेतु केंद्रीय अनुदान 78000 रूपये के अलावा राज्य शासन द्वारा 2 किलोवॉट तक अतिरिक्त 30000 रूपये के अनुदान की घोषणा भी की गयी है। इससे हमारे घरेलू उपभोक्ता अपने घरों की छतों पर सोलर रूफ टॉप प्लांट लगा कर, मुफ्त बिजली की ओर अग्रसर होंगे एवं ऊर्जा प्रदाता भी बनेंगे।

इस प्रकार छत्तीसगढ़ सरकार वर्तमान एवं भावी कार्ययोजना बना कर प्रदेश के विद्युत उपभोक्ताओं को निर्बाध एवं गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने की दिशा में कार्य कर रही है। इस प्रकार लोगों में कोई रोष एवं आक्रोश व्याप्त नहीं है।

अध्यक्ष महोदय :- शासन का वक्तव्य तथा माननीय सदस्यों के विचार सुनने के पश्चात् मैं इसे प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं देता हूँ।

नेता प्रतिपक्ष (डॉ. चरणदास महंत) :- अध्यक्ष महोदय, हमारे स्थगन प्रस्ताव को माननीय मुख्य मंत्री जी ने सीरियस लिया और उसमें ध्यान दिया, उसके लिए तो मुझे धन्यवाद कहने का अवसर दे दीजिए।

अध्यक्ष महोदय :- बिल्कुल-बिल्कुल। आप धन्यवाद दे दीजिए।

डॉ. चरणदास महंत :- अध्यक्ष महोदय, मैं उनको धन्यवाद देता हूं और जैसा कि उन्होंने बताया कि प्रधान मंत्री सूर्यघर बिजली योजना के लिए उन्होंने 78 हजार और अतिरिक्त के लिए 30 हजार के अनुदान की घोषणा की है, तो ये घोषणा केवल घोषणा ही बनकर न रह जाए, जल्दी शुरूआत हो जाए और घरों के ऊपर बिजली मिलने लगे, ताकि आपका भार और कम हो जाए। मुझे इतना ही कहना है। आपको मैं धन्यवाद देता हूं।

अध्यक्ष महोदय :- मुख्यमंत्री जी ने कह दिया है तो वह पूरा होगा।

डॉ. चरणदास महंत :- साहब, यह तो बहुत कुछ कहते रहते हैं परंतु नीचे वाले कुछ नहीं करते।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री केदार कश्यप) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, स्थगन में भी धन्यवाद देने की परंपरा पहली बार हुई है, इसके लिए हम नेता प्रतिपक्ष जी को धन्यवाद देते हैं। (मेजों की थपथपाहट)

अध्यक्ष महोदय :- सभी पक्ष के लोगों को नेता जी को धन्यवाद देना चाहिए।

श्री केदार कश्यप :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हम माननीय मुख्यमंत्री जी को भी धन्यवाद ज्ञापित करते हैं।

अध्यक्ष महोदय :- हां, मुख्यमंत्री जी को भी धन्यवाद दीजिए।

कृषि विकास एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री रामविचार नेताम) :- अध्यक्ष महोदय, इसीलिए कहते हैं कि मोर संग चलो रे। संग चलने के लिए आपका आभार और आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। इसी तरह से मैं समझता हूं कि यह कार्यकाल प्रतिपक्ष की एक सकारात्मक भूमिका के रूप में जाना जायेगा। (मेजों की थपथपाहट) हम इसके लिए अभिनंदन करते हैं।

श्री रामकुमार यादव :- तुमन ला बिजली बिल बढ़ाये के लिए भी धन्यवाद।

(माननीय मंत्री श्री रामविचार नेताम द्वारा आसन पर बैठे-बैठे कुछ कहने पर)

श्री देवेन्द्र यादव :- हमने सुन लिया है।

समय:

12.22 बजे

ध्यानाकर्षण सूचना

(1) प्रदेश में शक्ति चलित कृषि यंत्रों व उपकरणों के वितरण हेतु लागू चैम्प्स व्यवस्था में अनियमितता होना।

श्री इंद्र साव (भाटापारा), द्वारिकाधीश यादव, श्रीमती चातुरी नन्द :- अध्यक्ष महोदय, मेरी ध्यानाकर्षण सूचना का विषय इस प्रकार है :-

प्रदेश में शक्ति चलित कृषि यंत्रों व उपकरणों के वितरण हेतु लागू चैम्प्स व्यवस्था में अनियमितता व्याप्त है। हाल ही में 14 मई, 2025 को कृषि यंत्रीकरण सबमिशन योजना का ऑनलाईन आवेदन करने के लिये पोर्टल खोला गया, पोर्टल शाम कार्यालयीन समय के बाद चालू हुआ तथा तत्काल बन्द हो गया। इसके बाद 7.30 बजे पोर्टल पुनः खोला गया और इसमें केवल दो ट्रेक्टर कंपनी सोनालिका (प्रीतम) व महिन्द्रा द्वारा ही अधिकतम ऑनलाईन एन्ट्री की गई जबकि अन्य कंपनी को पोर्टल में एन्ट्री करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। इसकी शिकायत ई-मेल से भी की गई किन्तु भ्रष्ट चैम्प्स प्रभारी अधिकारी द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया गया। पूरी चैम्प्स व्यवस्था कंपनियों के नियंत्रण में संचालित की जा रही है। यह व्यवस्था इसलिये लागू की गई थी कि किसान सीधे ऑनलाईन आवेदन कर सकें। किंबु स्थापित इस पोर्टल को प्रभारी अधिकारी द्वारा अपनी ऊंची पहुंच के माध्यम से मुट्ठी में कर लिया गया है। किसान कंपनियों के माध्यम से ही आवेदन कर सकता है, पिछले साल तथा इस वर्ष भी एक भी किसान द्वारा सीधे आवेदन नहीं किया जा सका है। कंपनी की एक आई.डी. से सैकड़ों कम्प्यूटर और लैपटॉप संचालित होने की सुविधा भ्रष्ट प्रभारी अधिकारी द्वारा कंपनियों को उपलब्ध कराई गई है, ताकि वे पोर्टल खुलते ही मनमाने ढंग से एन्ट्री कर सकें। संचालक द्वारा वर्ष की शुरुआत में जिलेवार लक्ष्य बांटा जाता है, जिसे ऑनलाईन एन्ट्री का आधार बताकर तथा अपनी पहुंच की धौंस दिखाकर चैम्प्स प्रभारी द्वारा प्रतिवर्ष अपने हिसाब से बदलवा दिया जाता है। इस व्यवस्था के कारण दंतेवाड़ा, सुकमा, नारायणपुर, बीजापुर जैसे आदिवासी क्षेत्र के इन जिलों के लिये बांटे गये प्रारंभिक लक्ष्य के ट्रेक्टर तथा उपकरण प्राप्त नहीं कर सकते और अपनी खेती को उन्नत नहीं कर सकते। वहीं जांजगीर, सक्ती, महासमुन्द और बेमेतरा जैसे जिले प्रारंभिक लक्ष्य की तुलना में अनेक गुना ट्रेक्टर और मशीन प्राप्त कर लेते हैं। जिला एवं जनपद पंचायत के जनप्रतिनिधि अपने कार्य क्षेत्र में लक्ष्य निर्धारण या अनुशंसा नहीं कर पाने से ठगा सा महसूस कर रहे हैं। केवल कुछ जिलो में ही यांत्रिकीकरण का विकास हो रहा है। प्रभारी, चैम्प्स की इस अव्यवस्था से राज्य के आदिवासी तथा पिछड़े जिलों के किसान यंत्रीकरण से वंचित हो रहे हैं। फलस्वरुप इनमें सरकार के प्रति रोष एवं आक्रोश व्याप्त है।

समय:

12.24 बजे **(सभापति महोदय (श्री प्रबोध मिंज) पीठासीन हुए)**

कृषि विकास एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री रामविचार नेताम) :- प्रदेश के शक्ति चलित कृषि यंत्रों, सिंचाई पंपों, ड्रिप/स्प्रिंकलर के वितरण हेतु सूचना प्रौद्योगिकी आधारित चैम्प्स व्यवस्था वर्ष 2017-18 से संचालित है, यह व्यवस्था प्रदेश में कृषि एवं उद्यानिकी मे यांत्रिकीकरण हेतु संचालित सभी केन्द्र प्रवर्तित एवं राज्य पोषित योजनाओ में यंत्रों के प्रदाय की व्यवस्था है।

दिनांक 14 मई, 2025 को चैम्प्स पोर्टल खोलने के संबंध में पत्र क्रमांक मुख्या/बी.कृ.वि.नि./चैम्प्स/2025-26/31 दिनांक 13.05.2025 द्वारा समस्त पंजीकृत प्रदायकों को सूचना दी गई है पोर्टल शाम कार्यालयीन समय के बाद प्रारंभ होने का प्रमुख कारण चैम्प्स पोर्टल के सिक्योरिटी ऑडिट नहीं होने के कारण चिप्स के द्वारा उसे तत्काल बंद कर दिया गया था। चैम्प्स प्रकोष्ठ प्रभारी द्वारा चिप्स से संपर्क एवं पत्राचार उपरांत पोर्टल दिनांक 14 मई, 2025 को सायं 5 बजकर 55 मिनट पर प्रारंभ हुआ। पोर्टल प्रारंभ होने के पश्चात् सर्वर में समस्या (अधिक लोड) होने के कारण पोर्टल धीमे कार्य कर रहा था तथा कभी-कभी एरर भी प्रदर्शित कर रहा था। अतः पोर्टल पुनः 7.30 बजे खोले जाने संबंधी कथन सही नहीं है। अपितु पोर्टल सायं 5.55 बजे प्रारंभ होने के पश्चात् निरंतर खुला रहा। पोर्टल प्रारंभ होने के पश्चात् समस्या, केवल 02 ट्रेक्टर सोनालिका एवं महिन्द्रा द्वारा अधिकतम ऑनलाईन एन्ट्री की गई जबकि अन्य कंपनियों को पोर्टल में एन्ट्री करने में दिक्कतों का सामना करने के संबंध में पोर्टल से संबधित विभिन्न तकनीकी पहलुओं की जांच हेतु सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में तकनीकी विशेषज्ञता रखने वाले विशेषज्ञों की समिति के माध्यम से जांच कराया जाना प्रक्रियाधीन है। प्रतिवेदन प्राप्त होने पर गुण-दोष के आधार पर यथोचित निर्णय लिया जाएगा।

टैफे ट्रेक्टर कंपनी के अधिकृत प्रदायक मेसर्स रिलायबल डिस्ट्रीब्यूटर, रायपुर द्वारा दिनांक 14.05.2025 को समय रात्रि 8.32 बजे ई मेल द्वारा अवगत कराया गया कि उन्हें पोर्टल में कृषकों के आवेदन की प्रविष्टि में समस्या आ रही है जबकि एक कंपनी के ही आवेदन पंजीकृत हो रहे हैं। पोर्टल के अवलोकन पर पाया गया कि 09 पंजीकृत प्रदायकों द्वारा 205 आवेदन पोर्टल में पंजीकृत कराये गये हैं।

चैम्प्स पोर्टल में पंजीकृत प्रदायकों को लॉगिन-पासवर्ड की सुविधा के साथ-साथ सभी इच्छुक कृषक जो चैम्प्स में सम्मिलित योजना का लाभ लेना चाहते हैं वे पोर्टल में सीधे पंजीयन करा सकते हैं। वर्ष 2024-25 में 506 एवं 2025-26 में अब तक 1763 किसानों द्वारा चैम्प्स पोर्टल में कृषि यंत्रों की प्राप्ति हेतु सीधे आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

चैम्प्स पोर्टल में एक ही लॉगिन-पासवर्ड का उपयोग कर विभिन्न कम्प्यूटर सिस्टम, लेपटॉप आदि में उपयोग किये जाने की सुविधा है। यह सुविधा किसी प्रदायक विशेष के लिये न होकर समान रूप से सभी के लिये है।

संचालक कृषि एवं उद्यानिकी द्वारा चैम्प्स में सम्मिलित योजना के लक्ष्य वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में जिलेवार जारी किये गये। योजना अंतर्गत बीज निगम मुख्यालय को जिलेवार, वर्गवार प्राप्त आवेदन एवं कृषक अंश के आधार पर भारत सरकार से प्राप्त राशि के उपयोग को दृष्टिगत रखते हुए संचालकों को लक्ष्य संशोधन का प्रस्ताव भेजकर संशोधित लक्ष्य प्राप्त करने के उपरांत स्वीकृति जारी की गई है।

दंतेवाड़ा, सुकमा, नारायणपुर जिलों में प्रदायित प्रारंभिक लक्ष्य के विरुद्ध ट्रेक्टर तथा उपकरणों के आवेदन एवं कृषक अंश राशि प्राप्त नहीं होने के कारण उक्त लक्ष्य को अन्य जिलों में जहां वर्गवार अधिक प्रकरण पंजीकृत होने के साथ-साथ कृषक अंश राशि भी जमा करायी गयी है, उन जिलों को लक्ष्यों का पुर्नविभाजन करते हुए संशोधित लक्ष्य जारी किये जाते हैं। वर्ष 2024-25 में दंतेवाड़ा जिले में कुल 27 (25 ट्रेक्टर), बीजापुर में कुल 22 (17 ट्रेक्टर), सुकमा कुल 18 (14 ट्रेक्टर) एवं नारायणपुर कुल 08 (7 ट्रेक्टर) के आवेदन स्वीकृत कर कृषि यंत्र/उपकरण प्रदाय किये गये हैं।

दिनांक 14 मई 2025 में ऑनलाईन पंजीयन संबंधी प्राप्त शिकायतों के परिपेक्ष्य में त्वरित कार्यवाही करते हुए 04 सदस्यीय जांच समिति गठित की गई। जांच समिति द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया गया है। समिति के अभिमत/अनुशंसा एवं गुण-दोष के आधार पर व्यवस्था में आवश्यक संशोधन करते हुए इसे और पारदर्शी एवं कृषकोन्मुखी बनाने की कार्यवाही की जाएगी। जिसमें जनप्रतिनिधियों की सहभागिता को सुनिश्चित किया जाएगा।

श्री इन्द्र साव :- माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से एक-दो प्रश्न पूछना चाहूंगा कि यदि चैम्प्स पोर्टल में इतनी शिकायतें आ रही हैं तो हमने इसके रख-रखाव के लिए गुजरात की कंपनी क्यों रखी है? हमारे छत्तीसगढ़ में एन.आई.सी. के माध्यम से भी इसे कर सकते हैं? माननीय मंत्री जी, मुझे यह बताने की कृपा करेंगे कि यदि साथ में इस शिकायत की जांच करायी जा रही है तो यह किस स्तर के अधिकारी द्वारा की जा रही है?

श्री रामविचार नेताम :- माननीय सभापति महोदय, हमारे वरिष्ठ अधिकारियों की समिति से एक तो विभागीय जांच कराई गई है और मैं माननीय सदस्य को और सदन को भी बताना चाहूंगा कि दूसरी जांच और हमारी विभागीय समिति ने जो जांच की है, जांच के बाद हमने एक टेक्नीकल कमेटी की भी जांच करने की अनुशंसा की है और यह प्रक्रियाधीन है। चूंकि अंतरविभागीय है, दूसरे विभाग से अनुमति लेकर हम कर रहे हैं, सामान्य प्रशासन विभाग की अनुमति से हम समिति को गठित करके, पूरा टेक्नीकली चिप्स के माध्यम से हम उसकी जांच कराने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। मैं समझता हूं कि उस रिपोर्ट के बाद जो भी अनुशंसा होगी, हम वह सब कार्रवाई पूरी निष्पक्षता के साथ करेंगे।

श्री द्वारिकाधीश यादव (खल्लारी) :- माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जांच टीम में कौन-कौन अधिकारी हैं, जांच किस-किस बिन्दु पर की जा रही है, कृपया जांच के बिन्दु बताने का कष्ट करें ?

श्री रामविचार नेताम :- माननीय सभापति महोदय, इस जांच समिति में चैम्प्स प्रणाली के अंतर्गत जो प्राप्त शिकायतें थीं, इस बारे में जैसा बताया कि हमने विभागीय स्तर पर कमेटी बनाई है और उसकी जांच कराई है। उस जांच समिति में श्री मुकुंद ठाकुर, उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, श्री राजेश राठौर, प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ बीज प्रमाणीकरण, श्री अश्वनी बंजारा, उपमहाप्रबंधक छत्तीसगढ़ बीज एवं कृषि विकास निगम, एस.के. चन्द्राकर, संयुक्त संचालक, वित्त संचालक कृषि। इस तरह से 4 सदस्यों की विभागीय कमेटी बनी थी। उस कमेटी ने जो विभिन्न शिकायत थी, उसके आधार पर जो बिन्दु थे, आप बिन्दुवार कहेंगे तो मैं पूरा पढ़ दूंगा, बहुत लंबा-चौड़ा है।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- माननीय मंत्री जी, हम लोग बिन्दुवार ही जानना चाहते हैं। आप प्रमुख बिन्दु बता दीजिए, पूरे बिन्दु नहीं बताईये।

श्री रामविचार नेताम :- माननीय सभापति जी, जांच में पाये गये प्रमुख बिन्दु थे उसमें तय किया गया कि कृषकों से वास्तविक रूप से जो आवेदन प्राप्त हुए, वह सही हैं कि नहीं, इस बारे में एक बिन्दु है। पूरी प्रक्रिया निष्पक्षता के साथ हुई कि नहीं और प्रदायकों को इसका अवसर मिला कि नहीं, इस बारे में अलग-अलग बिन्दु तय किये गये थे। साथ ही साथ अलग-अलग जिलों में जो पंजीयन हुए हैं, उसकी कितनी सूची है, कितने लोगों ने पंजीयन कराया। वर्ष 2018 से लेकर 2025 तक राज्य में जिलों में ट्रेक्टरों का संतुलित वितरण हो रहा है या नहीं हो रहा है, इस बारे में भी तय हुआ। इस प्रकार से पूरे बिन्दु तय किये गये थे, उसके आधार पर कमेटी ने जांच की है।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- माननीय मंत्री जी, आप एक तरह से जांच किये बोल रहे हैं और फिर दूसरी बात बोल रहे हैं कि जांच प्रक्रिया में है, आप दोनों बातें स्पष्ट कीजिए न।

श्री रामविचार नेताम :- सभापति महोदय, मैंने दो तरह की जांच की बात की। हमने पहली जांच विभागीय तौर से जो जांच प्रतिवेदन आया, उसमें बहुत सारी तकनीकी कुछ खामियां हैं। चूंकि तकनीकी से जुड़ा हुआ विषय है और इसलिए हम तकनीकी आधार पर भी जांच की ओर बढ रहे हैं उसकी परमीशन के लिए हमने सामान्य प्रशासन विभाग की ओर फाईल बढ़ाई है। जिसमें की एन.आई.सी. चूंकि हमारे पास एन.आई.सी. नहीं है तो संबंधित विभाग से हमें अनुमति लेनी होगी। एन.आई.सी. के चिप्स और गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कालेज के भी प्रतिनिधि शामिल करते हुए दूध का दूध, पानी का पानी हम करेंगे।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं आपकी विभागीय जांच में जितने बिन्दु पाये गये हैं, वह आप सदन को बताईये कि कि जो तकनीकी जांच

करायेंगे वह तो सेकंड पार्ट है। मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि प्रथम दृष्टया में जो पाया गया है उसमें कौन-कौन दोषी हैं और क्या-कया व्यवस्था हुई है ?

श्री रामविचार नेताम :- माननीय सभापति महोदय, विभागीय जांच समिति द्वारा जो जांच की गयी उसमें प्रक्रियात्मक त्रुटि जो उन्होंने रिपोर्ट दी है और दूसरी बात कि तकनीकी समिति से भी इसीलिये जांच करायी जा रही है कि जब प्रक्रिया ही त्रुटिपूर्ण है तो हम इसकी और विधिवत जांच करा लें इसलिये हमने एक टेक्निकल कमेटी बनाने का निर्णय किया है ।

सभापति महोदय :- बोलिये, चातुरी नंद जी ।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- माननीय सभापति महोदय, बस एक ही सवाल ।

सभापति महोदय :- आपने पूछ लिया । उन्होंने सभी सवालों का जवाब तो दे दिया ।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- माननीय सभापति महोदय, मेरा एक आखिरी सवाल है । मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जांच कब तक हो जायेगी ? आप कृपया समय-सीमा बतायें । दूसरी बात, मैं आपसे जांच के बिंदु में यह भी शामिल करने का निवेदन करता हूं कि विगत् 5-6 सालों से या वर्तमान 2 सालों में जो कृषि संयंत्र मैदानी ईलाकों में ज्यादा आ रहे हैं और आपका ही बस्तर या सरगुजा क्षेत्र हो वहां पर कम जा रहा है । यह भी प्रक्रिया में जांच हो, स्पष्ट हो । दूसरी बात, मैं एक और महत्वपूर्ण बात बोलना चाहता हूं कि महासमुंद जिला में खनिज न्यास से एस्पियर का टेंडर आमंत्रित किया गया है, टेंडर में इतनी अनियमितता थी कि हमारे सराईपाली के माननीय विधायक महोदय ने जब सदन में लगाया तो उस टेंडर में सप्लाई हो चुकी है, वर्क ऑर्डर हो चुका था और उस टेंडर का भुगतान नहीं हुआ था तो उस टेंडर को निरस्त तो कर दिया गया लेकिन प्रक्रिया में जो लीपापोती की गयी, हेरफेर किया गया उसमें आज दिनांक तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है । माननीय मंत्री जी, मैंने लिखित में दिया है । आप बोलेंगे तो मैं कल और दे दूंगा । मैं इसमें समय-सीमा चाहता हूं । चूंकि मामला गंभीर है, केवल और केवल 2 कंपनी के पोर्टल, स्पष्ट है कि ऑनलाईन टेंडर हुआ उसमें 2 कंपनी ने ही कैसे टेंडर हासिल कर लिया ? वह तो आप इतने सीनियर हैं, आप समझ रहे हैं । अभी तक तो आपको जांच कराकर समुचित कार्रवाई हो जानी थी क्योंकि 2 कंपनी ही कैसे टेंडर हासिल कर सकता है ? और उन कृषकों से बयान भी लिया जाये, जिन कृषकों के एक साजिशपूर्ण पहले से तैयारी थी कि ऑनलाईन ही किसानों से डॉक्यूमेंट लिया गया और यह केवल और केवल 2 कंपनी हासिल कर ही नहीं सकता । मामला गंभीर है, मैं आपसे केवल इतना आश्वासन चाहता हूं कि इसमें जल्द से जल्द समुचित जांच हो और कार्रवाई भी हो ।

श्री रामविचार नेताम :- माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य की चिंता वाजिब है और मैं समझता हूं कि यह हम सबकी चिंता है । जैसे ही शिकायत मेरी जानकारी में आयी, हमने तत्काल उसकी निष्पक्ष और पूरी गंभीरता से जांच कराने के लिये हमने विभाग प्रमुख के पास भेजा और उसके आधार

पर जांच आगे बढ़ रही है। यदि हमें इसमें कुछ दिक्कतें आ रही हैं कि विभागीय समिति ने जो जांच की है उसके बावजूद यदि हमारी किसी दूसरी तरह की भावना होती तो हम विभागीय समिति की रिपोर्ट के आधार पर ही क्लोज कर देते । इसके बावजूद कि लोगों को शंका न हो, हमने एक टेक्निकल कमेटी बनाकर फिर से हम जांच करायेंगे और उसकी रिपोर्ट के आधार पर जो भी कार्रवाई होगी, मैं समझता हूं कि अगले सत्र तक प्रस्तुत कर दिया जायेगा ।

सभापति महोदय :- श्रीमती चातुरी नंद जी ।

श्रीमती चातुरी नंद (सराईपाली) :- माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहत हंओं कि का चैम्प्स टू प्रारंभ करे बर गाईडलाईन जारी करे जा चुके हावय ? और यदि हां तो अभी तक लागू काबर नइ करे गे हावय ? ऐला रोके बर काकर दबाव हावय ?

श्री रामविचार नेताम :- यह आप सभी की जो-जो शिकायतें हैं या संबंधित लोगों की जो-जो शिकायत है इन सभी शिकायतों की सब बिंदु शामिल है अउ ओकर आधार पर बढ़िया से जांच होवत हे अऊ मैं समझत हंओं कि मैं जेन आश्वासन दे हंओं कि अगले सत्र तक ये पूरा जांच रिपोर्ट हा जो आही ओखर पूरा कार्रवाई करके आप मन ला अवगत करा दूहूं ।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय मंत्री जी, यह आश्वासन मैं 10-20 बता दूंगा । हाऊस में जो आपकी सरकार ने, आप लोगों ने दिया है वह पूरा नहीं हुआ । अब इस पर आप कुछ कहना चाहेंगे तो बता दीजिये ।

श्रीमती चातुरी नंद :- माननीय मंत्री महोदय, मैं यह पूछना चाहत हंओं कि जो गाईडलाईन जारी हो चुके हे, ओला अभी तक काबर लागू नइ करे गे हे ? मैं आपसे बस यह पूछना चाहत हंओं कि काकर दबाव में ऐला लागू नइ करे जात हे ?

श्री राम विचार नेताम :- जो भी गाइडलाइन है, उसके आधार पर ही सब योजना संचालित हो रही हैं।

श्रीमती चातुरी नंद :- जो योजना हे, गाइडलाइन के हिसाब से संचालित नहीं होवथे। मैं माननीय मंत्री महोदय से माफी चाहथव। अगर योजना गाइडलाइन के हिसाब से चलत रहतिस तो आज किसान मन परेशान नहीं रहतिन। मैं एक सवाल और माननीय मंत्री महोदय जी से पूछना चाहथव कि ये जो जिलेवार लक्ष्य बांटे जाथे, ये लक्ष्य हा बार-बार चैम्प्स के अधिकारी के प्रस्ताव पर काबर बदल दिए जाथे?

श्री राम विचार नेताम :- हम एक बार लक्ष्य निर्धारित होने के बाद बार-बार नहीं बदलते हैं। हां, इतना जरूर हुआ था कि कुछ जिलों में जब पर्याप्त आवेदन नहीं आये तो उसका जो कोटा था किसी और जिले में उसे स्थानांतरित कर दिया।

सभापति महोदय :- चलिए।

श्रीमती चातुरी नंद :- माननीय मंत्री महोदय, का ये विभाग में जो धांधली होवथे, ओ धांधली ला रोक करके किसान मन ला आप मन लाभ पहुंचा सकथौ।

श्री राम विचार नेताम :- मोर पूरा उत्तर ला सुने हौ कि नहीं दीदी?

श्रीमती चातुरी नंद :- आपके उत्तर सुनकर ही कहाथव।

श्री राम विचार नेताम :- मोर सुने के बाद अब स्पष्ट हो जाए चाही कि हमर सरकार सुशासन के सरकार हे। हमर आदरणीय मुख्यमंत्री विष्णु देव साय जी के सुशासन के सरकार में कोई ला समस्या अगर होते तो तुरंत बताए, ओखर निराकरण करबो।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- माननीय सभापति महोदय, मंत्री जी, आपके सुशासन में 40 विद्वान सदस्य और श्री अजय चन्द्राकर जी ने अभी बोला है..।

सभापति महोदय :- द्वारिकाधीश जी, मंत्री जी जवाब दे रहे हैं।

श्री राम विचार नेताम :- जहां तक आपके बात हे, उन सभी विषयों को हम शामिल किए हैं और उसमें किसी प्रकार की कोई चिंता की बात नहीं है। हमर सरकार पर भरोसा रख। अभी देखो नेता प्रतिपक्ष जी स्थगन में आप मन के सहयोग से हमर शासन ला बधाई देहे, धन्यवाद देहे, ये कम बड़ी बात नहीं है। (मेजों की थपथपाहट) एखर शिकायत के पूरा निराकरण करबो तो आप मन धन्यवाद देबो कि नहीं? देंगे न।

सभापति महोदय :- चलिए, सारे जवाब आ गए हैं।

श्रीमती चातुरी नंद :- सर, एक सवाल और । माननीय मंत्री महोदय जी आप कहाथव कि ये सुशासन मा जम्मो झन खुश हावे। तो मैं कहना चाहथव कि ये जो केवल दो ही कंपनी है, जे मन अधिकतम एंट्री करे हे, का ओमन ला कोनो विशेष प्रकार के सुविधा दे गे रहिसे और बाकी कंपनी मन के साथ यह भेदभाव काबर होइस कि ओमन एंट्री नहीं कर सकिस?

श्री राम विचार नेताम :- देखिए, मैं एक तो स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हम किसी कंपनी के लिए काम नहीं कर रहे हैं। हम प्रदेश के किसानों के हित में काम कर रहे हैं (मेजों की थपथपाहट) और उनकी चिंता हमारी चिंता है। अब कौन कंपनी आ रहा है, कौन प्रदाय कर रहा है, उससे लेना-देना नहीं। किसान जो चाहता है, वह उसे मशीन, ट्रैक्टर मिलना चाहिए। इस दिशा में हमारी सरकार, शासन ये काम कर रही है।

श्री उमेश पटेल :- माननीय मंत्री जी, आप बोल जरूर रहे हैं, लेकिन यह ध्यानाकर्षण इसीलिए लगा है कि आपकी सरकार के द्वारा उन दो कंपनियों को स्पेशल ट्रीटमेंट दिया गया है, इसीलिए तो यह ध्यानाकर्षण लगा है। यही दो कंपनी क्यों आई, बाकी लोगों को क्यों छोड़ दिया गया? यह ध्यानाकर्षण तो यही चीज के लिए लगा है।

श्री ब्यास कश्यप :- माननीय सभापति महोदय।

श्री राम विचार नेताम :- इसी की तो हम टेक्निकल आधार पर जांच करा रहे हैं। अगर इसमें किसी प्रकार से कोई दोषी है। जो कारण जो तथ्य उत्तर में आए हैं, उससे भी पूरी तरह से और निष्पक्षता के साथ उसकी हम जांच करा रहे हैं, छानबीन करा रहे हैं। इसीलिए टेक्निकल विंग के इतने ऊंचे अधिकारियों की हमने टीम बनाकर जांच कराने का निर्णय लिया है। इसलिए आप थोड़ा सा धैर्य रखिए। रिपोर्ट आने दीजिए। आने के बाद कोई भी किसी प्रकार शंका हो तो बताइएगा।

श्री सुशांत शुक्ला :- सभापति महोदय, पिछली पूर्ववर्ती सरकार में ट्रैक्टर कहां गया था, यह तो बताइए।

श्री राम विचार नेताम :- हमारी शासन में रही बात प्रदायकर्ता का, ऑनलाइन जो आवेदन किए हैं, सिर्फ दो नहीं किए हैं। मैं आपको अवगत करा देना चाहता हूं कि दो नहीं, बल्कि इसमें नौ प्रदायककर्ताओं ने भाग लिया है। अलग बात है कि दो का अधिक आया है। उसमें इसी प्रकार से वर्ष 2025-26 में ट्रैक्टर हेतु प्राप्त ऑनलाइन जो आवेदन है, उसे भी मैं सदन में आपको अवगत करा दूं कि इसे पूरी तरह से हम निरस्त कर रहे हैं और नए सिरे से हम आवेदन आमंत्रित करेंगे।

श्री सुशांत शुक्ला :- अरे, पिछले कार्यकाल में कितने (अस्पष्ट) यह तो बताइए।

सभापति महोदय :- सुशांत जी बैठिये ।

श्री द्वरिकाधीश यादव :- सभापति जी ।

सभापति महोदय :- द्वारिकाधीश जी आपने बहुत बातें रख ली हैं ।

श्री ब्यास कश्यप :- मंत्री जी ने जांच कराने की बात कही है ।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- मंत्री जी ने एक बात कही, इसलिए मैं बोल रहा हूं।

सभापति महोदय :- माननीय मंत्री जी ने बहुत स्पष्ट रूप से सभी बातों का जवाब दिया है ।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- आप निरस्त कर रहे हैं, अच्छी बात है । यदि निरस्त कर रहे हैं तो इससे स्पष्ट हो गया कि अनियमितता हुई है । अगर अनियमितता नहीं हुई होती आप निरस्त नहीं करेंगे । यदि निरस्त कर रहे हैं तो कार्रवाई भी होनी चाहिए । केवल निरस्त करना ही पर्याप्त नहीं है ।

श्री ब्यास कश्यप :- सभापति महोदय, बहुत समय से मंत्री महोदय के समक्ष अपनी बात रखने का प्रयास कर रहा हूं । जांजगीर-चांपा ज़िले में 18 करोड़ रूपए का किसको बांटे, क्या बांटे, जिसके नाम से ज़मीन नहीं, उनको स्पेयर पम्प बांटे । हाई कोर्ट ने जिस मशीन पर प्रतिबंध लगाया कि आप आटा चक्की नहीं बांट सकते, धान कुट्टी नहीं बांटे । तो ये 18 करोड़ का किसको बांटा गया ? मंत्री महोदय कृषक की बात करते हैं, जिसके पास ज़मीन नहीं है उनको भी बांटा है ।

श्री सुशांत शुक्ला :- वैसे ही बंटा, जैसे पिछली सरकार में पाटन में बंटा था । आप तय कीजिए पहले कि कौन बांटा ? यदि आपके पास दस्तावेजी प्रमाणीकरण है तो सदन में बताइए ।

श्री ब्यास कश्यप :- जैसा पहले बंटता था, क्या आप भी वैसा ही बांटना चाहते हैं ?

श्री सुशांत शुक्ला :- आप पहले तय कीजिए । आपके पास यदि दस्तावेजी प्रमाणीकरण है तो सदन में बताइए ।

श्री ब्यास कश्यप :- आप बार-बार पिछली सरकार की बात कर रहे हैं । जांजगीर-चांपा जिले में 18 करोड़ का बंटा है । किसको बंटा है, क्या बंटा है, जांच करवाएंगे मंत्री महोदय ।

सभापति महोदय :- ब्यास जी, ये ध्यानाकर्षण का समय है और जिन्होंने ध्यानाकर्षण लगाया, उसकी तैयारी में मंत्री जी जवाब दे रहे हैं । आपका विषय आपके क्षेत्र का व्यक्तिगत् विषय है । उसके जानकारी मंत्री जी अलग से दे देंगे ।

श्री ब्यास कश्यप :- दे देंगे, अच्छी बात है । चूंकि ध्यानाकर्षण में तीनों माननीय सदस्यों ने अपनी बात कह दी । यह मामला किसानों का था तो किसानों में जो बंटा है उसी विषय पर मैं अवगत करा रहा हूं कि हमारे जांजगीर-चांपा जिले में 18 करोड़ की राशि को किसानों में कैसे बांटा, किसको बांटा, कहीं कोई जानकारी नहीं आ पाई है । मेरे पास पेपर की कटिंग है जिसमें लिखा है कि जिसके पास ज़मीन नहीं है, ख़ासकर बम्हनीडीह विकासखंड में, जिनकी एक इंच ज़मीन नहीं है उनको भी स्पेयर पम्प बांट दिया गया है । कृपा करके माननीय मंत्री जी इसकी भी जांच करा दें और दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई करें । यही तो हमारी मांग है ।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय ब्यास जी डीएमएफ की राशि की बात कर रहे हैं, अभी भी कुछ लोग जेल में हैं और अभी भी कुछ लोग बेल में हैं (मेजों की थपथपाहट) किसकी सरकार ने यह खेल खेला है ।

श्री ब्यास कश्यप :- जो भी करे जेल होना भी चाहिए । वर्तमान में भी डीएमएफ घोटाला हो रहा है उसकी चिंता क्यों नहीं करते ? आप बार-बार पुरानी बातों को कहते हैं ।

उप मुख्यमंत्री (गृह) (श्री बिजय शर्मा) :- माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने कहा, तो जितने भी जेल में हो, बेल में हो लेकिन वे भी अंदर होंगे, जो जो खेल में थे (मेजों की थपथपाहट) ।

श्री ब्यास कश्यप :- धन्यवाद् मंत्री जी कि आपने कहा कि वर्तमान में जो डीएमएफ में खेल कर रहा है तो वे भी जेल में होना चाहिए ।

सभापति महोदय :- आज भोजनावकाश नहीं होगा ।

(सभा द्वारा सहमति प्रदान की गई)

सभापति महोदय :- माननीय स्वास्थ्य मंत्री (श्री श्याम बिहारी जायसवाल) की ओर से माननीय सदस्यों के लिए लॉबी स्थित कक्ष में एवं पत्रकारों के लिए प्रथम तल पर भोजन की व्यवस्था की गई है । कृपया सुविधानुसार भोजन ग्रहण करें ।

(2) मेसर्स नलवा स्टील एण्ड पावर लिमिटेड को आवंटित की जाने वाली खदान से आसपास के लगे ग्रामों में गाड़ियों के परिवहन एवं प्रदूषण से होने वाली जान-माल की क्षति.

श्री अनुज शर्मा (धरसींवा) :- सभापति महोदय, मेरी ध्यानाकर्षण सूचना का विषय इस प्रकार है - विधानसभा क्षेत्र धरसींवा अंतर्गत तिल्दा ब्लाक मे मेसर्स नलवा स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड को अपने औद्योगिक उपयोगार्थ ग्राम पचरी, परसदा, छड़िया, अलेसुर, मघईपुर तथा मोतिमपुर खुर्द मे खदान का आवंटन किया जाना है, जिसमें प्रभावित कुछ ग्राम पंचायतों की खदान से दूरी 100 मीटर से भी कम है, जहां इन खदानों में लगातार ब्लास्टिंग एवं बड़ी मशीनों के माध्यम से खुदाई की जायेगी। खदानों से लगे इन ग्रामों के ग्रामीणों को ब्लास्टिंग के कारण जहां अपने घर के ढ़हने के साथ-साथ बड़ी गाडियों से परिवहन एवं प्रदूषण के कारण अपने जान माल की हानि का डर है, वहीं इन खदानों की स्वीकृति होने से सभी ग्रामों की कुल मिलाकर लगभग 75 एकड चारागाह, 8 एकड गौठान, 4 एकड का शमशान भूमि, 2 तालाब लगभग 8 एकड तथा 25 एकड के बांध के साथ-साथ ग्राम उपयोग की अमूल्य भूमि इस खदान की ज़द में आ जायेगी। इस खदान से न केवल इन ग्रामवासियों में भय व्याप्त, है अपितु आसपास स्थित स्कूलों के सामने से खनिज के परिवहन हेतु भारी वाहनों के लगातार आवागमन से अपने बच्चों की भविष्य एवं जीवन की चिंता सताने लगी है। मेसर्स नलवा स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड के प्रस्तावित खदान को सरकार से अनुमति प्राप्त होने की कार्यवाही से आसपास के ग्राम वासियों में भारी रोष एवं आक्रोश व्याप्त है।

आवास एवं पर्यावरण मंत्री (श्री ओ.पी. चौधरी) :- माननीय सभापति महोदय, खनिज विभाग से प्राप्त जानकारी अनुसार, विधानसभा क्षेत्र धरसीवा अंतर्गत तिल्दा तहसील के नहरडीह-मधईपुर चूना पत्थर ब्लॉक के रकबा 365.252 हेक्टेयर क्षेत्र (शासकीय भूमि - 12.678 हेक्टेयर एवं निजी भूमि 352.574 हेक्टेयर) का ई-नीलामी के माध्यम से आवंटन किये जाने हेतु अधिकतम बोली प्राप्त होने पर मेसर्स नलवा स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड को प्रीफर्ड बिडर घोषित किया गया एवं खनिज नीलामी नियम, 2015 के नियम 9 (9) (ii) के तहत् छत्तीसगढ़ शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय महानदी भवन रायपुर के आदेश दिनांक 04.08.2022 के द्वारा खनिज चूनापत्थर खनिज पट्टा हेतु सशर्त आशय पत्र जारी किया गया है।

मेसर्स नलवा स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड द्वारा ग्राम-पचरी, छड़िया, अलेसुर, मघईपुर एवं मोतिमपुर खुर्द, तहसील खरोरा, जिला रायपुर (छ.ग.) में प्रस्तावित नहरडीह मधईपुर लाईमस्टोन ब्लॉक ऑफ लाईमस्टोन प्रोडक्शन क्षमता - 1.5 मिलियन टन/वर्ष, टॉपसॉईल क्षमता - 0.075 मिलियन टन/वर्ष, ओवर बर्डन क्षमता 0.88 मिलियन टन/वर्ष (टोटल एक्सकवेसन क्षमता - 2.45 मिलियन टन /वर्ष) क्रशर क्षमता 400 टन/घंटा इन माईन लीज एरिया 365.252 हेक्टेयर हेतु भारत सरकार, पर्यावरण, वन और

जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र दिनांक 11.12. 2023 के माध्यम से टर्म्स ऑफ रिफरेंस (TOR) जारी किया गया है।

तत्पश्चात आवेदक द्वारा छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल में जनसुनवाई बाबत् दिनांक 02 07.2024 को आवेदन किया गया। उक्त के अनुक्रम में छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा दिनांक 25/07/2025 को प्रातः 11:00 बजे से स्थल ग्राम मोतिमपुर खुर्द, तहसील - खरोरा, जिला रायपुर (छ.ग.) स्थित परियोजना के अधिग्रहित रिक्त भूखण्ड खसरा नंबर 45, छड़िया-मघईपुर रोड में लोक सुनवाई नियत की गई है।

न्यायालय तहसीलदार खरोरा, जिला-रायपुर से प्राप्त जानकारी के अनुसार मेसर्स नलवा स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड को औद्योगिक उपयोगार्थ तहसील-खरोरा के अंतर्गत ग्राम पचरी, परसदा, छड़िया, अलेसुर, मधईपुर एवं मोतिमपुर खुर्द में से किसी भी ग्राम की किसी भी मद की कोई भूमि आवंटित नहीं की गई है।

खनिज विभाग से प्राप्त जानकारी अनुसार भारतीय खान ब्यूरो द्वारा खनन योजना अनुमोदित किया जाता है, जिसमें से प्रतिबंधित क्षेत्र यथा ग्राम, स्कूल, आबादी, इत्यादि क्षेत्र को छोड़कर खनन कार्य हेतु खनन योजना अनुमोदित की जाती है। जिला कलेक्टर द्वारा भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 247(5) के तहत् नियमानुसार भू-प्रवेश की अनुमति उपरांत ही खनिजपट्टेधारी द्वारा खनन योजना अनुसार एवं पर्यावरण सहमति के शर्तों के पालन के साथ स्वीकृत क्षेत्र में खनन कार्य किये जाने हेतु बाध्य होता है। खदानों में ब्लास्टिंग इत्यादि किये जाने के पूर्व माइन्स एक्ट 1952 के तहत् खान सुरक्षा मापदण्डों का पालन किया जाना आवश्यक होता है।

उपरोक्तानुसार यह स्पष्ट है कि वर्तमान में किसी भी ग्राम की किसी भी मद की कोई भूमि आवंटित नहीं की गई है। उक्त के संबंध में छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा जनसुनवाई भी प्रस्तावित की गई है। संपूर्ण प्रक्रिया में सभी प्रावधानों का पालन सुनिश्चित किया गया है एवं आगे भी समस्त कार्यवाही नियमानुसार प्रावधानों के अंदर ही की जाएगी। अतः यह कहना सही नहीं है कि ग्रामवासियों एवं आस-पास के रहवासियों में भय, रोष एवं आकोश व्याप्त है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपको अवगत कराना चाहूंगा कि पहले हमारे पास जो ध्यानाकर्षण की सूचना आई, उसमें आक्रोश व्याप्त होने की संभावना है, ये आया था। हालांकि संशोधित रूप प्राप्त हुआ है जिसमें संभावना वाला विषय हटा है। मैं मानता हूं कि आगे जो भी होगा, वह नियमानुसार होगा।

श्री अनुज शर्मा :- माननीय सभापति जी, आक्रोश व्याप्त है, उसको तो मैं अभी सिद्ध कर दूंगा। वह माननीय मंत्री जी का कहना है कि जब आक्रोश व्याप्त हो सकता था तब लगाया था, आज आक्रोश की स्थिति है, मैं बताऊंगा, कैसे आक्रोश है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं

कि ई-नीलामी की एन.आई.टी. कब जारी की गई थी और नलवा स्टील को सशर्त आशय पत्र कब जारी किया गया था और किन-किन शर्तों के अंतर्गत जारी किया गया था ?

श्री ओ.पी. चौधरी :- माननीय सभापति महोदय, ई-नीलामी के लिए जो एन.आई.टी. अर्थात् टेण्डर प्रोसेस, ई-ऑक्शन होता है, उसके लिए 3 अगस्त, 2021 को ई-नीलामी की प्रक्रिया प्रारंभ की गई थी। 5 जनवरी, 2022 को इस बीडर को प्रीफर्ड बीडर घोषित किया गया था और 4 अगस्त, 2022 को नलवा स्टील को आशय पत्र जारी किया गया था।

श्री अनुज शर्मा :- माननीय सभापति महोदय, अब मैं आपको एक्चुअल स्थिति के बारे में बताना चाहता हूं। ग्राम पचरी खदान से सिर्फ 90 मीटर की दूरी पर स्थित है। जिसका 70 एकड़ का चारागाह और लगभग 70 लाख रूपये की लागत से 3 एकड़ की भूमि में निर्मित गौठान इससे प्रभावित हो रहा है। 20 एकड़ भूमि में स्थित बांध/तालाब इससे प्रभावित हो रहा है। 4 एकड़ भूमि में स्थित श्मशान घाट भी इससे प्रभावित हो रहा है, जिसमें हमारे ग्रामीणों के पितृ पुरूषों/पितरों के 80-90 की तादाद में मठ स्थित हैं। ये सारी चीजें उससे प्रभावित हो रही हैं। इसके साथ ही साथ लगभग 150 एकड़ भूमि है, जिसमें ये सब चीजें कर रहे हैं और 5-6 एकड़ भूमि में एक तालाब है, जो पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा। यह मैं सिर्फ ग्राम पचरी की बात कर रहा हूं। यदि मैं ग्राम छड़िया व ग्राम मधईपुर की बात करूं तो ग्राम मधईपुर में 5 एकड़ का चारागाह तथा 5 एकड़ भूमि में लगभग 70 लाख रूपये की लागत से निर्मित गौठान, 5 एकड़ का मुक्तिधाम, 20 एकड़ के बांध के साथ-साथ 65 एकड़ जमीन उससे प्रभावित हो रही है। ग्राम आलेसुर में 115 एकड़ निजी भूमि और इसके साथ बस्ती से लगा हुआ स्कूल उसके बहुत बड़े प्रभाव में आएगा और इस ब्लास्टिंग से उसपर असर पड़ने वाला है। ग्राम नहरडीह में पहले से ही पानी की विकराल समस्या है।

माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी को पहली बात से अवगत कराना चाहूंगा कि जो धरसींवा विधान सभा क्षेत्र है, वह पहले से ही क्रिटिकल ड्राई जोन है, यदि वहां इस तरह के माइंस आएंगे तो हमारे यहां का वाटर लेवल कहां जाएगा और हम ग्रामीणों को पानी कैसे मुहैया करा पाएंगे? दूसरी बात, हमारे क्षेत्र में पहले से ही इतना ज्यादा प्रदूषण है, इतने सारे उद्योग हैं, यदि वह प्रदूषण को इतनी ज्यादा तादाद में बढ़ा देंगे तो लोग किस तरह से वहां रह पाएंगे ? अब मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं क्या इन प्रभावित ग्राम पंचायतों से कोई NOC ली गयी थी ? यदि हां तो कब और किसके द्वारा NOC दी गयी थी?

श्री ओ.पी. चौधरी :- माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने कहीं चारागाह, कहीं स्कूल आदि ये सब प्रभावित होने के विषय पर जो चिंता जताई है तो मैं आपके माध्यम से सदन को और सम्माननीय सदस्य को अवगत कराना चाहूंगा कि हमने जिला प्रशासन से रिपोर्ट प्राप्त की है, हमने खनिज विभाग से भी रिपोर्ट प्राप्त की है, उसमें उन्होंने इस तरह की स्थिति उत्पन्न नहीं होना बताया

है। लेकिन मैं सम्माननीय सदस्य से अनौपचारिक रूप से भी चर्चा कर लूंगा और यदि कोई ऐसा विषय होगा तो निश्चित रूप से उसको हम दिखवा लेंगे। मुझे ऐसी आधिकारिक जानकारी दी गई है कि चारागाह, बांध, गौठान, श्मशान लीज का हिस्सा नहीं है, लेकिन फिर भी यदि कोई ऐसा विषय होगा तो मैं सम्माननीय सदस्य से अनौपचारिक रूप से चर्चा करके उस विषय को दिखवा लूंगा। ग्राम पंचायत से NOC जन सुनवाई उपरांत ही मिलती है। अभी वर्तमान में जो नियम है, उसमें ग्राम पंचायत की NOC जन सुनवाई के उपरांत ली जाती है और उसके बाद ही पर्यावरण मंजूरी दी जाती है। यह पूरी प्रक्रिया खनिज विभाग के माध्यम से उनका जो ई-ऑक्शन प्रोसेस है, उसमें एन.आई.टी. जारी करके पूर्ववर्ती सरकार के समय किया गया था। नलवा स्टील को आशय पत्र भी पूर्ववर्ती सरकार के समय ही 4 अगस्त, 2022 को प्रदान किया गया था। मैं आपके माध्यम से सदन को आश्वस्त करना चाहूंगा कि आगे जो भी कार्रवाई होगी, वह नियम-प्रक्रिया के अनुसार ही होगी। वह सम्माननीय सदस्य का विधान सभा क्षेत्र भी है तो उनसे अनौपचारिक रूप से चर्चा करके ही हम इसको करवाएंगे।

श्री अनुज शर्मा :- माननीय सभापति महोदय, मेरे हाथ में इन पांचों ग्राम सभाओं के असहमति पत्र हैं। पांचों ग्राम सभाओं ने इस बात पर असहमति जाहिर की है और उन्होंने प्रस्ताव पारित किया है, जिसमें वह न ही इसमें जन सुनवाई चाहते हैं और न ही इस खदान को उसको देना चाहते हैं तो मेरा माननीय मंत्री जी से आग्रह है कि इस जन सुनवाई और इस खदान को रद्द किया जाये, क्योंकि पांचों ग्राम पंचायतें और ग्राम सभाएं इससे सहमत नहीं हैं, क्योंकि यह उनके पुरखों/पितरों के मठों की बात है, उनके तालाबों की बात है, उनके निस्तारण की बात है। अगर वहां जमीन ही नहीं होगी, तो उसे हमारे 5-5 ग्राम प्रभावित होंगे। उनका जीवन दूभर हो जायेगा। इसलिए मेरा माननीय मंत्री जी से आग्रह है कि इस जन सुनवाई और इस आवंटन को रद्द करें।

श्री ओ.पी. चौधरी :- माननीय सभापति महोदय, वास्तव में जन सुनवाई लोगों की भावनाओं को सुनने का एक माध्यम होता है। जो जन सुनवाई आयोजित किया जाता है, वह जिला प्रशासन के माध्यम से आयोजित किया जाता है। पर्यावरण विभाग की चिट्ठी के बाद जिला प्रशासन तय करता है। खनिज आवंटन को रद्द करना या ना करना, वह खनिज विभाग का निर्णय होता है। मैं यही कहना चाहूंगा कि ग्राम पंचायत का एन.ओ.सी. अभी प्राप्त नहीं हुआ है। पर्यावरण विभाग का क्लीयरेंस भी जारी नहीं हुआ है। जो भी नियम कानून में लिखा है, उसके अनुसार ही होगा। सम्माननीय सदस्य से अनौपचारिक रूप से चर्चा करके ही खनिज विभाग और अन्य विभागों के माध्यम से कार्यवाही की जायेगी।

श्री अनुज शर्मा :- माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी को जन भावनाओं से अवगत करा ही रहा हूं। पांचों गांव ने ग्राम सभा के माध्यम से पारित कर दिया है कि वह इस बात से सहमत नहीं हैं। मेरा विनम्र आग्रह है कि जन भावनाओं को ध्यान में रखते हुए वह इस पर निर्णय लें, जनहित में निर्णय लें, यह मेरा माननीय मंत्री जी से आग्रह है।

समय
1.01 बजे **(अध्यक्ष महोदय (डॉ. रमन सिंह) पीठासीन हुए)**

श्री ओ.पी. चौधरी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, खनिज पट्टा को निरस्त करना या ना करना, खनिज विभाग का निर्णय होता है। मैं उस सन्दर्भ में यहां नहीं बोल सकता कि आगे क्या होगा, क्या नहीं होगा। मैं इतना कह सकता हूं कि जो भी होगा, नियम प्रक्रिया के अन्तर्गत ही होगा।

श्री अनुज शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं नियम प्रक्रियाओं की स्थिति बता देता हूं। कार्यकारी संक्षेप में - मौसम विज्ञान की दी गई जानकारी में भिन्नता है। पेज नं. 4 में दिए गए तालिका में 2023 की गणना बताई गई है, वहीं नीचे स्त्रोत में सन् 1991 से 2020 तक बताया गया है। सन् 1991 से 2020 तक जलवायु मंत्रालय की जानकारी के आधार पर की गई वास्तविक वायु प्रदूषण की गणना सही नहीं है। तथ्य परक की गई। अगर मौसम विज्ञान की गणना का मापदण्ड एवं सबूत एक बार प्रस्तुत करेंगे तो आप उसमें देख लेंगे कि उसमें क्या-क्या अनियमितताएं हैं। पर्यावरण प्रभाव आंकलन रिपोट में पेज नं. 452 में दशाई गई एक मात्र 2023 से 25 मई, 2023 तक वायु नमूने का एकत्रीकरण दर्शाया गया है। हम दावे के साथ कहते हैं कि सिर्फ एक बार वायु के नमूने का एकत्रीकरण किया गया है। तदोपरांत कभी भी एकत्रीकरण नहीं हुआ है। अत: दी गई जानकारी पूरी तरह से काल्पनिक है तथा असत्य वायु नमूने को एकत्र करने का समय रात के 12 बजे से 8 बजे तक दर्शाया गया है, जो पूरी तरह गलत है। P.M.10 और P.M.25 के नमूनों का एकत्रीकरण 24 घंटे दर्शाया गया है, जबकि एक बार 2 घंटे के लिए लिया गया है, इसका साक्षी सारे गांववासी हैं। मैं बताना चाहता हूं कि जिन जांचों के आधार पर दिया गया है, उन जांच पर ही संदेह इन सारे प्रकरणों से जानकारी होती है। मैं माननीय मंत्री जी, मैं व्यक्तिगत रूप से मिलकर आपको उपलब्ध करा दूंगा। मेरा यह मानना है कि वहां की जन भावनाओं को ध्यान में रखते हुए कृपा करके इसका सरकार की ओर से निरस्तीकरण का आदेश जारी करवायें और यह जन सुनवाई भी रद्द किया जाये।

श्री राम कुमार यादव :- ये हा अमृत काल ए ? इही हा अमृत काल ए ?

श्री ओ.पी. चौधरी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जो कुछ भी नियम प्रक्रिया है, उसके अनुसार ही आगे की कार्यवाही होगी। खदान को आगे कन्टीन्यू करना या नहीं करना, इसका निर्णय खनिज विभाग करता है। वहां पर जो सारी प्रक्रिया पूरी हुई है, उसको खनिज विभाग के माध्यम से ही पूरा किया गया है। मैं फिर से दोहराना चाहता हूं, जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि जो भी कार्यवाही होगी, नियम-प्रक्रिया के अनुसार होगी। माननीय सदस्य का विधान सभा क्षेत्र है, उनसे भी अनौपचारिक चर्चा करके विभाग काम करेगा। माननीय सदस्य ने जो रिपोर्ट संबंधी विषय बताया है, मैं उसको भी अनौपचारिक रूप से ले लूंगा। तदनुसार नियम कानून के अनुसार ही कार्यवाही होगी, यह मैं आश्वस्त करना चाहता हूं।

समय
1.04 बजे **नियम 267 'क' के अंतर्गत विषय**

अध्यक्ष महोदय :- निम्नलिखित सदस्यों की शून्यकाल की सूचनाएं सदन में पढ़ी हुई मानी जायेगी तथा इसे उत्तर के लिए संबंधित विभागों को भेजा जायेगा :-

1. श्री अजय चन्द्राकर,
2. श्रीमती कविता प्राणलहरे,
3. श्री इन्द्रशाह मण्डावी,
4. श्री रोहित साहू,
5. श्री दलेश्वर साहू

समय
1.04 बजे **याचिकाओं की प्रस्तुति**

अध्यक्ष महोदय :- आज की कार्यसूची में सम्मिलित निम्नांकित माननीय सदस्यों की याचिकाएं सभा में पढ़ी हुई मानी जायेंगी :-

1. श्री कुंवर सिंह निषाद,
2. श्री अजय चन्द्राकर,
3. श्री रोहित साहू

समय :
1:05 बजे **शासकीय विधि विषयक कार्य**

(1) छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) (संशोधन) विधेयक, 2025 (क्रमांक 15 सन् 2025)

मुख्यमंत्री (श्री विष्णु देव साय) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) (संशोधन) विधेयक, 2025 (क्रमांक 15 सन् 2025) के पुर:स्थापन की अनुमति चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) (संशोधन) विधेयक, 2025 (क्रमांक 15 सन् 2025) के पुर:स्थापन की अनुमति दी जाये।

अनुमति प्रदान की गई।

मुख्यमंत्री (श्री विष्णु देव साय) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) (संशोधन) विधेयक, 2025 (क्रमांक 15 सन् 2025) का पुर:स्थापन करता हूं।

(2) छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2025 (क्रमांक 16 सन् 2025)

कृषि विकास एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री रामविचार नेताम) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2025 (क्रमांक 16 सन् 2025) के पुर:स्थापन की अनुमति चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2025 (क्रमांक 16 सन् 2025) के पुर:स्थापन की अनुमति दी जाये।

अनुमति प्रदान की गई।

नेता प्रतिपक्ष (डॉ. चरणदास महंत) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने एक मिनट बोलने की आपसे अनुमति चाही थी।

अध्यक्ष महोदय :- ठीक है।

श्री रामविचार नेताम :- अध्यक्ष महोदय।

अध्यक्ष महोदय :- एक मिनट। नेता जी कुछ बोलना चाहते हैं।

डॉ. चरणदास महंत :- अध्यक्ष महोदय, यह वह कृषि का कानून है, जिसे केन्द्र सरकार ने तीन कृषि कानून के नाम से देश में लाया था, जिसे हम सब लागों के विरोध बाद वापिस लेना पड़ा था। उन कानूनों को यह लागू नहीं कर पाये तो शायद केन्द्र सरकार से निर्देश आया होगा कि जहां-जहां हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उन जगहों पर जाकर किसी भी तरीके, प्रेशर से इसे पारित करा लिया जाये। आप मण्डी में ई-बाजार को लाना चाहते हैं। हमारे यहां के जितने भी मण्डी हैं, वहां अभी तक ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। अब यहां पर बैठे-बैठे बार-बार किसी भी बड़े आदमी का नाम लेना उचित नहीं है। वह वहीं से बाजार को संचालित करेगा। वह दिल्ली से, अहमदाबाद से और कलकत्ता से बाजार को संचालित करेगा। हमारे गरीबों एवं किसानों के जो बाजार हैं, उसमें वह शामिल होंगे और आप यहां एक शोषण का नया रास्ता खोद रहे हैं। यह जनहित में नहीं है। इसलिए हम आपके इस विधेयक का विरोध करते हैं और हम सभा से बहिष्कार करते हैं।

समय :

1:08 बजे

बहिष्कार

छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2025 के विरोध में

(नेता प्रतिपक्ष, डॉ. चरणदास के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्यों द्वारा छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2025 के विरोध में सदन से बहिष्कार किया गया।)

शासकीय विधि विषयक कार्य (क्रमश:)

अध्यक्ष महोदय :- श्री रामविचार नेताम।

कृषि विकास एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री रामविचार नेताम) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2025 (क्रमांक 16 सन् 2025) का पुर:स्थापन करता हूं।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, विधान सभा के इतिहास में रजत जयंती वर्ष में पुर:स्थापन के समय पहली बार बहिष्कार हो रहा है। नेता प्रतिपक्ष जी यहां नई परम्परा डाल रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय :- सामान्यत: पुर:स्थापन के स्तर पर जब कभी बहिष्कार या बाकी विषयों की चर्चा होती है, उस समय बाकी विषयों में बात करते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि पुर:स्थापन के समय मैंने उनको अपनी बात रखने का समय भी दिया, यह मैं उचित नहीं मानता।

अध्यक्ष महोदय :- मैंने, छत्तीसगढ़ विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 65 के उप नियम (1) तथा अध्यक्ष के स्थायी आदेश क्रमांक 24 को शिथिल कर :-

1. छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, 2025 (क्रमांक 18 सन् 2025) तथा
2. छत्तीसगढ़ बकाया कर, ब्याज एवं शास्ति के निपटान (संशोधन) विधेयक, 2025 (क्रमांक 19 सन् 2025)

की महत्ता तथा उपादेयता को दृष्टिगत रखते हुए इसे आज ही पुर:स्थापन करने की अनुमति प्रदान करते हुये चर्चा, विचार एवं पारण हेतु 30-30 मिनट का समय निर्धारित किया है।

मैं समझता हूं कि सदन इससे सहमत है।

सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई।

(3) छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, 2025 (क्रमांक 18 सन् 2025)

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री (श्री टंकराम वर्मा) :- अध्यक्ष महोदय, मैं, छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, 2025 (क्रमांक 18 सन् 2025) के पुर:स्थापन की अनुमति चाहता हूँ ।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि- छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, 2025 (क्रमांक 18 सन् 2025) के पुर:स्थापन की अनुमति दी जाये ।

अनुमति प्रदान की गई ।

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री (श्री टंकराम वर्मा) :- अध्यक्ष महोदय, मैं छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता (संधोन) विधेयक, 2025 (क्रमांक 18 सन् 2025) का पुर:स्थापन करता हूँ ।

(4) छत्तीसगढ़ बकाया कर, ब्याज एवं शास्ति के निपटान (संशोधन) विधेयक, 2025 (क्रमांक 19 सन् 2025)

वाणिज्यिक कर मंत्री (श्री ओ.पी.चौधरी) :- अध्यक्ष महोदय, मैं, छत्तीसगढ़ बकाया कर, ब्याज एवं शास्ति के निपटान (संशोधन) विधेयक, 2025 (क्रमांक 19 सन् 2025) के पुर:स्थापन की अनुमति चाहता हूँ ।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि- छत्तीसगढ़ बकाया कर, ब्याज एवं शास्ति के निपटान (संशोधन) विधेयक, 2025 (क्रमांक 19 सन् 2025) के पुर:स्थापन की अनुमति दी जाये ।

अनुमति प्रदान की गई ।

वाणिज्यिक कर मंत्री (श्री ओ.पी.चौधरी) :- अध्यक्ष महोदय, मैं छत्तीसगढ़ बकाया कर, ब्याज एवं शास्ति के निपटान (संशोधन) विधेयक, 2025 (क्रमांक 19 सन् 2025) का पुर:स्थापन करता हूँ ।

(5) छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) (संशोधन) विधेयक 2025 (क्रमांक 15 सन् 2025)

मुख्यमंत्री (श्री विष्णुदेव साय) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) (संशोधन) विधेयक 2025 (क्रमांक 15 सन् 2025) पर विचार किया जाये ।

अध्यक्ष महोदय :- श्री अजय चन्द्राकर जी अपनी बात रखें ।

श्री अजय चन्द्राकर (कुरूद) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जब आप प्रथम बार मुख्यमंत्री बने तो मुख्यमंत्री बनते ही प्रदेश के सामने एक बड़ा संकट आ गया । हमारे समय में जब रूँगटा यूनिवर्सिटी हमारे विधान सभा में सूचीबद्ध हुई तो इस बात को कहा था । कॉंग्रेस के सदस्य अभी नहीं है, वह रहते तो मुझे कहने में और अच्छा लगता । जोगी जी के तीन साल में उस समय 125 के आसपास यूनिवर्सिटी थी और स्थिति यह थी कि कुलपति लूना में चलते थे और एकाध जगह खड़े होकर पंचर बनाते हुये भी हमने देखा था । लूना में कुलपति लिखा है और वह पंचर बनवा रहे हैं । उस समय एक कमरे और आधा कमरे में यूनिवर्सिटी का कार्यालय हुआ करते थे । कई लोग सुप्रीम कोर्ट गये तो हमारे जो विधेयक थे, उसको क्लैश कर दिया गया कि यह न्यायोचित नहीं है । सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आलोक में छत्तीसगढ़ पहला राज्य था, जिसने निजी विश्वविद्यालय विधेयक बनाया । आपके समय में ही पूरे देश में छत्तीसगढ़ का निजी विश्वविद्यालय गया । जब यह समाप्त कर दिया गया, जहां से बात शुरू होती है कि लगभग हमारे पास निजी विश्वविद्यालय में 1 लाख 70 हजार छात्र-छात्रायें थे और ऐसे कोर्स में पढ़ रहे थे जो हमारे यूजीसी या एआईटीसी में नहीं थे, न हमारे पास वैसे संस्थान थे । एक विकट परिस्थिति थी कि उन बच्चों का भविष्य कैसे बचाया जाये ? अलग-अलग राज्यों में, अलग-अलग लोगों से बात करके उनकी व्यवस्था की गई और आपके संवेदनशीलता के साथ उस विषय में रूचि भी ली । मैंने उस समय अधिकारियों से पूछा था कि छत्तीसगढ़ का GER कैसे है । कांग्रेस वाले बंधु उस समय 50 साल राज किये थे, यह सुनकर, जानकर आश्चर्य होगा कि पौने 2 से 2 प्रतिशत छत्तीसगढ़ का GER था । मैंने जब आपको यह बात अवगत कराई तो एक दिन में 3 यूनिवर्सिटी बनाई । हमारे पास 2 यूनिवर्सिटी थी, आज 13 राजकीय विश्वविद्यालय हैं और वह भी अलग-अलग नेचर के हैं । कोई तकनीकी विश्वविद्यालय है, कोई जनसंचार विश्वविद्यालय है, कोई एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, कोई मेडिकल यूनिवर्सिटी है और बहुत कम समय में हम लोगों ने हर नेचर की यूनिवर्सिटी बना ली । उसके बाद भी सरकारी प्रयासों से G.E.R. 20 से 21 प्रतिशत में अभी है । यदि हम निजी यूनिवर्सिटी को नहीं जोड़ेंगे तो राष्ट्रीय औसत से पीछे हैं । वित्तमंत्री जी, लेकिन उन्नत देश में G.E.R. 50 प्रतिशत से ऊपर है । अमेरिका जैसे देश में तो G.E.R. 70 प्रतिशत से ऊपर है । G.E.R. में Technical Education को कई बार नहीं गिनते, कई बार शामिल करते हैं । मैं इस बात को ध्यान में लाना चाहता हूं । इस मूल विधेयक को जब मैंने पेश किया, इस बीच में आपके मार्गदर्शन में ही हमने एक और विधेयक बनाया था, वह विधेयक कॉलेजों के लिए बनाया था । जो 85 विकासखण्ड आदिवासी बाहुल्य पीवीटी ब्लॉक जो हैं, उसमें यदि कोई कॉलेज की स्थापना करेगा तो उसको दो एकड़ जमीन देंगे । इतने साल तक इतना पैसा स्थापना व्यय के संचालन के लिए देंगे क्योंकि हमारे पास चुनौती थी कि छत्तीसगढ़ को शिक्षा के क्षेत्र में हमको आगे ले जाना है और उस समय कोई नियम में नहीं था, लेकिन यह बात जरूर थी कि

हम निजी विश्वविद्यालय को एक सीमा तक देंगे और उन विषयों के लिए देंगे, उन भूगोल में देंगे, जहां शिक्षा की कमी है और जो नये कोर्स लाएंगे, वह रोजगारमूलक कोर्स लाएंगे । उस समय हमारा बजट 30-32 हजार करोड़ हुआ करता था, आज तो हमारे प्रदेश का बजट 1,65,000 करोड़ रूपए है । छत्तीसगढ़ में अभी एक दुर्घटना घटी, मैं यूनिवर्सिटी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन 5000 बच्चे पैरा मेडिकल कोर्स में ऐसे कोर्स में पास हैं, जिसकी नियामक संस्थाएं हमारे यहां नहीं हैं। उसका पंजीयन कहां पर हो और पंजीयन नहीं होगा तो उसको रोजगार कहां पर मिलेगा ? उसको नियंत्रित करने के लिए हमारे पास सिस्टम नहीं हैं। हमने निजी विश्वविद्यालय नियामक आयोग हमने फीस के निर्धारण के लिए बनाया । उसके पास यह अमला नहीं है । अभी 19वीं यूनिवर्सिटी विधान सभा में सूचीबद्ध होने जा रही है । धीरे-धीरे हम यूनिवर्सिटी की संख्या मैदानी क्षेत्रों में ही बढ़ा रहे हैं । यह मान लें कि राजनांदगांव या पाटेकोहरा से सराईपाली तक या इधर चारामा से लेकर बिलासपुर तक, जांजगीर तक, कोरबा तक मान सकते हैं । जैसे सिंचाई बस्तर में कम है या सरगुजा में कम है या जशपुर में कम है । मैंने बार-बार यह बात कही कि नये सब्जेक्ट के साथ प्राईवेट यूनिवर्सिटी को अनुमति देना है, स्किल आज की जरूरत है । लेकिन स्किल जरूरत है तो उसका व्यावसायीकरण मत हो । क्या हमारे बच्चे छत्तीसगढ़ में निम्न वर्गीय, निम्न मध्यम वर्गीय लोग ज्यादा रहते हैं ? इनके फीस स्ट्रक्चर में निजी क्षेत्र में पढ़ने के लिए तैयार हैं या नहीं हैं, एक बात । हम सक्ति में इसको अनुमति दे रहे हैं । सक्ति से बिलासपुर की दूरी कितनी है ? वहां सेन्ट्रल यूनिवर्सिटी मौजूद है, अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी मौजूद है, विधि महाविद्यालय मौजूद हैं, तमाम तरह से आई.टी.आई. है, छत्तीसगढ़ की सबसे पुरानी आई.टी.आई. कोनी, बिलासपुर की है, वह अंग्रेजों के जमाने की आई.टी.आई. है । सरकार के द्वारा यह विधेयक लाया गया है इसलिए मैं विरोध तो नहीं करूंगा, न विरोध कर रहा हूं, लेकिन हम छत्तीसगढ़ में शिक्षा के व्यावसायीकरण की ओर बढ़ रहे हैं । छत्तीसगढ़ में बच्चों की Paying Capacity नहीं है कि इसके Fees structure को बढ़ाएं तो अभिभावक उसको बीयर कर सकें । दूसरी बात, अभी जो दुर्घटना घटी, मैंने कहा कि 5000 से ज्यादा बच्चों के लिए नियामक संस्थाएं हमारे पास नहीं हैं, उन्होंने ऐसे-ऐसे कोर्स में डिप्लोमा किया है, सर्टिफिकेट कोर्स किया है, जिसकी नियामक संस्थाएं हमारे पास नहीं हैं । वे जाएं तो जाएं कहां ? यदि उच्च शिक्षा हमारी 13-14 राजकीय यूनिवर्सिटी के बाद इंजीनियरिंग या पॉलीटेक्निक की सीटें ही हमारे पास इतनी हैं । यदि हम उसके स्ट्रक्चर को ठीक कर दें, फैकल्टी को ठीक कर दें, बिल्डिंग को ठीक कर दें, नये कोर्स ले आएं, हमारे पास नये कोर्स नहीं हैं । अध्यक्ष महोदय, आपको याद होगा, आपके नेतृत्व में हमने आईटीआई के लिए खड़गपुर आईआईटी से दो-तीन कोर्स फ्रेम करने के लिए समझौता किया था। ये भी संभावना पता लगाने के लिए कहा था कि उद्योगों में किस प्रकार के मेन पॉवर की जरूरत है, छत्तीसगढ़ में आजकल नया ट्रेंड क्या चल रहा है, हमें इसका भी अध्ययन करके बताएं, तो हम वह ट्रेड छत्तीसगढ़ के आईटीआई, पॉलीटेक्निक या इंजीनियरिंग कॉलेज में

खोलेंगे। लेकिन इसमें जो कोर्स आ रहे हैं, एक भी कोर्स ऐसा नहीं है, जो कि छत्तीसगढ़ में उपलब्ध नहीं है। सभी छत्तीसगढ़ में उपलब्ध हैं, तो इसकी उपादेयता क्या है? यदि ये बिलासपुर संभाग में खुल रहा है तो ये कोर्स बिलासपुर में भी उपलब्ध हैं। इससे सिर्फ व्यावसायीकरण होगा। मैं तो समर्थन कर रहा हूं, बोल दिया हूं लेकिन मेरा यह मानना है कि इस बारे में सरकार को चिन्तन करने की जरुरत है कि हम कितने निजी विश्वविद्यालयों को यहां परमीशन देंगे, हम कितना व्यावसायीकरण बढ़ायेंगे। उस समय की परिस्थितियॉ, बजट की स्थितियॉ दूसरी थीं, छत्तीसगढ़ के जीईआर की स्थिति दूसरी थी, यूनिवर्सिटियों की स्थिति दूसरी थी लेकिन आज हम बिल्कुल 90 डिग्री में घूम गए हैं। जो बड़े उन्नत प्रदेश हैं उनसे ज्यादा यूनिवर्सिटीज़ की संख्या तो हमारे यहां राजकीय विश्वविद्यालयों की है और अलग-अलग की है तथा बजट भी 1 लाख 65 हजार करोड़ में है। जिस समय हम थे, उस समय 30-32 हजार करोड़ के बजट में थे। उस समय सरकार के पास संशाधन नहीं थे और ये चुनौती थी कि हम जीईआर बढ़ाएं और मानव संसाधन को विकसित करें। अध्यक्ष महोदय, आपने ही देश में पहली बार 'कौशल मेरा अधिकार है', विधेयक लाया था, जिस पर कि आगे चलकर माननीय मोदी जी ने उसके लिए एक विभाग/मंत्रालय बनाया।

अध्यक्ष महोदय, मैं इस विधेयक का तो समर्थन करता हूं। इतनी ही बात मुझे कहनी थी। यहां मंत्री मंडल के सभी सदस्य और सबसे महत्वपूर्ण बात कि माननीय मुख्य मंत्री जी उपस्थित हैं। सदन को इस बात पर चिन्ता करने की जरुरत है कि निजी विश्वविद्यालयों को कितनी संख्या में इस क्षेत्र में हम प्रवेश दें। यदि ये बस्तर संभाग, सरगुजा संभाग या जशपुर जिले में होता, तो शायद मैं ज्यादा स्वागत करता कि छत्तीसगढ़ शासन ने एक कदम उठाया है पर मैदानी क्षेत्र में 18 यूनिवर्सिटीज़/प्रायवेट यूनिवर्सिटीज़ की उपादेयता, इतने छात्र। आप अध्ययन करा लीजिए कि 12वीं पास बच्चे कितने हैं। मैं आपको फिर से बता देता हूं कि जो सरकारी स्कूल हैं, उनमें प्रवेश घट रहा है। हमें इस पर चिन्ता करने की जरुरत है कि हमारे स्कूलों में प्रवेश घट क्यों रहा है। तो ये जो चुनौती है, उस पर चिन्तन करके इस पर निर्णय लें। मैं इस विधेयक का समर्थन करते हुए इसी सुझाव के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

श्री गुरू खुशवंत साहेब (आरंग) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, शिक्षा इस जीवन का बहुत महत्वपूर्ण अंग है। शिक्षा आज के समय में बहुत जरूरी है क्योंकि आज जिस प्रकार से देश और दुनिया उन्नति, विकास, तरक्की कर रहा है, उस हिसाब से शिक्षा बहुत जरूरी है और निश्चित रूप से उन वर्गों विशेष रूप से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग से आते हैं, के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। राज्य शासन का जो उच्च शिक्षा विभाग है, उसके द्वारा निरंतर इन लोगों को प्रोत्साहन भी दिया जा रहा है और उन्हें अवसर भी प्रदान कर रहे हैं। वैश्वीकरण और देश के बदलते परिदृश्य को दृष्टिगत रखते हुए प्रदेश में गुणवत्तायुक्त शिक्षा प्रदान करने, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अनुरूप युवा वर्ग को शिक्षित

करने, नवीन महाविद्यालय और विश्वविद्यालयों का निर्माण किया जा रहा है। राज्य निर्माण के समय उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत जहां राज्य में दो विश्वविद्यालय स्थापित हैं, आज इनकी संख्या 09 हो गई है। वहीं राज्य शासन द्वारा निजी क्षेत्र के माध्यम से उच्च शिक्षा के प्रचार-प्रसार के लिए छत्तीसगढ़ के निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के माध्यम से निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना की जा रही है। फलस्वरूप वर्तमान में राज्य में 18 निजी विश्वविद्यालय संचालित हो रहे हैं। उच्च शिक्षा को और विस्तारित करने हेतु सदन में आज एक नवीन निजी विश्वविद्यालय जगरानी देवी विश्वविद्यालय, बाराद्वार, जिला-जांजगीर-चांपा की स्थापना के लिए विधेयक प्रस्तुत किया गया है। अत: मैं इस सम्माननीय सदन से नवीन विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु प्रस्तुत छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) (संशोधन) विधेयक, 2025 को सर्वसम्मति से पारित करने का आग्रह करता हूं। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अनुज शर्मा (धरसींवा) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत-बहुत धन्यवाद। छत्तीसगढ़ का यह रजत जयंती वर्ष है और इस रजत जयंती वर्ष में पूरी दुनिया, पूरा देश छत्तीसगढ़ के इस विकास के क्रम को देखता आ रहा है। जैसा मेरे पूर्व के वक्ताओं ने कहा कि छत्तीसगढ़ में शिक्षा की व्यवस्था की क्या स्थिति थी और आज वह किस स्थिति में है। हमारी सरकार ने विष्णुदेव साय जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद जो रफ्तार दी है जिससे हमारे मेडिकल कॉलेजों की संख्या में वृद्धि हुई है, नर्सिंग कॉलेजों की संख्या में वृद्धि हुई है। आज यहां 8 से 20 नर्सिंग कॉलेज हो गये, 15 से 20 मेडिकल कॉलेज हो गये। एक बड़ी अच्छी पंक्ति है कि "अज्ञान के अंधेरों से हमें ज्ञान के उजालों की ओर ले चलो"। यह ज्ञान के उजालों की ओर ले जाने का एक अथक प्रयास है और यह विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ के छात्र-छात्राओं के लिए तो है ही लेकिन हमारी इस शिक्षा पर जोर देने से इसने न सिर्फ देश को प्रभावित किया बल्कि पूरी दुनिया को प्रभावित किया। आज यहां ऐसे बहुत से निजी विश्वविद्यालय है, जिसमें मेरे पास जो जानकारी है उसके अनुसार हर प्रदेश का कोई न कोई छात्र आज छत्तीसगढ़ में अध्ययनरत् है। यह छत्तीसगढ़ की प्रतिष्ठा को बढ़ाने वाला कार्य है। जो निजी विश्वविद्यालय है वहां न सिर्फ देश के हर राज्य के बल्कि बहुत सारे देशों के विदेशी छात्र-छात्राएं भी अध्ययनरत् हैं। यहां के सरकारी कॉलेजों के माध्यम से और गैर सरकारी कॉलेजों के माध्यम से यह प्रतिष्ठा छत्तीसगढ़ को मिली है कि अब लोग छत्तीसगढ़ को अध्ययन, अध्यापन के लिए एक बड़ा केन्द्र मानने लगे हैं और इस ओर माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारी सरकार ने यह पहल की है। मैं इस विषय में एक बात और कहूंगा कि छत्तीसगढ़ शिक्षा का बड़ा हब बनने जा रहा है और उसी कदम में यह एक 19वें निजी विश्वविद्यालय के रूप में बाराद्वार, जिला- जांजगीर-चांपा में किये जाने का विधेयक प्रस्तुत हुआ है, जिसकी स्थापना से यह राज्य के नागरिकों के लिए उच्च शिक्षा के विस्तार में सहायक सिद्ध होगी और अधिकाधिक संख्या में युवा वर्ग उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकेगा। इसमें एक स्वागत योग्य बात यह है कि यह विश्वविद्यालय

रायपुर को केंद्र न मानकर दूरस्थ अंचल में खोला जा रहा है। मैं इस विधेयक का समर्थन करते हुए माननीय सदन से इस विधेयक को सर्वसम्मति से पारित करने का विनम्र अनुरोध करता हूं। जय हिन्द।

श्री सुशांत शुक्ला (बेलतरा) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद। मैं छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) (संशोधन) विधेयक, 2025 के समर्थन के लिए खड़ा हुआ हूं। राज्य में शिक्षा गुणवत्ता से युक्त हो, इसके प्रसार के लिए नए विश्वविद्यालयों की स्थापना की बहुत आवश्यकता है। उच्च शिक्षा का आलोक जगाने के लिए, उच्च शिक्षा के विस्तार के लिए विश्वविद्यालय जैसे उच्चतर शिक्षण संस्थानों की स्थापना की पहल स्वागत योग्य है। राज्य स्थापना के बाद यह राज्य विभिन्न क्षेत्रों में विकास के नए सोपान और साक्ष्य प्रस्तुत करते आया है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि आपके नेतृत्व में राज्य में उच्च शिक्षा के विस्तार हेतु शासन के सराहनीय पहल से राज्य स्थापना के पश्चात लगभग 6 नए विश्वविद्यालय तत्कालीन समय में खुले थे, उनमें से एक विश्वविद्यालय राज्य विश्वविद्यालय से उन्नत होकर केंद्रीय विश्वविद्यालय के रूप में भी स्थापित हुआ था जो संत शिरोमणी गुरू घासीदास जी के नाम पर स्थापित है और वह आज अपनी उत्कृष्टता के साथ उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अलख जगा रहा है। साथ ही उच्च शिक्षा को विस्तार देने के लिए क्षेत्र में रूचि रखने वाले नए संस्थान जो निजी तौर पर छत्तीसगढ़ में निवेश करके शिक्षा की अलख जगा रहे हैं। मैं आज एक अद्भुत विषय से छत्तीसगढ़ की इस सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि गुजरात में एक नेशनल फॉरेंसिक साईंस यूनिवर्सिटी है और यदि गुजरात के बाद उसका कोई दूसरा सेंटर खुला है तो वह रायपुर में खुला है, जिसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का और माननीय विजय शर्मा जी का आभार व्यक्त करता हूं कि वह विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ में खुला। अध्यक्ष महोदय, एक विषय बहुत दिनों से संज्ञान में आता है कि गुरू घासीदास विश्वविद्यालय के बाद आपके नेतृत्व में जो एक नवीन विश्वविद्यालय बना था, वह राज्य निर्माता, परम श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर था। वह अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय, बिलासपुर में है। राज्य के प्रख्यात स्वतंत्रता सेनानी और शिक्षाविद पंडित सुंदर लाल शर्मा जी के नाम पर जो विश्वविद्यालय था, वह मुक्त विश्वविद्यालय के रूप में बिलासपुर में स्थापित हुआ और उसके साथ ही शहीद नंद कुमार पटेल विश्वविद्यालय, रायगढ़ में स्थापित है परंतु आज दिनांक तक वहां सेटअप की कमी है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि नवीन विश्वविद्यालय खोला जा रहा है, यह स्वागत योग्य कदम है परंतु शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक पदों पर भी इन विश्वविद्यालयों पर पद के सेटअप स्वीकृत किये जाने चाहिए। नए निजी विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, 2005 की कुछ धाराओं एवं अनुसूचि में संशोधन की आवश्यकता होती है। इसी प्रक्रिया के अंतर्गत सदन में छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) (संशोधन) विधेयक, 2025 प्रस्तुत हुआ है।

मैं इस सम्माननीय सदन से इस विधेयक को सर्वसम्मति से पारित करने का अनुरोध करता हूं। अध्यक्ष महोदय, आपने बोलने का अवसर दिया उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। (मेजों की थपथपाहट)

अध्यक्ष महोदय :- माननीय मुख्यमंत्री जी, आप जवाब में कुछ बोलेंगे।

मुख्यमंत्री (श्री विष्णु देव साय) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले तो इस विधेयक पर जिन्होंने समर्थन में बोला है उनमें माननीय श्री अजय चन्द्राकर जी, जो बहुत ही वरिष्ठ सदस्य हैं, श्री गुरू खुशवंत साहेब जी, श्री अनुज शर्मा जी, श्री सुशांत शुक्ला जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूँ कि प्रदेश के युवाओं के सर्वांगीण विकास हेतु उच्च शिक्षा को सुलभ बनाने के लिए शासन सतत् प्रयासरत है। शासन की मंशा अनुरूप उच्च शिक्षा के विकास में न केवल राजकीय विश्वविद्यालय, अपितु निजी विश्वविद्यालय भी समान रूप से सहभागी हैं। निजी क्षेत्र के विश्वविद्यालयों की भूमिका को किसी भी दृष्टिकोण से कमतर नहीं आंका जा सकता। निजी विश्वविद्यालय छात्रों को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाती है। इनके पाठ्यक्रम विशिष्ट क्षेत्रों में विशेषज्ञता प्रदान करते हैं। जैसे कि प्रोद्योगिकी, प्रबंधन और स्वास्थ्य विज्ञान इत्यादि है। निजी विश्वविद्यालय विद्यार्थियों को ऑनलाईन पाठ्यक्रम एवं पार्ट टाईम प्रोग्राम जैसे मल्टीमोड एजुकेशन प्लेटफार्म उपलब्ध कराते हैं, जिससे विद्यार्थियों को अपनी सुविधानुसार शिक्षा अर्जन करने का अवसर प्राप्त होता है। निजी विश्वविद्यालयों के संचालन में शासन को अतिरिक्त वित्तीय भार भी नहीं आता है और उस क्षेत्र के विद्याथियों को विशिष्ट क्षेत्र में शिक्षा के अवसर उपलब्ध हो पाते हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने एवं सकल नामांकन अनुपात जी.आर. के लक्ष्य की पूर्ति हेतु समय-समय पर राजकीय एवं निजी विश्वविद्यालय जैसे उच्च शिक्षा के शीर्षस्थ नवीन संस्थानों की स्थापना हेतु राज्य शासन द्वारा पहल की गयी है। उपरोक्त सभी भावनाओं की प्राप्ति के उद्देश्य से शासन के समक्ष प्रायोजक निकाय जगरानी देवी शिक्षण समिति द्वारा जगरानी देवी विश्वविद्यालय बाराद्वार, छत्तीसगढ़ स्थापित किये जाने का प्रस्ताव है। अनुमोदन उपरांत यह प्रदेश का 19 वां निजी विश्वविद्यालय होगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह अवगत कराना चाहूंगा कि प्रस्तावित निजी विश्वविद्यालय जिस क्षेत्र में स्थापित करने का प्रस्ताव है, वहां के निकटवर्ती क्षेत्रों जांजगीर-चांपा, कोरबा आदि क्षेत्रों में कोई निजी विश्वविद्यालय स्थापित नहीं है। यह क्षेत्र पिछड़े क्षेत्र के रूप में है। प्रस्तावित बाराद्वार क्षेत्र पिछड़ा क्षेत्र है। इस क्षेत्र के अधिकांश विद्यार्थियों को स्वाध्यायी विद्यार्थी के रूप में परीक्षा में शामिल होना पड़ता है। प्रस्तावित विश्वविद्यालय की स्थापना पश्चात् ऐसे स्वाध्यायी विद्यार्थियों को नियमित अध्ययन का अवसर प्राप्त होगा। प्रस्तावित निजी विश्वविद्यालय में अधिक रोजगार मूलक विषयों के संचालन का प्रस्ताव है। जिससे राज्य के युवाओं को रोजगार प्राप्त करने का सुनहरा अवसर भी प्राप्त होगा। निजी विश्वविद्यालयों द्वारा कौशल विकास से संबंधित पाठ्यक्रमों का भी संचालन किया जाता है।

इस प्रकार यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के स्कील डेवलपमेंट और रोजगार के अवसर उत्पन्न करने वाले शिक्षा के उद्देश्य को भी पूर्ण करता है। जगरानी देवी विश्वविद्यालय के अंतर्गत पूर्व से संचालित 13 शिक्षण संस्थान हैं जिनमें विद्यार्थियों की संख्या लगभग 5000 है। राज्य में 19 वें निजी विश्वविद्यालय के रूप में जगरानी देवी विश्वविद्यालय बाराद्वार, जिला जांजगीर-चांपा का स्थापना किया जाना है। अत: जगरानी देवी विश्वविद्यालय बाराद्वार की स्थापना हेतु संशोधन विधेयक पारित किया जाना प्रस्तावित है। प्रयोजक निकाय द्वारा प्रस्तावित पाठ्यक्रम जैसे पत्रकारिता, जन संप्रेषण, मीडिया, आर्ट्स, ह्यूमिटाईस, सोशल साईंस, एजुकेशन, टिचर्स ट्रेनिंग, विधि, व्यवसाय प्रशासन, वाणिज्य, प्रबंधन, वित्त, लाईब्रेरी एण्ड इंफॉर्मेशन साईंस, फाईन आर्ट्स, परफार्मिंग आर्ट्स, विजुअल आर्ट्स, एप्लाइड आर्ट्स, होटल प्रबंधन, अतिथि
सत्कार, पर्यटन, यात्रा, विज्ञान, अभियांत्रिकी, प्रोद्योगिकी, वास्तुशिल्प, व्यावसायिक शिक्षा, फार्मेसी में पत्रोपाधि एवं रोजगार मूलक शिक्षा से संबंधित है। इन विषयों का अध्ययन प्रदेश के युवाओं में कौशल विकास एवं रोजगार प्राप्त करने में सहायक होगा। छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय स्थापना एवं संचालन अधिनियम 2005 के प्रावधान के अनुसार प्रयोजक निकाय को आशय पत्र जारी किया गया है। तत्पश्चात् छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग से प्रयोजक निकाय द्वारा प्रस्तावित विश्वविद्यालय को स्थापित करने हेतु अनुशंसा की गई है। अत: जगरानी देवी शिक्षण समिति द्वारा जगरानी देवी विश्वविद्यालय बाराद्वार की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है। अध्यक्ष महोदय, मैं सदन से छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय स्थापना एवं संचालन संशोधन विधेयक 2025 को सर्वसम्मति से पारित करने के लिए आग्रह करता हूं। धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि - छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) (संशोधन) विधेयक, 2025 (क्रमांक 15 सन् 2025) पर विचार किया जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय :- अब विधेयक के खंडों पर विचार होगा।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि खण्ड 2 इस विधेयक का अंग बने।

खण्ड 2 इस विधेयक का अंग बना।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बने।

खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बना।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र इस विधेयक का अंग बने।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र इस विधेयक का अंग बने।

मुख्यमंत्री (श्री विष्णु देव साय) :- अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि- छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) (संशोधन) विधेयक, 2025 (क्रमांक 15 सन् 2025) पारित किया जाय।

अध्यक्ष महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि- छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) (संशोधन) विधेयक, 2025 (क्रमांक 15 सन् 2025) पारित किया जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पारित हुआ।

(मेजों की थपथपाहट)

श्री अजय चन्द्राकर (कुरूद) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी अभी सदन में हैं। उच्च शिक्षा का एक विधेयक हमने पारित किया है। 19वां निजी विश्वविद्यालय होगा। उच्च शिक्षा के अधिकारीगण भी बैठे हैं, तकनीकी शिक्षा सभी देखते हैं। मैं बोल रहा था, उस समय यूनिवर्सिटी का नाम नहीं लिया। अभी नाम ले देता हूं। रावतपुरा सरकार यूनिवर्सिटी में पैरामेडिकल के बहुत सारे ऐसे विषय में छात्रों को प्रवेश दिया, पैसा लिया और वह लोग पास हो गये। सर्टीफिकेट कोर्स हो, डिग्री कोर्स हो, डिप्लोमा कोर्स हो, उसमें डिग्री तो होती नहीं। छत्तीसगढ़ में मान लो नर्सिंग काउंसिल, डेंटल काउंसिल हैं, जितने भी काउंसिल होंगे, उन्होंने जिन विषय में डिग्री, डिप्लोमा दी है, पत्रोपाधि कोर्स होगा, उसकी नियामक की संस्थायें छत्तीसगढ़ में नहीं हैं। उनका पंजीयन कहां होगा, उनका भविष्य क्या होगा, उनको रोजगार कैसे मिलेगा? और इस संबंध में पता करके, जांच करवाकर कार्यवाही की जानी चाहिए। वह छत्तीसगढ़ के बच्चे हों, चाहे कहीं के बच्चे हों, बाहर से आकर पढ़े हों, लेकिन ये विषय है। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि इसमें कार्यवाही जरूर हो या जांच हो, उसमें सुनिश्चित किया जाये। हम लोगों ने जब पहली बार यूनिवर्सिटी विधेयक हुई तो 1 लाख 70 हजार बच्चे ऐसे थे, उसको बड़ी मुश्किल से लाइनअप किया था। ये गरीब घर के बच्चे परेशान होंगे। आपसे आग्रह है कि इस पर संज्ञान लेकर कार्यवाही कीजियेगा।

अध्यक्ष महोदय :- यह महत्वपूर्ण विषय है। माननीय मुख्यमंत्री जी जो अजय चन्द्राकर जी ने प्रश्न उठाया है, उसको कृपया निरीक्षण करा लें।

(6) छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2025 (क्रमांक 16 सन् 2015)

कृषि विकास एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री रामविचार नेताम) :- अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि- छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2025 (क्रमांक 16 सन् 2015) पर विचार किया जाये।

अध्यक्ष महोदय :- श्री अजय चंद्राकर जी ।

श्री अजय चंद्राकर (कुरूद) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे यह अच्छा नहीं लग रहा है कि मैं नेता प्रतिपक्ष जी की अनुपस्थिति में उनकी आलोचना करूं । नेता प्रतिपक्ष मतलब आप हैं, सदन के नेता हैं और नेता प्रतिपक्ष बनकर हाऊस की संपूर्णता होती है । एक महत्वपूर्ण अवयव माननीय नेता प्रतिपक्ष हैं । विधानसभा के माननीय पूर्व अध्यक्ष जी बहुत दिनों से सांसद-विधायक हैं, पुर:स्थापन के समय बहिष्कार करके वह कौन सी नयी परम्परा को स्थापित कर रहे हैं और उस विधेयक में जिस समय चर्चा शुरू नहीं हुई थी इसके पुर:स्थापन की चर्चा शुरू नहीं हुई थी । उच्च शिक्षा पहले क्रम में था, मुझे ऐसा लगता है कि शायद वह आज की कार्यसूची भी नहीं पढ़े थे और ऐसी यूनिवर्सिटी में चर्चा हो रही थी, जो उनके निर्वाचन क्षेत्र सक्ती में खुलनी है ।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, वह नहीं चाहते थे कि उस University को मान्यता मिले, वह University बने । उनके क्षेत्र में है इसलिये उन्होंने मुझे लगता है कि सोची-समझी रणनीति के तहत् यहां से वाकआऊट किया है।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, बहरहाल मैं धारा में तो अलग से बोलूंगा लेकिन माननीय कृषि मंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी हाऊस में हैं, मैं बधाई देता हूं कि आपके तीनों-चारों संशोधन से सरकारी नियंत्रण में एक तो कमी आयेगी । आपने जो दण्ड को कम किया है, दहशत खत्म होगी । लोग स्वतंत्रता महसूस करेंगे । तीसरा किसानों को एक व्यापक बाजार उपलब्ध होगा । किसानों का शोषण नहीं होगा और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि वह बहिष्कारकर्ता को यह नहीं मालूम कि अभी भी कई मण्डियों में ई-ऑक्शन (e-auction) होता है । मेरी मण्डी है उसमें ई-ऑक्शन (e-auction) होता है । अब उनको कौन समझाये, इसको विस्तारित किया गया ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, धारा-32 (ख) की उपधारा में निजी किसान उपभोक्ता प्रांगण के बाद निजी ई-व्यापार आपने इतना भर जोड़ा है । धारा-33 (क) के शीर्षक में तथा निजी किसान उपभोक्ता प्रांगण के स्थान पर निजी किसी उपभोक्ता, निजी किसान उपभोक्ता प्रांगण तथा निजी ई-व्यापार मंच यह जोड़ा है । आपने ई-व्यापार मंच जोड़ा है । धारा-33 (क) के उपधारा (1) के खण्ड-"ग" में किसान उपमंडी प्रांगण के बाद निजी ई-व्यापार मंच इसमें इतना ही संशोधन है और मैं जो सबसे महत्वपूर्ण बात बोल रहा था कि आपने वह दोषसिद्ध पर कारावास है जिसकी अवधि 6 मास तक हो सकेगी या जुर्माने

से जो 5000 रूपये तक का हो सकेगा या दोनों दण्डित किया जायेगा के स्थान पर उसका दोषसिद्धी पर 5000 रूपये की शास्ति से दण्डित किया जायेगा । आपने जो कारावास को हटाया है न । माननीय कृषि मंत्री जी, मुझे ऐसा लगता है कि आज आप टेंशन में हैं । हाऊस में मोबाईल लेकर आना प्रतिबंधित है ।

श्री रामविचार नेताम :- मैं देख रहा हूं ।

श्री राजेश मूणत :- मोबाईल किसका है ? यह जांच का मामला है ।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने इसमें कारावास को हटाया है और केवल जुर्माने का प्रावधान किया है । वैसे ही धारा-48 में परन्तुक को आपने लोप किया है । आपके उपबंध में जो चीजें हैं उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, यह महोदय लोग तो नहीं हैं । नहीं तो क्या हटेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा इस पर भी भाषण करते । चूंकि इसमें 2 ही चीजें हैं । आपने स्वायत्तता की है, सरकारी नियंत्रण कम किया है । किसानों के बाजार को विस्तारित किया है और नियंत्रण कम होने पर कारावास जैसे प्रावधान को जो आज की तरह में छोटी-मोटी त्रुटियों के लिये कारावास जो है युक्तिसंगत बिल्कुल नहीं है और वह भी किसान वर्ग के लिये कोई छोटी-मोटी गलती हो गयी, 6 महीने कारावास में जाये यह युक्तिसंगत बिल्कुल नहीं है । माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार ने जो कदम उठाया है, मैं उसका समर्थन करता हूं लेकिन मैं हर बार एक बात कहता हूं । किस तरह से इसको कहूं, जो execution है, legislation मैंने उस दिन एक जगह बधाई दी थी, यहां उल्लेख नहीं करूंगा कि सरकार ने अभी इस सत्र में इतने सारे विधेयक लाए हैं कि सरकार को बधाई देना चाहिए। विधान सभा के मूल कार्य हैं विधेयकों को लाना, चाहे संशोधन विधेयक हो या मूल विधेयक हो तो उससे लगता है कि सरकार नीति बना रही है, कार्यक्रम बना रही है और सोच रही है और चल रही है। आपकी सरकार ने दस-बारह विधेयक पाँच दिन के सत्र में लाए हैं, तो उसके लिए तो मैं बधाई दूंगा कि आप काम कर रहे हैं। लेकिन मूल समस्या उसके execution की है । अभी एक विषय आया कि साइबर क्राइम बढ़ रहे हैं। साइबर की विशेषज्ञता की नियुक्ति छह-आठ महीने से चली रही है। मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। अब इसके नियम कब तक बनेंगे, इसके निर्देश कब तक बनेंगे, कब मंडियों में लागू होंगे, कब इसका प्रशिक्षण होगा? यहां तो हम आपको सब चीज को सर्वसम्मत कर रहे हैं। यह चल दिए तो सर्वसम्मत ही होगा, मत विभाजन भी नहीं होगा। सवाल यह है कि यह प्रभावी ढंग से तुरंत लागू हो। जिस चीज को हम सोच रहे हैं, उसका क्रियान्वयन नीचे दिखे और सरकार की जो लियाकत है न, वह लोगों को महसूस हो कि हां यह सरकार है। विष्णु देव की सरकार है। विष्णु देव माने क्या होता है? हमारी सनातन परंपरा में विष्णु माने पालनकर्ता है। तो पालनकर्ता की यह सरकार है । छत्तीसगढ़ की नई जनसंख्या में तीन करोड़ तो हो ही जाएगा। अभी ढाई करोड़ बोलते हैं। कोई दो करोड़ साठ लाख बोलते हैं, कोई पचहत्तर लाख बोल देते हैं, कोई नब्बे लाख बोल देते हैं। तो तीन करोड़ लोगों को यह लगना चाहिए कि यह

पालनकर्ता की सरकार है। यह लियाकत दिखनी चाहिए और हम इसको सर्वसम्मत से पारित करते हैं। (मेजों की थपथपाहट)

अध्यक्ष महोदय :- श्री धरमलाल कौशिक। 18 मिनट में 12 मिनट अजय चन्द्राकर जी ने ले लिया।

श्री धरमलाल कौशिक (बिल्हा) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जो छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी (संशोधन) विधेयक, 2025 लाया गया है, मैं उसका समर्थन करता हूं। इसका मुख्य उद्‌देश्य है कि आज के समय में किसानों को उनकी उपज का अधिकतम मूल्य मिल सके और जो बंदिशें हैं, उनको हटाई गई हैं। अब वे अपनी उपज को बेचने के लिए स्वतंत्र होंगे कि जो अधिकतम बोली लगाए, जो उनको अधिकतम रेट दे, उनको बेचने के लिए वे सक्षम होंगे, स्वतंत्र होंगे और इससे किसानों की आमदनी में वृद्‌धि होगी। किसानों की आय बढ़ेगी, किसानों को प्रोत्साहन मिलेगा। इसके लिए इसमें यह जो संशोधन लाया गया है और इस संशोधन में मुख्य रूप से दो-तीन बातों का अभी अजय चंद्राकर जी ने जिक्र किया है कि इसमें सजा और जुर्माना दोनों के जो प्रावधान रखे गए थे तो उसमें कारावास की सजा को समाप्त किया गया है और उसमें अर्थदंड को रखा गया है, लेकिन उसमें दिया गया था कि पाँच हजार तक किया जा सकेगा तो पाँच हजार तक के स्थान पर अब पाँच हजार ही सुनिश्चित किया गया है। जहां पर दो हजार तक दिया गया है, दो हजार तक का दंड किया जाएगा, उसको दो हजार तक के नहीं बल्कि दो हजार किया जाएगा और जहां पर सौ रुपये के दंड किए गए हैं, उसके हिसाब से वह पांच सौ रुपये का दंड का भागी होगा। इसको इसलिए किया गया है ताकि किसानों का शोषण न हो और नियंत्रित रहे। जिससे किसानों को धोखाधड़ी न मिले और किसान उससे मुक्त रहे, निश्चिंत होकर अपनी उपज को बेच सके। इसके लिए महत्वपूर्ण संशोधन लाए गए हैं। इसमें धारा 31 में जो संशोधन लाए हैं, "निजी किसान उपभोक्ता प्रांगण" के पश्चात् तथा शब्द "या टर्मिनल मार्केट कॉम्पलेक्स" के पूर्व शब्द "या निजी ई-व्यापार मंच" यह शामिल किया गया है। दूसरा उसमें धारा 32 में "इस प्रदेश के एवं" इतना ही संशोधन किया गया है। धारा 32 का संशोधन है "अन्य प्रदेश" के पूर्व, शब्द "इस प्रदेश के एवं"। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह छोटा-छोटा संशोधन है। आधा लाइन का, एक लाइन का, कुछ शब्दों का जो संशोधन है और इस संशोधन के द्‌वारा एक प्रकार से जो क्रयधारी है, वह एकदम स्वतंत्र न हो और जो विक्रयधारी है, उसका शोषण न हो, इसलिए इसको इस संशोधन के माध्यम लाया गया है। साथ ही धारा 33 में जो संशोधन आया है कि "निजी किसान उपभोक्ता प्रांगण" के स्थान पर "निजी किसान उपभोक्ता प्रांगण तथा निजी ई- व्यापार मंच" संशोधन आया है। इसके साथ में "किसान उपभोक्ता उप-मण्डी प्रांगण", "निजी ई-व्यापार मंच" । मतलब, कोई प्रायवेट व्यक्ति भी अब खरीदारी कर सकता है । उसको किसी एक जगह से लायसेंस लिया है और उसका पालन कर रहा है, यदि वह मंडी शुल्क दे रहा है । यदि वह कृषक कल्याण की राशि दे रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि उसे हर जगह पंजीयन कराना पड़े । वह

बिना पंजीयन कराए भी ख़रीदी-बिक्री कर सकता है । इस प्रकार से हमारे कृषि मंत्री जी के द्वारा यह जो संशोधन लाया गया है वह महत्वपूर्ण संशोधन है और इस संशोधन के साथ छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी विधेयक, 2025 का मैं समर्थन करता हूं और इसे सर्वसम्मति से पारित किया जाए ।

श्री गजेन्द्र यादव (दुर्ग शहर) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी के द्वारा जो कृषि उपज मंडी (संशोधन) विधेयक, 2025 लाया गया है, मैं उसके समर्थन में बोलना चाहता हूं । मैं सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने कृषि उपज मंडी 1972, 1973 के प्रावधानों को संशोधित करने का निर्णय लिया । जिसका मैं समर्थन करता हूं । इसमें इन्होंने दर्ज किया है कि आपराधिक मामलों में सजा के प्रावधान की समाप्ति । यह किसानों के हित में एक प्रशंसनीय कार्य है । पहले अर्थदंड होता था या 6 माह के कारावास की सजा का प्रावधान था । इसमें आपने सिर्फ अर्थदंड को लिखा है । उसके लिए धन्यवाद् देता हूं । आदरणीय अध्यक्ष महोदय, खेती की पद्धति और तरीका अधुनिक हो गया है । सेवा सहकारी समिति के माध्यम से सरकार खुद धान खरीदती है इसलिए मंडी की उपयोगिता अन्य विविध कृषि उत्पादों के ऊपर निर्भर रहती है । इसमें आपने जो निजी ई-व्यापार का प्रावधान किया है, वह वास्तव में बहुत प्रशंसनीय है । हमारे दुर्ग जिले में और छत्तीसगढ़ में अलग-अलग स्थानों पर जो फसल का उत्पादन होता है, छत्तीसगढ़ के बाहर अलग-अलग राज्यों में वह उत्पाद बेचा जाता है। आपके निजी व्यापार मंच देने से उनको एक प्रशासकीय मज़बूती मिलेगी और खेती करने में आसानी होगी । साथ ही आपने ई-व्यापर मंच पोर्टल बनाया, उससे देश में फसल के निर्धारित मूल्य में एकरूपता रहेगी । कहीं भी किसी प्रकार का छलावा नहीं होगा । आपने जो तीन शानदार प्रस्ताव लाया है मैं उसके लिए मैं आपको धन्यवाद् देता हूं ।

कृषि मंत्री (श्री रामविचार नेताम) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आज जो बिल लाया गया है इस बिल पर चर्चा में माननीय अजय चन्द्राकर जी ने, माननीय धरमलाल कौशिक जी ने, माननीय गजेन्द्र यादव जी ने भाग लेकर अपने अमूल्य सुझाव दिया और हमारा मार्गदर्शन किया है । इस बिल को लाने के पीछे उद्देश्य यह है कि धारा 48, धारा 49 में जो कारावास का प्रावधान किया गया था, उसे हटाया गया है और छोटे-छोटे संशोधन लाए गए हैं । अध्यक्ष महोदय, एग्रीकल्चर मार्केटिंग ईको सिस्टम के रिफॉर्म करने का भारत सरकार का, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी की सोच है कि हम कृषकों को बेहतर सुविधा कैसे उपलब्ध करा सकें ? एग्रीकल्चर मार्केटिंग ईको सिस्टम में व्यापार के नियम, नीति एवं अधोसंरचना में सुधार करने के लिए और कृषि उत्पादों के विपणन प्रक्रिया को और अधिक सार्वजनिक बनाने के लिए सभी राज्य इस तरह का प्रयास कर रहे हैं । इसको लेकर समय-समय पर भारत सरकार का मार्गदर्शन प्राप्त होता रहा है और उस दिशा में ही हमारे छत्तीसगढ़ में हम लोगों ने संशोधन लाकर अपने किसानों को और अच्छा मार्केट उपलब्ध करा सकें । उन्हें उत्पाद की बेहतर कीमत मिल सके, ऐसा सोचकर यह संशोधन लाने का प्रयास किया गया है । राज्य सरकार का दृष्टिकोण है

कि विक्रेताओं को उनके अधिसूचित कृषि उपज की अधिकतम कीमत प्राप्त हो सके, ऐसा सोच करके यह संशोधन लाया गया है। मैं समझता हूं कि इस बारे में तमाम सारे माननीय सदस्यों के अच्छे सुझाव आए हैं, मैं चाहता हूं कि इसे पास करें। चूंकि ऐसे समय में हमारे प्रतिपक्ष के नेताओं को रहना जरूरी था, मैं समझता हूं कि वे इस बिल को देख नहीं पाए। अगर इस बिल को देखे होते तो आज बहिर्गमन नहीं किए होते। फिर भी मैं उनसे अपेक्षा करता हूं कि इस बिल को देखें, ये प्रदेश के किसानों के हित में है। हम यहां के कृषि व्यापार को कैसे सुसंगत कर सकें, ऐसा सोच करके इसमें इस तरह का एक छोटा संशोधन लाया गया है। अंत में मेरा यही निवेदन है।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि - छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी (संशोधन) विधेयक, 2025 (क्रमांक 16 सन् 2025) पर विचार किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(मेजों की थपथपाहट)

अध्यक्ष महोदय :- अब विधेयक के खण्डों पर विचार होगा।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से 10 इस विधेयक का अंग बने।

खण्ड 2 से 10 इस विधेयक का अंग बने।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बने।

खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बना।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र इस विधेयक का अंग बने।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र इस विधेयक का अंग बने।

श्री अजय चंद्राकर :- उनके पास मोशन पेपर नहीं है। (हंसी)

श्री रामविचार नेताम :- है भई। (हंसी)

श्री धरमलाल कौशिक :- आप मंत्री जी को इतना कमजोर समझ लेते हैं न।

श्री रामविचार नेताम :- भैया, तैं हर सब ला डिस्टर्ब कर देथस। (हंसी)

कृषि विकास एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री रामविचार नेताम) :- अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि - छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी (संशोधन) विधेयक, 2025 (क्रमांक 16 सन् 2025) पारित किया जाय।

अध्यक्ष महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि - छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी (संशोधन) विधेयक, 2025 (क्रमांक 16 सन् 2025) पारित किया जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पारित हुआ।

(मेजों की थपथपाहट)

अध्यक्ष महोदय :- सभा की कार्यवाही गुरूवार, दिनांक 17 जुलाई, 2025 को 11.00 बजे दिन तक के लिए स्थगित।

(1 बजकर 58 मिनट पर विधान सभा गुरूवार, दिनांक 17 जुलाई, 2025 (आषाढ़ 26, शक संवत् 1947) के पूर्वान्ह 11.00 बजे दिन तक के लिए स्थगित हुई)

दिनेश शर्मा

रायपुर (छत्तीसगढ़) **सचिव**

दिनांक : 16 जुलाई, 2025 **छत्तीसगढ़ विधान सभा**

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं